खण्ड-100, अंक-4
सोमवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1873
(17 मार्च, 1952 ई0)

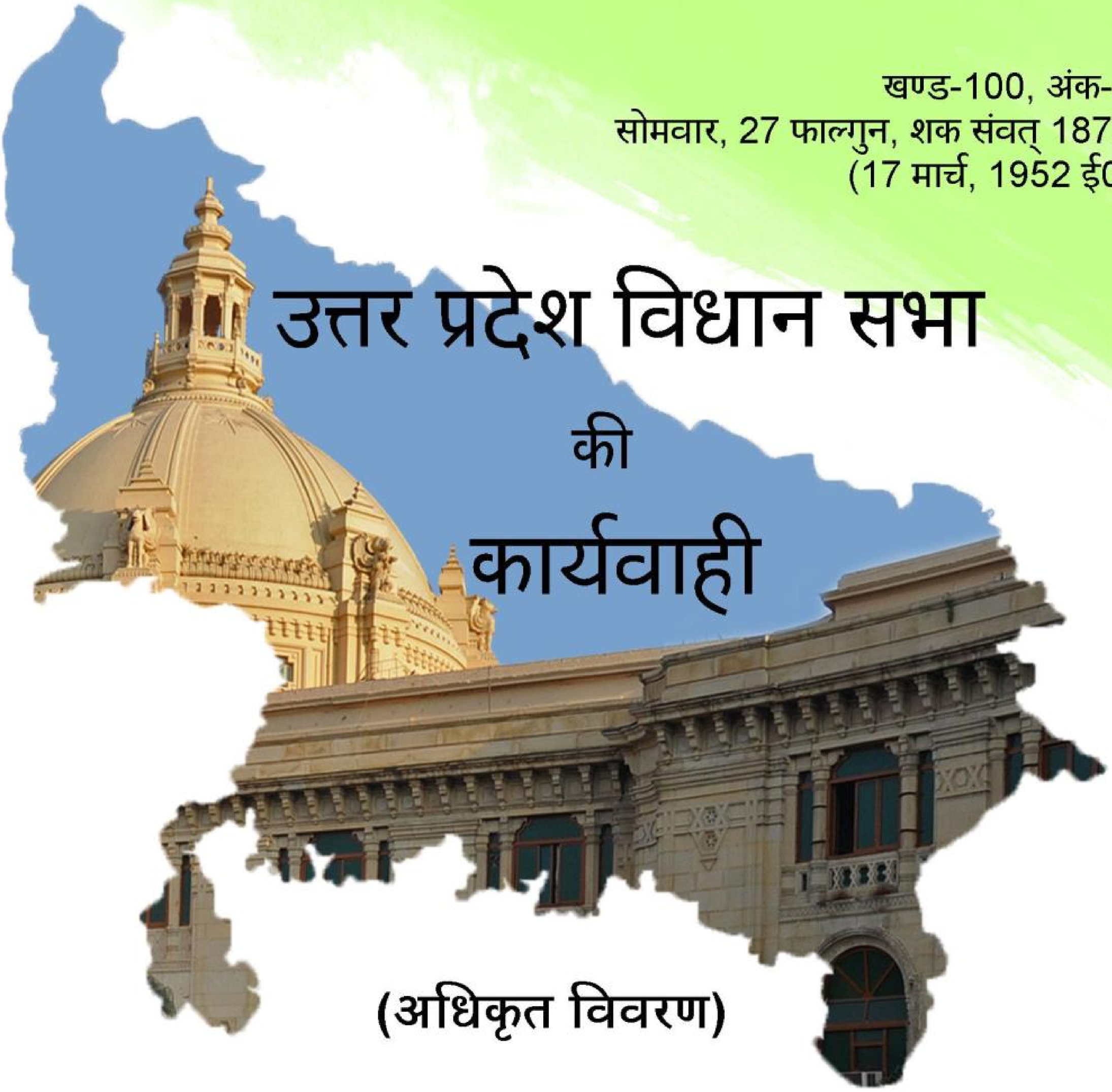

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 100 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १७ मार्च, १९५२ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१५६)

अक्षय कुमार करण, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल मजीद ख़्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अम्मार अहमद ख़ां, श्री
अलगराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
इतिज़ा हुसैन, श्री
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
काली चरण टंडन, श्री
किशन चन्द पुरी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
ख़ुशवक़्त राय, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गुरु नारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, माननीय श्री
चेतराम, श्री
छदालाल गुप्त, श्री
जगत प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफ़र अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
ज़ाहिद हसन, श्री
जुगलकिशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाज़िश अली खां, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, श्री
पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ख़रुल इस्लाम, श्री
फ़ज़लुर्रहमान खां, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फूल सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवान दीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुख्तार अहमद क़िदवाई, श्री
मुजफ़्फ़र हुसैन, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद एवज़, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नजीर, श्री
मुहम्मद रजा खां, श्री
मुहम्मद रहमत खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद शोएब, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
राजकुंवार सिंह, राव
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधारी पाण्डे, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामनारायण, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
रोशन जमां खां, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
वंशगोपाल, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्याधर बाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
शंकरदत्त शर्मा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
सईद अहमद, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सैयद ज़ाकिर अली, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री

माननीय श्री सैयद अली जहीर तथा माननीय श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

३१ अगस्त, १९५१ ई० को विभिन्न जेलों में राजनीतिक नजरबन्द और कैदी

*१—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या माननीय मादक-कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि किस किस जेल में ३१ अगस्त, सन् १९५१ ई० को, किस किस राजनीतिक पार्टी के, कितने कितने क़ैदी नजरबन्द थे या सजा भुगत रहे थे ?

माननीय श्री गिरधारी लाल (मादक-कर मंत्री)—३१ अगस्त, सन् १९५१ ई० को ४ नजरबन्द और २० कैदी निम्नलिखित जेलों में थे—

	नजरबन्द		
आगरा सेण्ट्रल जेल	..	..	२
नैनी सेन्ट्रल जेल	..	..	२
	क़ैदी		
अलीगढ़ जिला जेल	..	..	१८
आजमगढ़ जिला जेल	..	..	१
कानपुर जिला जेल	..	..	१

ये सब क़ैदी और नजरबन्द कम्युनिस्ट पार्टी के थे। इनके अतिरिक्त किसी पार्टी का कोई क़ैदी या नजरबन्द किसी जेल में इस तारीख़ को नहीं था।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि अब इन क़ैदियों और नजरबन्दों की जेलों में कितनी संख्या है ?

माननीय श्री गिरधारी लाल—इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है।

१९४९–५० ई० के विनियोग तथा वित्त लेखे और उनसे सम्बद्ध लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के सन् १९४९–५० ई० के विनियोग तथा वित्त लेखे और उनसे संबंधित लेखा-परीक्षा की रिपोर्टों की प्रतियां मेज पर रखता हूं।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ ई० के लिये लेखानुदान

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५२ ई० के लिये लेखानुदान उपस्थित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०४ पर)

वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

माननीय अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय अनुपूरक) अनुदानों पर सामान्य वाद-विवाद होगा।

श्री त्रिलोकी सिंह--अध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष के अन्दर यह दूसरा मौका है जब सप्लीमेंटरी डिमांड्स (अनुपूरक मांगें) इस सदन के सन्मुख उपस्थित की गई हैं। पिछली बार १ करोड़ ५८ लाख रुपया सप्लीमेंटरी डिमांड्स के सिलसिले में मंजूर किया गया था और इस बार ७ करोड़ ४६ लाख रुपया मांगा गया है। जो मांगें उपस्थित की गई हैं उनके देखने से यह मालूम हुआ कि बहुत कम ऐसी मांगें हैं कि जिसका सरकार को साल भर के अन्दर पहिले से अन्दाजा न रहा हो। जो मद में कमी हुई है उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार को जरूरत हुई कि वह अधिक रुपया खर्च करे और उसकी मांग इस सदन के सामने रखे।

इस सिलसिले में मुझे कुछ विशेष अर्ज करना नहीं है सिवाय ५-६ बातों के, खास तौर पर मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। इन मांगों में एक मांग ३५ लाख ६४ हजार रुपये की है, जो उत्तर प्रदेश रोड फंड में मोटर विहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत जो मद है उसमें मुन्तकिल करना है। इसकी मंजूरी गत वर्ष भी दी गयी थी और जो अनुदान आया है, जो लेखा हमारे सामने पेश है उसमें लिखा हुआ है कि गत वर्ष यह रुपया नहीं मुन्तकिल किया जा सका था लिहाजा इस वर्ष फिर सरकार को उनके लिये मंजूरी की जरूरत है। मुझे इसका ज्ञान नहीं है लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेषतौर पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि रोड्स फंड के ट्रांसफर न होने का कारण कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोड्स के रिपेयर्स (मरम्मत) का जो प्रोग्राम था उसमें कोई कमी आ गयी है? मुझे इसका ज्ञान नहीं है, इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री का इस ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं और यदि इसके ट्रांसफर (स्थानान्तर) न होने से रोड्स के प्रोग्राम में कोई धीमापन आया है तो वह एक पब्लिक इंटरेस्ट (जनहित) का प्रश्न उपस्थित होता है और मैं यह आशा करूंगा कि आयन्दा जब कभी भी इस प्रकार की आमदनी सरकार को मिला करे तो उसका मुन्तकिल भी समय के अन्दर हो जाया करे ताकि महज लिखा-पढ़ी रुक जाने की वजह से रोड फंड के रुपये में कमी न हो जाय। इसमें लिखा है कि रुपये की कमी थी लिहाजा रोड फंड में ट्रांसफर नहीं किया जा सका। लेकिन जब एक रकम आती है एक महदूद काम के लिये, तो कोई वजह नहीं कि सरकार, जिसका इतना बड़ा बजट हो, उसके पास इतना न हो कि दूसरे मद में वह खर्च हो जाय और एक मद का रुपया दूसरे मद में समय के अन्दर ट्रांसफर न कर सके।

एक बात मुझे विशेषतौर पर आपसे कहनी है कि एक नयी जगह एनीमल हस्बैंडरी (पशु-पालन) कमिश्नर की बनायी गयी है। इसमें लिखा हुआ है कि एनीमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट का काम इतनी तेजी से बढ़ा कि इसमें एक करोड़ से ज्यादा सरकार का सालाना खर्च होगा। यह जरूरी समझा गया कि एक ऐसा आफिसर मुक़र्रर किया जाय जो तमाम मुहकमे के जितने भी कार्य हैं उनको ठीक से निगरानी कर सके और उसमें नियंत्रण रख सके। लेकिन मेरी राय में, और श्रीमन्, मैं बहुत नम्रता पूर्वक आप के जरिये यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जगह कुछ बहुत जल्दी में न बननी चाहिये। यह अनसीन एक्सपैंडिचर (अदृष्ट व्यय) नहीं है अगर सरकार तीन-चार महीने तक इस जगह को नहीं बनाती तो कोई खास गड़बड़ी नहीं होती। इस प्रकार की जगह

हमेशा बहुत सोच-समझ कर बनानी चाहिये। जल्दी में ऐसी जगह नहीं बनानी चाहिये। यह ठीक है एक आफिसर साहब आपको मिल गये, मुमकिन है कि वे तीन-चार महीने बाद आपको न मिलते, लेकिन जब इस प्रकार की जगह की जरूरत है तो हमें कोई न कोई आफिसर मिलता, चाहे यह आफिसर न मिलते। इस प्रकार की हेड आफ डिपार्टमेंट की जगह जल्दी में बनाना कुछ समझदारी का काम नहीं हुआ करता।

मैं अर्ज करूं कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिये आबपाशी के सिलसिले में एक बेलन प्रोजेक्ट चलाय गया। यह प्रोजेक्ट इलाहाबाद में चलाया गया था। ख्याल था कि यह ३९ हजार एकड़ की आबपाशी करेगा और इस पर एक करोड़ तेरह लाख रुपया खर्च होगा। स्कीम चलायी गयी। बीच में ख्याल आया कि बजाय ३९ हजार के एक लाख एकड़ की स्कीम होगी और एक करोड़ रुपया खर्च होगा। तो इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें, जिसमें एक-एक, दो-दो करोड़ रुपये खर्च हों वे इस तरह से नहीं चला करतीं। एक स्कीम चली एक करोड़ तेरह लाख की, और ३९ हजार एकड़ जमीन के इर्रीगेशन का सवाल था। अभी वह स्कीम चली भी नहीं थी कि फिर चार-छः महीने के बाद ख्याल हुआ कि इसे तीन लाख एकड़ का कर दिया जाय या आइन्दा साल दो लाख एकड़ का कर दिया जाय। तो अगर इस प्रकार की स्कीम बनावें तो इसमें बहुत ज्यादा रुपया खर्च होता है और नुक़सान होता है। इस प्रकार की जितनी भी स्कीमें हैं जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इधर आपने एक डिपार्टमेंटल हेड मुक़र्रर कर लिया, जिनके लिये दो हजार रुपये महीना खर्च होता है, उनके स्टाफ वग़ैरह में और ज्यादा होगा। इस तरह से इर्रीगेशन प्रोजेक्ट बनाने से और उसको घटाने-बढ़ाने से कैपिटल एक्सपेंडीचर (पूंजी-व्यय) में सिवा नुक़सान के फायदा नहीं होता।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जितनी स्कीम सरकार की इस प्रकार हों उनमें भले ही थोड़ी देर हो जाय, लेकिन यह स्कीम सोच-विचार के साथ, पूरे अन्दाजे के साथ होनी चाहिये और उनका पूरी तरह से सर्वे (पर्याशोचन) होना चाहिये और उनके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिये और जहां तक भी हो यह अन्दाजा रहना चाहिये कि इस स्कीम से डेवलेपमेंट कैसे किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो स्कीम हमारे प्रदेश में ही बनी हैं उनका सही अन्दाजा पहले कर लिया जाता था। मसलन् शारदा नहर जब बनाई गई तो मुझे मालूम है कि उसका बहुत अच्छी तरह से सर्वे किया गया था और फिर उसके लिये स्कीमें बनी कि आगे १०-१५ वर्ष के अन्दर कैसे इसको डेवलप किया जायगा। लेकिन अगर कोई स्कीम चले और शुरूआत में ही उसमें काटछांट होने लगे तो फिर उससे कोई लाभ नहीं होता है। उसमें को आर्डिनेशन (एकीकण) नहीं रहता है, क्योंकि उनका पूरा नक़शा सामने नहीं रहता है, और इन सब बातों का अन्दाज न रहने से बहुत नुक़सान होता है। हमको नयार डाम के सिलसिले में और यमुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसर्च के सिलसिले में, जो कि देहरादून में खोला गया था, काफी तजुर्बा है। वहां पर इसी प्रकार से इनर्जी (शक्ति) नष्ट हुई और रुपया नष्ट हुआ। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि इस वक्त जितनी स्कीम उठाई गई हैं उनका सही अन्दाजा होना चाहिये और आगे के लिये भी कोई खाक़ा दिमाग़ में होना चाहिये कि आइन्दा उससे किस तरह डेवलपमेंट किया जायगा। इसका सही अन्दाज सरकार के पास होना चाहिये और ऐसा नहीं होने पर रुपया नष्ट होगा और साथ ही समय की भी बरबादी होगी।

मैंने इसी प्रकार से इसमें देखा कि भदरुक डेरी का भी कुछ जिक्र है कि वहां पर शुगर रिसर्च इन्स्टीट्यूट खोलने का विचार किया गया है और भदरुक डेरी को वहां से हटाया जायगा। यह ठीक हो सकता है कि किसी खास जगह कोई काम शुरू करने से अधिक लाभ हो और वहां पर जो काम होते हैं उनको कभी-कभी वहां से हटाना जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर शुरू में ही इन सब बातों का अन्दाजा कर लिया जाय तो इससे लाखों रुपये जो इस तरह से खर्च किया जाता

[श्री त्रिलोकी सिंह]

है वह बच सकता है और वह रुपया दूसरे जरूरी काम में लग सकता है। मसलन् वहां पर जब आपने डेरी का खोलना जरूरी समझा तो वहां पर इमारत बनाई गई और इसी तरह से दूसरे कामों के लिये रुपया सर्फ किया गया। अगर यह सब आप पहले ही गौर कर लेते तो काफी बचत हो सकती थी। इस प्रकार से राज्य का रुपया सर्फ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि आपकी जितनी स्कीम हों उन सब का पूरा अन्दाजा रहना चाहिये। इसमें यह कहा गया है कि ५ लाख रुपया खर्च होगा। यह ५ लाख रुपया कोई छोटी रक़म नहीं है।

मैंने देखा कि मेडिकल ग्रांट भी इसके अन्दर है उसमें दवाइयों के सिलसिले में सरकार ने मांगा है। इसका मुझे ज़ाती इल्म है और अफसरों से बात करने से मालूम होता है और स्वयं सरकार के ऐसे मुख्य आदमियों से भी बात करने पर मालूम होता है कि अस्पतालों में दवाइयों की बहुत कमी है। यह ५ लाख रुपया अगर आप उस काम के लिये लगा देते तो और भी अच्छा होता। इस तरह से अगर सरकार ख्याल करे तो सरकार के पास बहुत रुपया खर्च के लिये बाकी रह सकता है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपकी जितनी भी स्कीम है वह स्कीम कोई जल्दबाजी, उजलत में नहीं होनी चाहिये। अगर किसी तरह से फिर उलझन पैदा हो गई तो उससे सारा रुपया और वक्त नष्ट हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि बहुत सोच-समझ कर आप कोई स्कीम बनावें और तब उसके ऊपर आगे के लिये क़दम बढ़ावें। पिछली मर्तबा भी मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं इस आदरणीय सदन में यह विचार प्रकट कर सकूं कि सरकार द्वारा जो जमीनें रिक्लेम की गई हैं और जो आराजी मजरुआ बनाई गई है ऊसर व बंजर वगैरह को तोड़ कर उसमें बजाय इसके कि बड़े-बड़े फार्म बनाये जायं यह ज्यादा बेहतर होगा कि वह खेतिहर मजदूरों या ऐसे लोगों को, जो किसान की मजदूरी करते हैं और गांवों में रहते हैं या उन किसानों को, जिनकी जमीनें फ़ार्मों में सरकार ने ले ली हैं, दे दी जायं। सप्लीमेंटरी डिमांड को देखने से मालूम हुआ कि यह सरकार गवर्नमेंट आफ इंडिया की अफ़ज़लगढ़ स्कीम को कार्यान्वित कर रही है। इसके अन्दर जो जमीनें ली जायंगी वे ३ साल तक सरकार के इन्तजाम में रहेंगी और उसके बाद वे पुराने फौजी पेंशनर्स को दे दी जायंगी। इस आराजी को सरकार अपने इंतजाम से आबपाशी, खाद, सड़कें, पुल वग़ैरह बना कर डेवलप (विकसित) करेगी और उसके बाद दस-बारह एकड़ के टुकड़े बना कर वह फौज के सिपाहियों में बांटेगी, जो फ़ौज से पेंशन पाकर हट गये हैं। इसी तरह की कार्यवाही अगर सरकार खेतिहर मजदूरों के सिलसिले में भी करे और ख़ास कर उन किसानों के सिलसिले में जिनकी जमीन सरकार ने अपने फ़ार्मों वगैरह के सिलसिले में ले ली है और अक्सर ६ या ७ सौ एकड़ जमीन इस तरह से यहां ले ली गई है। यह किसान क़तई फटे-हाल हो गये हैं और गांव से अकसर भाग भी गये हैं। अगर इसी तरह से ३ साल बाद सरकार इन किसानों को जमीनें दिलाने का प्रबन्ध कर दें तो बेहतर होगा और यह स्कीम देश के हित में भी होगी और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (उत्पादन) के लिये भी अच्छी साबित होगी।

एक बात देख कर बड़ी हंसी मालूम होती है कि इतना पानी होगा तो इतने हजार एकड़ में पैदावार बढ़ जायगी और इतना टन गल्ला अधिक पैदा होने लगेगा, इलाहाबाद के क़रीब इतने लाख टन इस हिसाब से हो जायगा। बस जरब-तकसीम करके इस तरह से स्कीम नहीं चला करती हैं। इस तरह से काग़ज़ पर हिसाब लगाने से कुछ नहीं होता। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि यह खेती का काम किसान और उसके लड़के ही अच्छा करते हैं और जिन लोगों को इस तरह से बेदख़ल किया गया है

अपनी जमीनों से यानी जिनकी जमीनें सरकारी फार्मों में आ गयी हैं अगर वे जमीनें डेवलप होने के बाद उन्हीं को वापिस हों तो देश की भी बेहतरी होगी और उन किसानों क साथ भी न्याय होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अमरीका में स्वायल कन्जरवेशन स्कीम (मिट्टी संरक्षण योजना) में तजुर्बा हुआ है कि वहां वह स्वायल को कनजर्व करके, पेड़ लगा कर और दूसरे तरीक़ों से जमीन बनाते हैं और जिन किसानों से वह जमीन लेते हैं उन्हीं को फिर उस जमीन को वापिस कर देते हैं और वहां ऐसा नहीं होता है कि स्वायल कनजरवेशन इस प्रकार किया जाय कि किसान उजाड़ दिये जायं और सरकारी फार्म बनाये जायं। अफ़ज़लगढ़ स्कीम जो बनी है उसमें यही बात रखी गयी है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई वजह नहीं है कि जो सहूलियतें एक्स-सर्विसमैन को दी जा रही है वही सहूलियतें इन खेतिहर मजदूरों को और उन किसानों को, जिनकी जमीनें सरकारी फ़ार्मों वग़ैरा में ली गई हैं, न दी जायं। उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। लखनऊ और हरदोई जिले में भी करीब ८ हजार एकड़ के फार्म बने हैं और उनमें क़रीब १,५०० एकड़ जमीन किसानों की ली गई है, उसमें से कुछ वापिस भी दी गई है जिनके कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) का सवाल सप्लीमेंटरी डिमांड में आया है। किसानों को कंपेंसेशन दिया जाय और उनको जमीन वापस करेंगे तो देश की बेहतरी होगी और उनकी भी बेहतरी होगी। उनको सरकार बेचेगी और गांव उजड़ जावेंगे। यहां कंजर्वेटिव स्कीम (संरक्षण योजना) बने वहां क़रीब ४५० बीघे के किसान बिलकुल उजड़ गये। उनके पास कुछ जमीन भी नहीं रही। इसी तरह से दूसरी जगह ५०० बीघे तक के किसान उजड़ गये। उन लोगों को करना क्या पड़ा? कोई कानपुर में, कोई अहमदाबाद में और कोई बम्बई में रोजगार की तलाश में गया। इस तरह वे बेचारे मारे-मारे फिरें। यह स्कीम स्वायल कंजर्वेशन की, रिक्लेमेशन आफ ऊसर, वेस्ट या बंजर लैंड की तभी कामयाब होंगी जब कि जमीन खेतिहर मजदूरों को दी जायेंगी। इस सिलसिले में जो अफ़ज़लगढ़ की स्कीम की शुरूआत हुई है वही चीज इन स्कीमों के बारे में भी हो। बजाय इसके होगा यह कि कोई १०, कोई १५ और इसी तरह पर कोई १२रु० बीघा पा जावेगा। अगर किसी को कुछ अच्छी जमीन मिल जायगी तो उसकी गुजर औकात हो सकेगी।

श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में पंचायतों के सेक्रेटरीज की संख्या ८,००० से भी ऊंची है और पंचायतों का काम उनके हाथ में है। लेकिन अफ़सोस है कि उनको तनख्वाह वक्त से नहीं मिलती। २-२, ४-४ और ६-६ महीने तक हो जाते हैं उनको वेतन मिले हुये। इससे लूट-खसोट होती है। काम ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस आदमी की तनख्वाह ठीक समय से न मिले वह कैसे अपना मन काम में लगा सकता है? अभी २-३ दिन क़ब्ल इस आदरणीय सदन में इस बात का जिक्र था कि यदि कोई पंचायत न दे तो उसका रुपया दूसरी पंचायतों से दिला दिया जाय या कहां से दिया जाय। इस सिलसिले में गवर्नमेंट एक कानून भी लाई थी। यदि कोई पंचायत रुपया होते हुये भी तनख्वाह न दे तो सरकार को यह हक़ हासिल है कि वह उससे उसकी तनख्वाह दिलाये। पंचायतों को मजबूर करे। कुछ पंचायत ऐसी हैं जिनके पास साधन नहीं हैं कि वे यह वेतन बरदाश्त कर सकें। दूसरे यह कि जिन पंचायतों के पास साधन मौजूद हैं पर तो भी किसी कारण से वे नहीं देती है। ऐसी शिकायतें सरकार के पास आईं और उन्हें ऐसा कानून बनाना पड़ा। यह भी कहा गया कि कुछ सूखा पड़ने से और कुछ रेमिशन्स (छूटों) की वजह से कमी हो गई। इसमें मुझे बड़ा संदेह है कि इस तरह से कमी हुई या कोई और कारण थे। हो सकता है कि यह भी कुछ हो। मगर यह बहुत कम है। असल बात यही है कि उनके पास साधन नहीं है। वे दे नहीं पाते। पंचायतों को जो आब्लीगेशन्स (दायित्व) और

[श्री त्रिलोकी सिंह]

फ़रायज़ हैं जो आपने उन पर आयद किये हैं वे उनके मीन्स (साधनों) से बाहर के हैं। इसलिये मैं बड़ी नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि बजाय इसके कि उस ५० रुपये के अहलकार को इतने दिनों तक इन्तज़ार करावे उसे कुछ सहायता करे। और मैं तो यह भी कहूंगा कि यह तनख्वाह भी कोई मुनासिब तनख्वाह नहीं है। यह सहायता सप्लीमेंटरी से नहीं हो सकती। अभी १ या २ साल तक हमारी पंचायतें इस क़ाबिल नहीं हो सकतीं कि इन सैलेरीज़ (वेतनों) को बरदाश्त कर सकें। तो ऐसे सेक्रेटरीज़ के रहने से, जो चार-चार महीने तनख्वाह नहीं पाते, काम नहीं चल सकता। सरकार का यह फ़र्ज़ है कि वह इस पर विचार ही न करे बल्कि तुरन्त किसी नतीजे पर आये जिससे कि सेक्रेटरीज़ को नियत समय पर तनख्वाह मिल सके। सेक्रेटरीज़ की तनख्वाह के एक जुज़ की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले। मैं यह भी अर्ज़ करूंगा कि सरकार ने पंचायत के सेक्रेटरीज़ के सिलसिले में ऐसे क़ानून बना रखे हैं जो लोकल बाडीज़ के एम्प्लाईज़ पर (नियोजित) नहीं लागू होते, मसलन् पंचायत के सेक्रेटरीज़ राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते हैं लेकिन म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरीज़ हिस्सा ले सकते हैं। सरपंच वग़ैरह राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते हैं लेकिन आनरेरी मैजिस्ट्रेट ले सकते हैं। तो कोई वजह नहीं है कि वे लोग भी हिस्सा क्यों न ले सकें। जहां सरकार ने यह मुनासिब समझा कि पंचायत के सेक्रेटरीज़ का तबादला लखनऊ से डाइरेक्टर साहब करें वहां लोकल बाडीज़ के एम्प्लाईज़ का तबादला इस प्रकार नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर्स का तबादला सरकार नहीं कर सकती, लेकिन सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर्स को तनख्वाह का एक जुज़ देती है बतौर इमदाद के। पंचायत के सेक्रेटरीज़ के सिलसिले में सरकार ने तमाम अधिकार, श्रीमन्, अपने हाथ में ले रखा है और वे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाडीज़ के एम्प्लाइज़ के अधिकारों से मेल नहीं खाते। जब उनके ऊपर सरकार ने नियंत्रण कर रखा है तो उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि उनको नियत समय पर तनख्वाह मिले। या तो उनकी तनख्वाह का एक जुज़ सरकार की तरफ से दिया जाय या सरकार अपना नियंत्रण हटा ले और पंचायत के सेक्रेटरीज़ को बिलकुल पंचायत के ऊपर ही छोड़ दे। तभी पंचायत अपनी जिम्मेदारी समझेगी। सेक्रेटरीज़ के एप्वाइंटमेंट (नियुक्ति) को क़ानून के अन्दर लाज़िमी कर दिया जाय। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, एक बार फिर कहूंगा कि पंचायतों की माली हालत अभी साल-दो साल तक ऐसी नहीं होगी कि वे इस बोझ को खुद उठा सकें। इसलिए सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि वह माकूल इन्तजाम इस सिलसिले में करे।

एक बात मुझे फ़ेमीन रिलीफ़ (दुर्भिक्ष-सहायता) के बारे में और कहना है। पिछले साल सूखा होने के कारण सरकार ने विशेषकर पूर्वी जिलों में, गोंडा, बस्ती, बहराइच वग़ैरह में टेस्ट वर्क्स (परीक्षा कार्य) खोले थे। श्रीमन्, टेस्ट वर्क्स में मज़दूरी बहुत कम मिलती है। कहा यह जाता है कि कम मज़दूरी देने से इस बात का अन्दाज़ होता है कि वाक़ई तक़लीफ किस दर्जे तक है। सरकार चाहती है कि १० आने में मामूली आदमी उस क्षेत्र में, जहां डेढ़ सेर का गेहूं और १ सेर ४ छटांक और १ सेर ६ छटांक का चावल मिलता है, दिन भर मेहनत से काम करे। और अगर लोग काम करने नहीं आते हैं तो सरकार का यह ख्याल होता है कि तक़लीफ नहीं है क्योंकि अगर वाक़ई तक़लीफ़ होती तो १० आने में आधा पेट खाना पानी के लिए ही लोग काम करने आते। पिछले वर्ष भी सरकार ने टेस्ट वर्क्स खोले थे। लोग नहीं आये और वे टेस्ट वर्क्स बीच में ही बन्द कर दिये गये थे। इस वर्ष वे खोले गये और वहां कुछ आये और जो सरकार का अंदाज था उससे ज्यादा लोग आये। जाहिर है कि वह इस बात का चिन्ह है कि वहां तकलीफ है, वहां मुफलिसी है और वहां लोगों को तंगी है। तो मैं यह अर्ज़ करूंगा कि इस प्रकार की तंगी में सरकार को कुछ ज्यादा हिम्मत से काम लेना चाहिये और जिम्मेदारी से भी। यह जो १० लाख रुपया रखा गया है, अगर हम गौर करें तो यह १० लाख रुपया एक जिले में

नहीं बल्कि ६, ७, ८ जिलों में खर्च होगा तो वह नहीं के बराबर रह जाता है। गोंडा जिले की, या बहराइच जिले की जिस जिले के फेमीन रिलीफ (दुर्भिक्ष सहायता) के मंत्री जी भी रहने वाले हैं, जो जरूरत है वह महज ५०, ६० हजार रुपये से नहीं पूरी हो सकती। आज भी मशहूर है कि महंगाई का पुल है, सूखा का पुल है, या महंगाई के जमाने में यह सड़क बनाई गई वगैरह वगैरह। तो सरकार को ऐसे समय में कोई बड़ी स्कीम लानी चाहिये जिसमें ५०, ६० हजार नहीं बल्कि १०, २० लाख रुपया खर्च हों जिससे कि वहां के लोगों की दिक्कत भी दूर हो और पब्लिक के फायदे का कोई काम भी हो जाय। हमारे देश का यह इतिहास रहा है कि कितनी दफा कितने पुल, कितने तालाब, कितनी सड़कें सूखे के जमाने में बनाई गईं। तो इस किस्म का कोई इन्तजाम सरकार की तरफ से होना चाहिये। यह जो इतनी थोड़ी रकम सरकार की तरफ से मांगी गई है, मैं उसकी तफसील में जाता नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया कि वह कहीं ६५ हजार है, कहीं ३५ हजार है, तो वह ठीक नहीं है। अगर आपने ६५ हजार रुपया खर्च किया और १० आने मजदूरी दे दी तो आप गौर करें कि दो हजार आदमियों को भी रिलीफ (सहायता) नहीं पहुंचाते हैं। जहां आदमी बेकारी की वजह से परेशान हैं वहां हम इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा सकते। बेहतर यह है कि ऐसे मौके पर हम कुछ इस तरह की स्कीम लायें जिससे लोगों को ज्यादा फायदा हो।

एक करोड़ की रकम, श्रीमान्, इसमें ग्रेन (अन्न) खरीदाई के सिलसिले में मांगी गई है। मुझे दुख है कि मैं इस सिलसिले में नहीं देख सका कि इसमें कितना रुपया साधारण बजट में मंजूर किया गया था। संभवतः ३ करोड़ था। महामान्य राज्यपाल के संबोधन में भी इसका जिक्र था। ७-८ लाख रुपये की बचत होगी और ९२ लाख रुपये का घाटा रह जायगा। मैं समझता हूं कि यह ९२ लाख रुपया उस ३ करोड़ के अलावा है। मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में इस राज्य का ४ करोड़ रुपया इस वर्ष के अन्दर खर्च होगा। आजकल अनाज का भाव गिर रहा है, हर तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं और ४ महीने से अनाज का भाव गिर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि भाव गिरे और वह इतना ज्यादा गिरे कि साधारण आदमी भर पेट खाना खा सके और उस सिलसिले में यह जाहिर सी बात है कि यह कंट्रोल वगैरह की बात कम रह जायगी। सरकार के भी इस सिलसिले में कमिटमेंट्स (वायदे) हैं और वह विदेशों से अनाज मंगा रही है और यहां की कमी को पूरा करती है। विदेश से जो अनाज आता है वह २० रुपये से ज्यादा कीमत पर बम्बई में आकर पड़ता है और दो-ढाई रुपया फी मन भाड़े वगैरह में लग जाता है। गर्ज यह कि यू० पी० में पहुंचते-पहुंचते उसकी कीमत २२, २३ रुपये फी मन हो जाती है और उससे बहुत ज्यादा नुक़सान होता है। इस सिलसिले में यह जो ९२ लाख का और नुक़सान हुआ तो मालूम यह होता है कि कुछ स्टोरेज वगैरह में सरकार को दिक्कत थी। उसमें लिखा हुआ है कि तमाम नुक्सानात भाड़े में, ट्रांस्पोर्ट (यातायात) वगैरह वगैरह में हुए। तो इस किस्म के नुक़सानात हमें कम करना चाहिये और मैं यह अर्ज करूंगा कि सरकार को यह तजुर्बा है कि जब कम्पलसरी लेवी (अनिवार्य उदग्रहण) करते थे तो उसके मुक़ाबले में जब मोनोपोली प्रोक्योरमेंट (एकाधिकार संग्रह) उन्होंने किया तो अधिक अनाज उन्होंने वसूल किया। दिक्कत भी कम हुई और परेशानी भी कम हुई और आज इस प्रदेश के बाजारों में अनाज का भाव जो सरकार का कंट्रोल का भाव है उससे कम पर हर चीज बिक रही है। गेहूं ढाई सेर का सरकार का भाव है, पर बाजार में पौने तीन सेर, तीन सेर, सवा तीन सेर का गेहूं आसानी से मिल जाता है। चावल की भी यही हालत है। चने की भी यही हालत है। तो ऐसी सूरत में बजाय इसके कि हमारे प्रदेश की जो कमी है वह दूसरे देशों से अनाज को मंगा कर पूरी की जाय और उसके दाम यहां के दामों से ६–७ रुपया मन अधिक दाम दें, यह बेहतर होगा कि

[श्री त्रिलोकी सिंह]

इसी प्रदेश के अन्दर सरकार का ध्यान अपने प्रोक्योरमेंट (संग्रह)की तरफ रहे और वह तरीका मोनोपोली प्रोक्योरमेंट (एकाधिकार संग्रह) का होना चाहिये, जैसा कि इस समय चल रहा है। तो यह जो लास (हानि)अनाज के सिलसिले में, हुआ है जो नुकसानात हुए हैं उनको कम करने के क्या उपाय हैं, क्या तरकीब सरकार ने सोची कि आइंदा इस किस्म के नुक़सान नहीं होंगे, इस डिमांड के सिलसिले में बताया नहीं गया। आइंदा हो सकता है कि फिर ऐसे नुक्सानात हों तो जिन वजूहात से वह नुक्सानात हुए उन पर गौर करके साल आइन्दा में वह नुक़सानात न हों वह तरकीब सरकार के सामने होनी चाहिये और उसका सुझाव इस आदरणीय सदन के सामने भी होना चाहिये ताकि हमें यह इत्मीनान हो कि जो रुपया सरकार ने मांगा है वह रुपया जरूरी था और उसके बिना काम नहीं चल सकता और आइन्दा साल के लिये सरकार की तरफ से इस प्रकार का इन्तजाम होगा कि इस किस्म के नुक्सानात न हों।

श्रीमन्, जैसा कि मैंने शुरू शुरू मे अर्ज किया था इस सप्लीमेंटरी डिमांड्स में ज्यादातर रक़म उन्हीं कामों के लिये मांगी गई है जिसमें थोड़ी बहुत कमी मामूली तरफें में सरकार को दीख पड़ी। कोई बड़ी स्कीम्स और नई स्कीम्स इस सिलसिले में नहीं आई हैं। तो मैं यही आशा भी करता था कि किसी बजट की खूबी इसी में है कि वह साल भर का पूरा अनुदान उनके सामने होना चाहिये और कोई ऐसी एक्सेप्शनल (असाधारण)बात हो, अजीब बात हो, बहुत जरूरी बात हो कि आप उनको नये आइटम्स आफ एक्सपेंडीचर (व्यय की मदें) तमाम साल के अन्दर लाना चाहें, खास कर जब इस आदरणीय सदन का जो समय है वह भी समाप्त हो रहा है तो ला सकते हैं। इस सिलसिले में मुझे माननीय मुख्य मंत्री को एक और विशेष बात की तरफ अपनी बात को समाप्त करने के पहले तवज्जह दिलानी है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो उस मोहकमे के कर्मचारी हैं उनको सालाना तरक्की देने के सिलसिले में दो लाख रुपये की रक़म की मांग की गयी है। सालाना तरक्की का अन्दाज़ साल भर पहले न हो पाये यह एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। सालाना तरक्की उन्हीं कर्मचारियों को दी जाती है जो साल भर नौकरी कर चुकते हैं और उनका इनक्रीमेंट ड्यू(वेतन-वृद्धि देय) होता है। नये अहलकारों को तरक्की नहीं दी जाती। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में किस की भूल से तरक्की रुक गयी इसका कोई जिक्र हमारे सामने इस मैटर में जो पेश किया गया है नहीं दिया गया। मैं यह आशा करूंगा कि इस प्रकार का एक्सपेंडीचर(व्यय)यह जरूर है कि लाजमी है, तरक्की वाजिब तारीख पर उनको देनी चाहिए, लेकिन यह कि बजट के बनाते समय इस प्रकार की खबरदारी से काम लेना चाहिये ताकि इस प्रकार की भूलें कि ऐसे मामूली आइटम्स आफ एक्सपेंडीचर (व्यय की मदें) जैसे किसी ड्यू इन्क्रीमेंट का उल्लेख बजट में न होना, भविष्य में न हों।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री कुशलानन्द गैरोला--अध्यक्ष महोदय, मैं चन्द शब्द जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है उस पर हमारे विरोधी दल के नेता ने जो अल्फाज कहे हैं मैं उसके सिलसिले में कहना चाहता हूं। मैं आपको थोड़ी देर सी के लिये दुनिया के उस कोने पर ले जाना चाहता हूं जिस की शायद आप कल्पना भी न करते हों। यह है पहाड़ों के ऊपर क्षितिज के उस पार, जहां पर शायद आपने अखबार में पढ़ा होगा कि इंडो-तिब्बतन बार्डर पर बड़े जोर से हमारे जो कम्युनिस्ट भाई हैं वह आगे बढ़ रहे हैं। मैंने एक वक्तव्य में इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाया था कि हमारे इंडो-तिब्बतन बार्डर की परिस्थिति गम्भीर है। हमारे यहां यातायात के जो साधन हैं वे बहुत कम हैं, अपूर्ण हैं। मैंने यहां भी कहा था कि जहां तक हो सके जो बद्रीनाथ-केदारनाथ की सड़क है या जो गंगोत्री यमुनोत्री की सड़क है ये गवर्नमेंट हाई-वेज डेक्लेयर

(घोषित) कर दिये जायं, क्योंकि हमारे प्रांत के पास इतना धन नहीं है कि तेजी के साथ हमारे यातायात विशेषकर के जो मोटर की सड़कें हैं उनको बढ़ा सकें। वहां एक मील की सड़क पर ६० हजार से एक लाख रु० तक लगता है और इस फाइनेंशल स्ट्रिजेंसी (आर्थिक संकट) में यह बड़ा मुश्किल है कि इतना रुपया पहाड़ों की सड़कों पर खर्च कर सकें। लेकिन जब कि ऐसी गम्भीर परिस्थिति है तो कुछ करना ही होगा। आपने सुना होगा कि लासा से बांकट तक आठ सौ से बारह सौ मील की सड़क एक साल के अन्दर बन गयी है और तिब्बतन जो बार्डर्स हैं उन पर कम्युनिस्ट फ़ोरसेज दिन-प्रति दिन आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो यह चीज हमारे लिये बहुत खतरनाक है। आप की सात-आठ आउट-पोस्ट्स (चौकियां) हैं। वहां जो भी आदमी जाते हैं उनको सुविधा नहीं है। वहां की हालतों में वे रह नहीं सकते हैं। वे बहुत ही बड़े संकट में हैं। मैंने पिछली दफा अर्ज किया था कि जैसे कि इस समय आसाम कांस्टेबुलरी है उसी तरह से वहां पर भी आप के जो अब तक प्रान्तीय रक्षक दल के लोग हैं यहां के लिये बार्डर फोर्सेज की तरह से रेक्रूट किये जायं। गवर्नमेंट के पास शायद इस तरह की एक स्कीम है। लेकिन उसकी स्वीकृति हुई है या नहीं हुई है इसका जिक्र मैंने यहां नहीं देखा है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि यह खतरा जो दिन-प्रति दिन बढ़ता चला आ रहा है इससे हमें सतर्क होना चाहिये।

दूसरी चीज मैं अपने शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि सन् १९४६-४७ ई० से मैंने बराबर कहा और माननीय शिक्षा मंत्री ने मुझे आश्वासन भी दिया। हमारे गढ़वाल में एक कालेज की मांग थी, जिसको कि उन्होंने सन् १९४६-४७ ई० के बजट में स्वीकार भी किया था और हमें आश्वासन भी दिया गया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह मांग कल्पना ही रही और आश्वासन भी कल्पनावत् ही रहा। मैं आशा करता हूं कि पौड़ी, श्रीनगर, देवप्रयाग, कर्ण प्रयाग, चमोली जहां पर भी वह चाहें इसको कायम कर दें। आप यह न देखें कि वहां की जनता एकमत से निर्णय कर के दे तो ऐसा होना बड़ा कठिन है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ों में छोटी-छोटी लोकल प्राबलेम्स (स्थानीय) होती हैं। किसी को अपनी शिक्षा की फिक्र है, किसी को अपनी खेती की फिक्र है, किसी को अपने पानी की फिक्र है, उसी चीज में लोग पड़े रहते हैं और वह उससे आगे उठ भी नहीं सकते। उन को वहां पर यह प्राबलेम्स बड़े महत्त्व की मालूम पड़ती हैं।

मैं आपसे अर्ज करूंगा कि गढ़वाल के लिये जो कालेज खोलने का आपका आश्वासन है उसके लिये आप इस साल कम से कम एक टोकिन ग्रांट प्रतीक अनुदान रख सकते हैं। क्योंकि जब कभी भी मैंने डिपार्टमेंट से कहा है तब ही मुझको यह जवाब मिला है कि हम चाहें तो कल ही कालेज खोल सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी कहां से आयेंगे। अभी से आप आयोजना कीजिये तो मैं समझता हूं कि काफी विद्यार्थी मिल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस ओर हमारे शिक्षा मंत्री जी का ध्यान होगा।

दूसरी चीज यह है कि शिक्षा के प्रसार के अन्तर्गत यानी ५ साल की योजना के अन्तर्गत लोगों ने अपने पैसे से प्राइमरी स्कूल्स खोले और आप जानते हैं कि शिक्षा प्रसार की योजना पर्वतीय इलाकों में बड़े भारी पैमाने पर आगे बढ़ी। लोगों के दिलों के अन्दर ज्वालामुखी है और उन्होंने कितना शिक्षा का प्रसार किया है। लेकिन आपने कुछ आश्वासन दिये थे उनको आपने पूरा नहीं किया। अभी भी पौने दो लाख रुपये की रक़म आपके पास बाकी है। आपने कुछ रुपया प्राइमरी स्कूलों को देने के लिये स्वीकार किया था। लोगों ने इमारत तक बनवा ली है और उनकी छतें टूटने जा रही हैं। जो इंसपेक्टर आफ स्कूल्स ने पौने दो लाख रुपये की रक़म भेजी है जिसका पैमेंट (भुगतान) होना अभी बाकी है उसका ध्यान रखा जाय।

तीसरी चीज मैं एग्रीकल्चरल सर्वे के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं। सन् १९११ ई०में पर्वतीय इलाकों में जितनी भी तरक्की एग्रीकल्चर की हो सकती थी वह हो गई। लेकिन ताज्जुब होगा

[श्री कुशलानन्द गैरोला]

कि अभी टेहरी के लिये एक फारेस्ट सेटिलमेंट की आयोजना की गयी थी। वहां पर मैंने लोगों की अर्जियां देखीं तो हजार-ग्यारह सौ अर्जियों में से ९०० अर्जियां ऐसी हैं, जो फारेस्ट के लिये नहीं बल्कि जमीन के सिलसिले में हैं। यानी वहां पर फारेस्ट की इतनी प्राबलम नहीं है जितनी कि लोगों को खेती की भूख है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट उनकी इस समस्या को हल करे और जो भूमिहीन हैं उन लोगों को कहीं न कहीं जमीन मिलनी ही चाहिये।

दूसरे इसी के संबंध में मैं अर्ज कर रहा था कि हिल एरियाज (पर्वतीय क्षेत्रों) में जितनी भी ज्यादा से ज्यादा तरक्की कृषि की हो सकती थी वह १९११ में हो चुकी है और कृषि हो रही है। लैण्ड स्लाइड्स वगैरा हो रहे हैं जिनसे बाढ़ें आ रही हैं और देश को नुकसान पहुंच रहा है। एक छोटा सा एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) टेहरी सरकार ने किया था। हम अर्ज करना चाहते हैं कि हिल एरियाज के लिये एक एग्रीकल्चर सर्वे करायें। जितनी वैलीज (घाटियां) हैं उनमें हार्टीकल्चर (उद्यानीकरण) की स्कीम है। उनमें आपने हार्टीकल्चर के इन्सपेक्टर रखे हैं। लेकिन पहाड़ों की ऐसी परिस्थिति है कि वहां पर लोग जा नहीं सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने हमारे मंत्रीगण हैं या आफिसरान हैं वह अब तक गढ़वाल या नैनीताल वगैरह के इलाकों में एक दफा भी गये हैं? एक दो चार मिनिस्टर साहबान जरूर पहुंचे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। अगर हमारे मंत्रीगण वहां जायें और स्वयं वहां की परिस्थिति को देखें तो वहां की बहुत सी समस्यायें हल हो सकती हैं, क्योंकि न तो आफिसरान ही रिपोर्ट दे सकते हैं और न मंत्रीगण को ही एक नीति निर्धारित करने में सुभीता हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि अपने कार्यकाल में हर एक मंत्री एक दफा इन इलाकों को देख सकेगा। और अफसरों को भी साल में कम से कम एक टूर (दौरा) तो इन इलाकों का करना चाहिये तभी हमारे पहाड़ों की जो परिस्थिति है वह समझ सकती है क्योंकि यहां और वहां में बहुत अन्तर है।

इसके अनन्तर डी० डब्ल्यू० डी० का जो बजट पिछले साल डिसकस (चर्चा) हुआ था उसमें मैंने यातायात मंत्री से अर्ज किया था कि हमारे यहां यातायात की सुविधायें बहुत जरूरी हैं। जो परिस्थिति वहां की है उसमें वहां पर १२ छटांक, १४ छटांक और कभी कभी तो ८ छटांक तक का अनाज मिलता है। वहां लोगों में पेइंग कैपेसिटी (देय क्षमता) नहीं है। इसलिये आपको जितनी फर्स्ट, सेकन्ड, थर्ड फेजेज की स्कीम्स हैं उनको वहां शीघ्र से शीघ्र लें और वहां अनाज आदि जितनी भी सुविधायें पहुंचा सकते हैं पहुंचावें। वहां तीस, चालीस और पचास रुपये तक अनाज ले जाने में मोटर रोड से लगता है बद्रीनाथ और केदारनाथ तक पहुंचाने के लिये। बद्रीनाथ और केदारनाथ की सड़क जो है, उसका जब से प्रान्तीयकरण हुआ है तब से मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक शायद कभी उसकी रिपेयर्स भी हो जाती थीं लेकिन एक साल के अन्दर उसमें जो लद्दाख वैली है या ऐसी ही और जगहें हैं उनमें एक भी रिपेयर्स नहीं हो पाई। मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारे आफिसरान वहां पहुंच नहीं पाते और यही वजह है कि वहां यह तकलीफें हैं। सड़कों की हालत तो यहां तक खराब है कि आलू वहां ४० और ३५ रुपये मन बिकता है। अगर यातायात की सुविधा होती तो जो यहां १२ आने १४ आने सेर आलू बिकता है वह न बिकता। स्कार्च पोटेटो जो बहुत अच्छे किस्म का आलू होता है वह यहां पहुंच नहीं पाता और वहां सड़ता है। इसी तरह से बहुत से टेहरी के इलाके हैं जहां बहुत अच्छा सेब होता है जिनको गोल्डन एपिल कहते हैं, वह वहां सड़ते हैं लेकिन आपके पास तक नहीं पहुंच पाते। तो पहाड़ों के लिये आपको विशेष प्रयत्न करना है और मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि वह वहां के यातायात के लिये विशेष ध्यान दे और मोटर की सड़कों का प्रबन्ध करे क्योंकि जब तक मोटर सड़कों का जाल नहीं बिछ जाता तब तक आप वहां की समस्या को हल नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य कृपया तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करें। उनके लिये और उनके बाद बोलने वालों के लिये मैं १५ मिनट का समय नियत करता हूं।

श्री कुशलानन्द गैरोला—तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यातायात की ऐसी समस्या है जिसकी तरफ गवर्नमेंट को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। इसके अतिरिक्त हमारे यहां कुछ विशेष सड़कें हैं जैसे रुद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनि तक। कुछ दूर तो वह तैयार है लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो ११ मील की सड़क बन गई है उसकी भी माइनर रिपेयर्स (साधारण मरम्मत) ठीक से न होने के कारण ट्रांसशिपमेंट (परिवहन) नहीं हो पाता। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसको ठीक कराकर इस तरह से आगे बढ़ाइये कि उससे आगे केदारनाथ तक सड़क जा सके।

तीसरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था वह यह है कि हमारे यहां जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि हमारे यहां पर पंचायत राज्य, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आदि ऐसी जितनी संस्थायें हैं इनक कोआर्डिनेशन (सहयोग) के लिये कोई प्रयत्न आवश्यक है। आपकी पंचायतें और आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्डस कई-कई स्थानों पर एक ही से कर लेते हैं और एक ही सी उनकी बहुत सी योजनायें हैं। मैं समझता हूं कि विशेष तौर से पर्वतीय इलाके में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ठीक तौर से काम नहीं करता है। उनकी आमदनी कुछ होती नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि पर्वतीय इलाके में अगर हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का फेडरेशन आफ पंचायत बना दें तो बहुत सी चीजें हमारी सुलभ हो जायंगीं। मैं तो एक क़दम और आगे जाता और वह यह है कि जैसे डेवलपमेंट स्कीम्स हमारी चल रही हैं, जैसे पशु-पालन, चिकित्सा, ग्राम उद्योग ये जो चार पांच विभाग हैं उनको अगर एमलगमेट (एकीकरण) करके एक कर दें तो आपका बहुत सा खर्चा बच जायगा और आपके अफसरान जैसे डिप्टी कलेक्टर जिनके पास कोई काम नहीं रह गया है उनको अगर एक चेकिंग आफिसर की तरह से नियुक्त कर दें और वे वहां की प्रोग्रेस (उन्नति) के बारे में रिपोर्ट करें तो जो ओवरलेपिंग आफ वर्क होती है वह बच जायगी। वही काम चिकित्सा विभाग करता है, वही कार्य पशु-पालन विभाग कर रहा है और वही कार्य ग्राम उद्योग विभाग। इस विषय में ज्यादा न कह कर मैं आपसे केवल यही प्रार्थना करूंगा कि इन सब विभागों को मिला कर एक में एमलगमेट (एकीकरण) कर दिया जाय, उससे आप देश का ज्यादा फायदा कर सकेंगे।

अन्त में मुझे सिर्फ एक चीज़ यह अनुरोध करनी है कि हमारे यहां पहाड़ों पर जितने भी आफिसर भेजे जाते हैं, विशेष कर पनिशमेंट दण्ड के बतौर भेजे जाते हैं। जैसे ही उनका तबादला हुआ वह यह समझते हैं कि उनको काला पानी हो गया और उससे बचने के लिये वह यह करते हैं कि किसी तरह से वहां से छुटकारा मिले। जो आफिसर वहां जाता है वह एक तरह की नादिरशाही करता है और और ५०, ६० मील तक वहां कोई कार भी नहीं पहुंच सकती, लिहाजा आपको कुछ खबर भी नहीं होती। मैं समझता हूं कि जो आफिसर वहां भेजा जाय उसको हिल एलाउन्स मिलना चाहिये और जिस तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट में होताहै उसी तरह से दो साल के लिय इन अफसरों के लिये पहाड़ पर काम करना लाजमी करार दे दिया जाय और वहां काम करने के बाद ही उनको प्रोमोशन दिया जाया करे तो इससे वह खुशी से काम करेंगे वरना वह बराबर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि हमको पनिश्मेंट (दंड) के बतौर पहाड़ भेज दिया गया और इससे आपको बड़ा नुकसान होता है। मुकदमों की २०, २० तारीखें पड़ती रहती हैं और लोगों को परेशानी रहती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन चीजों पर ध्यान देगी।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरक अनुदानों के संबंध में यह कहना है कि पिछले साल हमने डढ़ करोड़ के पूरक अनुदान दिये और इस साल ७ करोड़, ४६ लाख के ये अनुदान हमको देने हैं। इस तरह से कुल मिला कर अब तक ९ करोड़ रुपये की, पूरक अनुदान के रूप में नई मांगें पास करनी पड़ीं। किसी भी बजट के संबंध में मेरा हमेशा यह ख्याल रहा है कि आंकड़ों का जोड़ बाकी ठीक मिला देना मुनासिब बात है लेकिन किसी भी बजट की सफलता और विफलता हमको इस बात से देखना चाहिये कि जिस उद्देश्य के लिये रुपयों की मंजूरी की गयी थी वह उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं। मेरा अपना ख्याल यह

[श्री राजाराम शास्त्री]

है कि इस निगाह से अगर बजट को और इन पूरक अनुदानों को देखा जाय तो मुझे तो इस संबंध में यह कहना पड़ता है कि वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है। बल्कि यह बात देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है कि हुकूमत की करीब-करीब यह आदत सी हो गयी है कि प्रत्येक चीज के लिये वह अपनी तारीफ का ढिंढोरा पीटती है जब मैं पूरक अनुदानों के विषय में यह साहित्य पढ़ रहा था तो आबकारी विभाग के बारे में यह पढ़ा कि प्रभावशाली ढंग से उसका प्रचार किया गया और उसके विषय में गवर्नमेंट ने जोरदार क़दम उठाया। उसके लिये ५० हजार रु० के कार्यकर्त्ता भी मांगे गये। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत कितना भी इस बात के लिये प्रचार करे कि उसने बहुत ही प्रभावशाली कदम उठाया है, जितना रुपया इस मद में खर्च किया गया है उसका कोई खास असर इस सूबे पर नहीं पड़ा है। आप किसी भी शहर में चले जाइये, खास तौर से उन शहरों में जहां पर कि मद्यनिषेध है, तो मेरा अपना ख्याल है कि वहां पहिले की अपेक्षा वह कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा है चाहे आंकड़ों में वह न बढ़ा हो। जब हमारे आबकारी मंत्रीजी खुद बजट पेश करेंगे तो आपको यह मालुम हो जायगा कि इस सरकार को ऐसा कमाल हासिल है कि मद्यनिषेध का जितना ही ढिंढोरा पीटा जाय उतनी ही आमदनी सरकार की ज्यादा बढ़ती जाती है। यह चीज मेरी समझ में नहीं आती है। जब मद्यनिषेध का आपका दायरा बढ़ता जाता है फिर आपकी आमदनी कहां से बढ़ती जाती है वाक़या यह है कि आप किसी शहर को ले लीजिये, मैं अपने ही शहर कानपुर की कहता हूं वहां भी गवर्नमेंट की तरफ से मद्यनिषेध घोषित है। वहां पर इसमें कोई भी कमी नहीं हुई है। वहां लोग शराब पीते हैं और बड़े भद्दे ढंग से। मुझे तो कभी कभी लोगों के मुंह से यह सुनकर बड़ा दुख होता है कि वे टिचर पी कर आये हैं। गवर्नमेंट को भी ये सब बातें पता हैं लेकिन वह यह समझती है कि चूंकि वह वचनबद्ध है इसलिये मद्यनिषेध तो चलना ही चाहिये। महात्मा गांधी के सामने वह वचन बद्ध है इसलिये उसको ऐसा करना ही चाहिये। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप सच्चाई से इस बात को मानते हैं तो मजबूती के साथ कदम उठाइये। अगर आप समझते हैं कि मद्य खोरी बुरी चीज है और हुकूमत इस बात को मानती है तो उसको समूचे सूबे में नशा खोरी को बन्द कर देना चाहिये। और अगर वह समझती है कि ऐसा नहीं हो सकता तो वह दिखावटीपन को छोड़ दे। मैं तो इसको ज्यादा पसंद करूंगा। यह नहीं कि ५०--५१ जिलों में से केवल ११ जिलों में आप लगाये हुये हैं। यह नहीं कि आप ११ जिलों में लगा कर महात्मा गांधी को दिखायें कि हम आपके क़दमों पर चल कर नशाखोरी को बन्द कर रहे हैं। कम से कम ईमानदारी तो रहे कि आप क्या करना चाहते हैं, यह नहीं कि आप गुनाह तो करते जायं लेकिन प्रचार यह करें कि नहीं कर रहे हैं। इस दुरंगी नीति को आप छोड़ दें।

जहां तक श्रम का ताल्लुक है इस संबंध में मुझे यह कहना है और खासतौर से मैं बरसों से मजदूरों के संबंध में बातें कहता आया हूं और बराबर मैंने यह कहा कि श्रम को उचित स्थान मिलना चाहिये। यद्यपि उसके संबंध में कुछ तरक्की हुई है लेकिन आजकल की समाज-व्यवस्था में जो स्थान उसे मिलना चाहिये वह स्थान नहीं मिला है। मैं यह देख रहा हूं कि कभी तो इस विभाग का ताल्लुक माननीय शिक्षा मंत्री जी के सुपुर्द कर दिया जाता है, कभी माननीय न्यायमंत्री के और कभी किसी दूसरे के मतलब यह है कि इस विभाग की कोई अहमियत नहीं समझी जाती जितनी कि समझनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर इसको उचित स्थान दिलाना है, तो इसका एकमात्र तरीका यही है कि यह भवन उसके महत्व को स्वीकार करे। मुझे इन आंकड़ों को देखने से बड़ी खुशी हुई कि हुकूमतका ध्यान इस ओर जरूर है। श्रम विभाग में अभी तक एक हजार पद थे। उनमें से २२८ पद तो स्थायी थे और ७४९ अस्थायी थे। अब हुकूमत ने यह महसूस किया कि केन्द्रीय सरकार भी कुछ कानून बनाती है और हमारे यहां भी काम बढ़ता जा रहा है इसलिये ७४९ जो अस्थायी पद थे उनमें से ५८४ पदों को अब हुकूमत स्थायी करने जा रही है। इससे मेरा यह ख्याल होता है कि हुकूमत यह महसूस करती है कि मजदूरों का काम, मजदूरों के कल्याण का काम ऐसा नहीं है जिसको यों ही टाल दिया जाय। हमने तो देखा है कि इतने

रोज से एक हजार पद वैसे ही चले आ रहे थे। वर्षों गुजर गये मगर उनको स्थायित्व नहीं दिया जा सका लेकिन हमें खुशी है कि हुकूमत ने अब इसको महसूस किया कि श्रम विभाग भी एक ऐसा विभाग है जिसको बहुत कुछ स्थायित्व देना पड़ेगा। श्रम की जो बात है, मजदूरों के कल्याण की जो बातें हैं, वे ऐसी चीजें हैं जिनकी ओर गवर्नमेंट को ध्यान देना ही पड़ेगा। हां, इतना मैं जरूर कहूंगा कि श्रम विभाग काफी मशीनरी बढ़ाता जा रहा है लेकिन रुपया भी उस पर खर्च हो रहा है।

मालिक और मजदूरों का संबंध कारखानों के अन्दर अच्छा हो उस संबंध में मुझे केवल यह कहना है कि अगर आज आप कारखानों के अन्दर जाकर देखें तो मालूम होगा कि मजदूर और मालिक का संबंध अच्छा नहीं है। हां, हुकूमत यह बात कह सकती है, अपने दिल की खुशी जाहिर कर सकती है कि कोई हड़ताल नहीं हुई, असंतोष की बात ऊपर से दिखायी नहीं पड़ती है। इस विभाग के कितने भी आंकड़े पेश किये गये उससे आपने यह साबित किया और अपनी मशीनरी का भी जिक्र किया जिसकी वजह से अब स्थायी शान्ति प्राप्त हो गयी। मैं यह चाहूंगा कि शासन के अन्दर कुछ काम करने के तरीके ऐसे किये जायं जिसकी वजह से जो प्रभाव आप डालने वाले हैं कि मालिक और मजदूरों का संबंध अच्छा हो, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाय। जो भी हमारे नये श्रम मंत्री हों उनसे मैं केवल यह दरख्वास्त करूंगा कि काम करने का दिया जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है उसके बजाय इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय कि कारखानों के अन्दर मालिक-मजदूरों का संबंध अच्छा हो और उसी वक्त स्थायी शान्ति हो सकती है वरना नहीं हो सकती है।

मैंने यह भी देखा कि कानपुर डेवलपमेंट का भी जिक्र आया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह का भी जो काम होता है, हम लोग लाखों रुपया मंजूर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि लाखों रुपये कैसे खर्च हुये? उसका परिणाम जो हुआ उस पर विचार करें तो देखेंगे कि वास्तव में कुछ नहीं हुआ है। मैंने सूबे का दौरा किया है और अबकी बार चुनाव के मौके पर माननीय मंत्रियों को भी देहातों में जाने का मौका मिला होगा और मेरा अपना ख्याल यह है कि इतने वर्षों तक के आंकड़े मिला कर आपने साबित कर दिया कि वास्तव में बहुत अच्छा काम हुआ है, इतनी सड़कें बनी हैं, इतनी ये चीजें बनी हैं लेकिन वास्तव में देहातों की दशा क्या है? कितनी सड़कें बनी हैं इसका अन्दाजा तो माननीय सदस्यों को अब की बार निश्चित-रूप से मिल गया होगा और मैं यह कह सकता हूं कि और कामों की अपेक्षा इस बात की ओर गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे। देहातों के अन्दर जहां तक यातायात का ताल्लुक है, सड़कों के प्रबन्ध का ताल्लुक है इस बात की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब बरसात नजदीक आती है, तब कितने गांव ऐसे मिलते हैं, जो बिलकुल दुनिया से कट आफ (संबंध-विच्छेद) हो जाते हैं, वहां जाना मुश्किल हो जाता है, कोई रास्ता नहीं होता है। ये चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं गवर्नमेंट से अर्ज करूंगा कि मैं ने लखनऊ और कानपुर की सिविल लाइन्स को देखा है, हमने उन सड़कों को देखा है कि उन पर कितना खर्च होता है। जनता जहां पर परेशान है उसकी तरफ ध्यान कम है और जहां पर जनता ज्यादा सुखी है, जहां बड़े-बड़े लोग रहते हैं उनको और भी सुखी करने की कोशिश की जाती है। मेरा कहना यह है कि शासन का यह दृष्टिकोण होना चाहिये कि, जो लाखों करोड़ों रुपया हम बजट पेश करके खर्च करने की मंजूरी मांगते हैं उसका खर्च बहुत ढंग से हो, जहां पर खर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो वहां पर खर्च किया जाय और जहां पर काम चल सकता हो वहां पर बाद को खर्च किया जाय। जिससे जनता का ज्यादा लाभ हो उसका विचार सब से पहले होना चाहिये।

मैंने देखा कि जब हमारे प्रधान मंत्री माननीय पं० जवाहर लाल जी कानपुर में पधारे तो वहां पर वैसे तो सिविल लाइन बहुत अच्छी है बड़े-बड़े बंगले बने हैं, बड़ी-बड़ी कोठियां बनी हैं, रईसों के आलीशान बंगले हैं और आप देखकर यह कह सकते हैं कि कानपुर बड़ा आलीशान शहर है, लेकिन हम को इस बात की खुशी है कि जब पं० जवाहरलाल जी वहां पर गये तो उन्होंने मजदूरों के अहातों में भी जाने की तकलीफ गवारा की। तब उनको मालूम हुआ

[श्री राजाराम शास्त्री]

कि असल में हुकूमत में क्या किया। उन्होंने इस बात को कहा कि मुझको यह विश्वास नहीं होता है कि कोई आदमी यहां पर कैसे रह सकता है। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि आप जो पैसा खर्च करते हैं वह गरीब जनता तक कैसे पहुंचता है। अगर वह जनता तक नहीं पहुंचता है तो उससे कैसे गरीबों का लाभ हो सकता है। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ सरकार से कहूंगा कि आप अपने काम करने के तरीके को कुछ बदलिये और इस बात को देखिये कि जितना रुपया गवर्नमेंट के पास है वह इस तरीके से खर्च किया जाय कि जहां पर ज्यादा जरूरत हो, जो लोग ज्यादा दुखी हों और जिनको ज्यादा आवश्यकता हो उनको पहले लीजिये और उनकी मुसीबत को दूर करने की कोशिश कीजिये और जहां पर आप देखते हैं कि अभी काम चल सकता है उन कामों को आप बाद को लीजिये। हमें इस बात का दुख है कि लाखों करोड़ों रुपया हम यहां पर मंजूर करते हैं उसमें बहुत ही कम रुपया जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचता है। इसमें से अधिकांश रुपया तो व्यवस्था में ही खर्च हो जाता है। आप हर एक डिपार्टमेंट को देखिये कि उसकी व्यवस्था में कितना रुपया खर्च हो जाता है। इन्सपेक्टर होता है, असिस्टेंट इन्सपेक्टर होता है, डिप्टी इन्सपेक्टर होता है फिर डिप्टी होता है और इसी तरह से बहुत से अफसर रख दिये जाते हैं और हर एक डिपार्टमेंट की यही हालत है। बहुत सारा रुपया इसी व्यवस्था में खर्च हो जाता है और वास्तव में काम कुछ भी नहीं हो पाता है। आप इससे यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना रुपया असल में इसमें बचकर गरीब जनता के हित में लगाया जाता है। अगर इस रुपये का प्रपोर्शन (समानुपात) प्रत्येक डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री साल भर में जबकि वह अनुदान पेश करते हैं उस वक्त यह चीज देखें कि जितना रुपया मंजूर किया गया था उसमें कितना रुपया जनता के हित में लगाया गया और कितना रुपया व्यवस्था में खर्च किया गया तो उनको मालूम हो जायगा कि बहुत थोड़ा हिस्सा गरीब जनता के हित में खर्च किया जाता है। यह तो पहले अंग्रेजी सरकार का तरीका था कि उसके जमाने में लोग भूखों मरते रहें और दुखी रहें उनको किसी तरह से भी परवाह नहीं होती थी लेकिन इस वक्त तो जनता की सरकार है। उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिये। इसलिये मेरा यह कहना है कि अब सरकार को अपना वह तरीका बदलना चाहिये और एक नये दृष्टिकोण से इन बातों पर बिचार करना चाहिये।

हमारी सरकार अब विजयी होकर यहां पर लौटी है। इसका नतीजा यह निकाला जाता है कि जनता ने उसका समर्थन किया है। आप यह कह सकते हैं कि जनता बहुत संतुष्ट है और उसने फिर इसी सरकार को यहां पर भेजा है लेकिन मैं यह कहूंगा कि अधिकांश जनता संतुष्ट नहीं है और मैं इस बात को नहीं मानता कि चूंकि जनता संतुष्ट है इसीलिये उसने अपने वोट से जिता कर आपको यहां पर भेजा है। आप इसको समझें कि जनता खुशहाल है लेकिन मैं इसको नहीं मानता। जैसा कि मेरे मित्र गैरोला जी ने कहा कि हमारी उत्तर की सरहद पर कम्युनिस्ट लोग आ गये हैं और उसका असर यहां पर पड़ेगा। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप कितनी ही कोशिश करें लेकिन कम्युनिज्म जो पैदा होगा वह गरीब लोगों के घर से पैदा होगा, गरीब लोगों की झोपड़ी से पैदा होगा। जिनका पेट भूखा है उनके घर से कम्युनिज्म पैदा होगा। जिनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं और जिनके पास रहने को जगह नहीं है उनके घर से यह कम्युनिज्म पैदा होगा। उसको रोकने का यही सिर्फ तरीका है कि जिसको रोटी की जरूरत है उसको रोटी मिले और जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा मिले। समाज की हालत अच्छी होगी तो यह रुक सकता है। आप इस बात को देखिये कि जितना हमने दिया वह वास्तव में पब्लिक के हित में खर्च हुआ है या नहीं और उसका इस्तेमाल अच्छे ढंग से हुआ है या नहीं और वह जनता के हित में खर्च हुआ है या नहीं। हम चाहते हैं कि यहां पर जो भी बजट पेश किये जायं उनका रुपया सही तरीके से खर्च हो जिसका नतीजा भी अच्छा निकले और लोगों की हालत अच्छी हो और वह अपना काम अच्छी तरह से चला सकें। वर्ना मैं समझता हूं कि अगर हम इसी तरह से आंकड़े पास करते रहे हैं और करते रहेंगे तो देश को जिस तरह का लाभ होना चाहिये वह हम न पहुंचा पायेंगे। अन्त में मैं आशा करता हूं कि जो

आंकड़े पेश किये गये हैं वे सही ढंग से खर्च किये जायेंगे और यह सूबा तरक्की करे यही मेरी कामना है।

श्री भगवान दीन मिश्र--अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदानों के स्मृति पत्र में दुर्भिक्ष सहायता के शीर्षक में बहराइच जिले में कुछ खर्च दिखाया गया है। बहराइच जिले में २ वर्ष से जो सूखे का प्रकोप है और जिस सिलसिले में वहां पर पिछले वर्ष मे कुछ काम प्रारम्भ किया गया था वहां इस वर्ष भी टैस्ट वर्क के नाम पर कुछ काम जारी किया गया है। इस तराई के इलाक़े में १ लाख ४५ हजार रुपया सरकार की ओर से खर्च किया गया और ७५ हजार रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बहराइच ने वहां पर सहायता के रूप में खर्च किया और इसके परिणाम स्वरूप अब जो काम जारी किया गया है उसमें अनुपूरक अनुदान में १ लाख १८ हजार की रक़म देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। जिस टैस्ट वर्क में १ लाख ४५ हजार गवर्नमेंट की ओर से और ७५ हजार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से दिया जाय वहां आज यह रक़म देखकर मुझे ताज्जुब हुआ और वह भी जिस स्कीम में रखा गया है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा जो दी गई सड़कें हैं उनकी मरम्मत करने के लिये रखा गया है। वास्तव में कई बार इसके लिये निवेदन किया गया कि यह जिला एक ऐसा जिला है कि जिस पर अगर थोड़ी सी भी गवर्नमेंट दृष्टि डाले और कुछ सिंचाई का, बांधों का, तालाबों का ऐसा प्रबन्ध करे कि जिनके द्वारा लोगों को सूखे के काल में सहायता मिल सके तो बहुत कुछ अन्न पूर्ति, पेट पूर्ति हो सकती है। जो टैस्ट वर्क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये से किये गये, और उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट महोदय ने जगह जगह पर जो तालाब खुदवाये थे वे बराबर से हो चुके थे या जहां पर नहीं थे वहां तालाबों की पूर्ति कराई, लेकिन अब जो काम जारी किये गये हैं उसमें केवल दो तीन सड़कें ही ली गयी हैं और उसी के लिये १ लाख १८ हजार रुपया रखा है। क्या सरकार इस रक़म को पर्याप्त समझती है कि ऐसी जगह जहां पर क़रीब दो लाख टेस्ट वर्क में खर्च हुये हों जहां पर ३ साल से (तराई में) सूखे के कारण धान की फ़सल जाती रही है वहां पर कहां तक यह रक़म काफ़ी कही जा सकती है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पिछले बजट में भी मैं ने हाथीकुंड के बांध के सिलसिले में निवेदन किया था लेकिन वह सब अरण्यरोदन ही प्रतीत हुआ। उसके बाद मैंने मौके पर वहां जाकर देखा जहां पर बराबर पहाड़ से नाला बहता है। वहां पर अगर बांध हो तो दो काम उससे हो सकते हैं---एक तो यह कि तराई के जो भूखे लोग हैं उनको काम मिल जाय और दूसरे यह कि बांध के बंधने से एक फ़सल तो अनिवार्य रूप से होने लगे और कुछ न कुछ दूसरी फसल में भी पैदा होने लगेगी। मेरी प्रार्थना पर कलेक्टर जिला मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखने के बाद कई रिपोर्ट चीफ़ इंजीनियर साहब के पास भेजीं कि आप किसी इंजीनियर को भेजें और वह इसकी जांच करे। अगर वह उचित समझे कि इससे गांव का भला हो सकता है, एक तो यह कि सूखा की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है और दूसरे वहां की जनता को सहायता पहुंचेगी। सरकार तो यदि ऐसा समझेतो इस कार्य को सरकार हाथ में तुरन्त ले। लेकिन उनके लेख भी के सामने अरण्यरोदन के समान रहे। यहां से कोई नहीं भेजा जा सका। हमारा यह निवेदन है सरकार अच्छी तरह से ध्यान दे और इस समस्या को ठीक करे। १ लाख १८ हजार से वहां की कठिनाइयां ठीक तरह से हल होने वाली नहीं है। वहां की दशा ऐसी है कि जिसे देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां तालाब अधिक से अधिक संख्या में खुदवाये जावें और बांध बनवाये जायें। इससे वहां स्थायीरूप से सिंचाई का प्रबन्ध हो सकेगा। प्रति वर्ष यह सूखा की समस्या नहीं रहेगी। इससे हम वहां की समस्या हल करने में सफल होंगे।

दूसरी बात यह है कि ग्रांट नं० १३ में गांव सभा और पंचायतों का जिक्र है। बड़े अच्छे ढंग से ये संस्थायें चलाई गयीं। इनमें मंत्री नियुक्त हुये और उनकी संख्या ८ हजार कुछ सौ हमारे प्रदेश में है। उनकी तनख्वाहों का भार हमारी ग्राम सभाओं पर डाला गया है। सरकार यह जानती है कि प्रति वर्ष इनकी तनख्वाह पूरी नहीं होती है और तब वह कभी सहायता

[श्री भगवान दीन मिश्र]

के रूप में और कभी पूरक अनुदान के रूप में उसे देती रही है। मुझे यह आश्चर्य होता है कि ऐसी अच्छी संस्था भी सफल नहीं हो रही है। यह रुपये की कमी की वजह से है कि उनके पास पर्याप्त रुपया नहीं है। चुनाव के सिलसिले में हमारे मंत्रिगण और सदस्यों को तो अच्छी तरह ज्ञान हो गया कि ये पंचायतें विफल हो गई हैं। जनता यह समझती है कि य उनक ऊपर एक बोझ लाद दिया गया है। बात यह है कि वहां अर्थाभाव से कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी रुपया वहां जुरमाने के या और किसी रूप में आता है वह सब तनख्वाहों के देने के लिये भी पूरा नहीं हो पाता है। २-२ और ४-४ महीने तक ये वेतन नहीं मिल पाते हैं। जब यहां ५ या ७ तारीख तक ही किसी को तनख्वाह न मिले तो उसे काम करना कठिन हो जाता है। तो भला जब लोगों की तनख्वाह महीनों तक न मिले तो वे कैसे काम में अपना जी लगा सकते हैं, यह सोचने की बात है। अर्थाभाव से वहां कुंयें साफ नहीं हो सकते, उनकी मरम्मत नहीं हो सकती, सड़कें नहीं बन सकतीं, लालटेनें नहीं लग सकतीं और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिये यह योजना निरर्थक सी होती जा रही है। मैं तो यह निवदन करना चाहता हूं और गवर्नमेंट से साग्रह अनुरोध करना चाहता हूं कि एक चौथाई रक़म जो सेक्रेटरियों की तनख्वाह की है वह तो गांव सभायें देने के लिये बाध्य कर दी जायं और तीन चौथाई अपनी आमदनी का वह गांव सभाओं पर खर्च करें। यदि इस प्रकार के नियम बना दिये जायं तो गांव सभाओं की पापुलरिटी (जनप्रियता) हो जायगी और वे अच्छा काम कर सकेंगी अन्यथा वे काम नहीं कर सकेंगी। इसी प्रकार जो गांव सभायें किसी भय से अपना रुपया दे देती हैं वे तो बिलकुल बेकार सी रह जाती हैं और जिनके यहां से रुपया किसी वजह से नहीं आता उनको गवर्नमेंट सहायता कर देती है। ऐसी अवस्था में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार पूरक अनुदानों से गांव सभाओं का काम किसी प्रकार संभव नहीं है।

दूसरी इसमें एक और आपत्ति है जो अभी तक गवर्नमेंट न मालूम किस वजह से तय नहीं कर रही है। गांव सभाओं में दो प्रकार का टैक्स लोगों पर पड़ रहा है। एक तो अधिकार गांव सभाओं को है कि वे लगान पर एक पैसे से चार पैसे तक लोगों से वसूल कर सकती हैं। इसके अलावा जो लोग गांवों में दूकानदारी करते हैं उनसे लाइसेंस के रूप में एक रुपये से आठ रुपये तक वसूल किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स भी उन लोगों पर है जिन्हें कृषि-आय के अलावा दूसरे तरीक़े से आय होती है। इस प्रकार से गांवों में रहने वाले साधारण व्यापारी जो नमक, तेल आदि बेचते हैं उनको दो प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। तो यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है। बार बार कहा जाता है कि इस पर विचार हो रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसी बातें जो हैं उनको जल्दी से जल्दी तय करना चाहिये और जनता पर दोबारा इस प्रकार का भार जो अवैधानिक है किसी तरह से जारी नहीं रहना चाहिये। जब सरकार ने पंचायत राज ऐक्ट के अन्दर यह अधिकार दे दिया है कि एक पैसे से लेकर चार पैसे तक वसूल किया जा सकता है तो जितने भी वहां व्यापारी हैं उनसे इसके अलावा दूसरा किसी प्रकार का टैक्स गांव सभाओं को नहीं लेना चाहिये।

इसके अलावा मैं ग्रांट नम्बर ४३ में यह भी देखता हूं कि ट्यूब-वेल की व्यवस्थायें भी जगह जगह पर की गयी हैं। फैजाबाद में ट्यूब-वेल की व्यवस्था के सिलसिले में कुछ रक़म इसमें रक्खी गयी है। मुझे यह मालूम है, पता नहीं कहां तक सही और कहां तक गलत है कि पंच वर्षीय योजना जो है उसमें डेढ़ सौ ट्यूब वेल्स बहराइच में भी रखे गये हैं। तो क्या उसमें से कुछ भी ट्यूब-वेल्स इस वर्ष बहराइच जिले में बनाये जा सकेंगे कि जिससे कि इस जिले को जल्द से जल्द सहायता प्राप्त हो सके और वे इसके इलाक़े जिनमें सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं उससे फायदा उठा सकेंगे? इसके बाद मैं अपने शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि संस्कृत विद्यालयों की हालत इस समय आपके प्रदेश में बहुत खराब है। ज्यादातर संस्कृत विद्यालय अभी तक धनी सज्जनों के दान पर चला करते थे और कुछ थोड़ी बहुत सहायता इधर उधर से मिल जाती थी जो कि अब नहीं के बराबर हो गयी है। संस्कृत

विद्यालयों का न चलना इस जमाने में जबकि हमारे सूबे और देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी हो चुकी है और जिस हिन्दी भाषा के स्तर को ऊंचा करने के लिये तथा उसके शब्दकोश को पूरा करने के लिये संस्कृत विद्या का होना और उसका फैलना अतिआवश्यक है। केवल अर्थाभाव के कारण उनका न रह जाना किसी तरह से ठीक नहीं है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान संस्कृत विद्यालयों की ओर दिलाना चाहता हूं कि कुछ विशेष-रूप से अगले बजट में इस बात का ध्यान रख कर जो कुछ संभव हो सके स्थायी-रूप से सहायता देकर उनको चलाने में सहायता कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुपूरक अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री वंशगोपाल—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से जो सप्लीमेंट्री बजट इस समय असेम्बली में पेश किया गया है उसके विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यह तो सभी को मालूम है कि हर एक देश और हर एक सूबे में सबसे खास बातें, सबसे खास मदें जिनके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिये वह खाना और कपड़ा है। इस समय खाने और कपड़े की हालत हमारे प्रान्त में अच्छी नहीं है यद्यपि इस समय चारों ओर से मद्दी की पुकार मची हुई है। पहले तो केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया और हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी इस बात को इस असेम्बली में और दूसरी जगहों पर कहा कि जो कीमतों में मद्दी आ रही हैं इसके विषय में वह कोई खास राय नहीं रखते। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद केन्द्रीय सरकार के श्री मेहताब जी ने इस बात की घोषणा की कि यह जो मद्दी आ रही है वह उनकी पालिसी का नतीजा है। यदि यह मद्दी जो इस समय प्रान्त में और सारे देश में हो रही है सरकार की नीति का नतीजा था तो मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि हमारे प्रधान मंत्री जी को इस बात का पता पहले से कैसे नहीं था। खैर, जो भी हुआ, इस समय हमारे सूबे में गल्ले और अनाज का भाव सस्ता हो रहा है। यह हमारे लिये प्रसन्नता की बात है। जनता और खासकर गरीब जनता इस बात को देख कर कि गल्ले का भाव सस्ता हो रहा है प्रसन्न सी दिखाई पड़ती है लेकिन दूसरी ओर सरकार की नीति और खासकर हमारी सरकार की नीति जो हो रही है उसको देखकर एक आश्चर्य सा मालूम होता है।

हमें इस बात को सुनकर और माननीय गवर्नर महोदय के एड्रेस (संबोधन) में इस बात को पढ़ कर आश्चर्य हुआ कि यहां पर हमारे गल्ले का भाव जो सरकार की ओर से राशन में बिकता है ज्यादा किया जा रहा है। यदि सारे सूबे में और सारे देश में हर चीज सस्ती हो रही है, यदि गल्ले का भाव हमारे सूबे के बाजारों में गिर रहा है, यदि गेहूं 2½ सेर के बजाय ३ सेर या 3¼ सेर तक तक बाजारों में मिल सकता है तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि सरकार उस भाव को, जो अभी भी राशन में 2½ सेर था, उसे घटा कर 2¼ सेर कर दे और आइन्दा भी 2¼ सेर को २ सेर का भाव कर नेका इरादा मालूम होता है। यदि सरकार इस बात का इन्तजाम नहीं कर सकती कि जनता को गल्ला कम से कम उस भाव पर दे जो उसे खुले बाजार में मिल सकता है तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि सरकार इस राशन को इस कंट्रोल की व्यवस्था को कायम रखे। मेरी तो अपनी राय यह है कि इस कंट्रोल के कारण बहुत अत्याचार हो रहा है, कितना हमारा और हमारी जनता का सदाचार गिर रहा है, कितना हमारा कैरेक्टर रोज ब रोज ऊपर से नीचे गिरता जाता है और बेईमानी के बीज हमारे दिलों में हो रहे हैं उससे तो चाहे कंट्रोल के हटाने से हमें तकलीफ ही क्यों न हो, हमें इस कंट्रोल को खत्म करना चाहिये और हमारी सरकार को इस नीति की घोषणा करनी चाहिये कि वह कंट्रोल को कायम नहीं रखना चाहती।

साथ ही साथ मैं इस कंट्रोल के विषय में एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आगे कई बार अपने वक्तव्यों और अपने व्याख्यानों द्वारा इस असेम्बली में मिनिस्टर महोदयगणसे जिक्र किया है और वह बात यह है कि आज कल के नियम और आजकल की नीति के अनुसार गल्ला बाहर से राशन टाउन्स में आने नहीं दिया जाता। इसके बारे में बहस के रूप में कई बार मंत्री महोदय से निवेदन किया और उनका एक लेख भी मैंने

[श्री वंश गोपाल]

इंफ़ारमेशन अखबार में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने किसी तरीके का खास तौर पर जवाब न देकर यह जाहिर किया था कि गल्ले का बाहर से राशन टाउन में आना कंट्रोल की नीति के खिलाफ है। अगर कंट्रोल की नीति ऐसी है जिससे कि जनता को तकलीफ होती है तो मेरे ख्याल में उस चीज को बदलना ही सरकार के लिये ज्यादा मुनासिब होगा। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि राशन और कंट्रोल को रखें या न रखें, कम से कम गल्ले के बारे में आप इस नीति की घोषणा कीजिये कि राशन टाउन में देहातों से शहरों में गल्ला आ सकेगा और बराबर खुले बाजार में बिक सकेगा। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो जनता की तकलीफ भी दूर हो जायगी और बाहर से यहां आकर गल्ला बिकने में किसी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा।

दूसरी बात जो मैंने आपसे निवेदन की वह सरकार का कपड़े के विषय में इंतजाम है। मुझे इस बात को देखकर आज खुशी हुई कि हमारी सरकार ने कपड़े के डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) पर से राशन की नीति हटा ली है और अब वह आसानी से बिक सकेगा। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा और यह बात बिलकुल सरकार के हाथ में है कि आप केन्द्रीय सरकार से मिलकर इस बात की कोशिश कीजिये कि कपड़े का भाव जो हमारे बाजारों में इस वक्त है और जो हमारे सूबे का इस वक्त है उसमें कमी की जाय ताकि जनता को वह आसानी से मिल सके।

तीसरी बात जिसके बारे में आपके सामने चर्चा की गयी और विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकी सिंह ने आपके सामने निवेदन किया है वह पंचायत राज की बात है। पंचायत राज्य के बारे में आपने अपने सप्लीमेंटरी डिमांड में सेक्रेटरियों की तनख्वाहों के बारे में जिक्र किया है और आपने यह कहा है कि हमें इस बात का ख्याल था कि गांव फंड जमा हो जाया करें और उस गांव फंड से आप पंचायत के सेक्रेटरियों को तनख्वाह दे सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसलिये और आपको उसमें कुछ इजाफा करने की जरूरत हुई। आपने अपना हिसाब भी उसमें अच्छी तरह से दिखलाया है कि ८,४१४ यहां पर पंचायतों के सेक्रेटरीज हैं, जिनकी तनख्वाह ५६ लाख रुपया फी साल होती है। मेरे ख्याल में जिस वक्त बजट बनाया गया था आपको इस बात का अन्दाजा लगा लेना चाहिये था। आपके सामने पंचायतों के बजट मौजूद थे, लेकिन दरअस्ल बात तो यह है कि पंचायतों के जरिये से जो टैक्स जमा किया जा रहा है उससे कोई मुनासिब काम नहीं हो रहा है और वह कुछ लोगों के निजी फायदे के लिये खर्च हो रहा है।

जैसा कि पूर्व वक्ता ने आपके सामने बयान किया। जनता के दिल में पंचायतों के विरुद्ध एक घृणा सी उत्पन्न हो गई है। आपको मालूम होगा कि आपने जमींदारों की मालगुजारी पर जो रुपया दिया और किसानों के ऊपर जो आपने एक रुपया फी बीघा टैक्स लगा रखा है इस साल आपने टैक्स के वसूल करने में काफी सख्ती से काम किया है और तीन साल का टैक्स एक साल में वसूल किया जा रहा है जिससे देहातों में हाहाकार मचा हुआ है और देहात की जनता इस टैक्स से परेशान है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जनता इस तरीके से आपके इस दमन को बरदाश्त नहीं कर सकती और शायद यह एक खास आइटम होगा। एक खास बात, एक खास चीज होगी, जिसके बारे में जनता आपके विरुद्ध खड़ी हो जाय और आपको ऐसा करने से रोके। जैसा पूर्व वक्ता ने अभी आपके सामने निवेदन किया आपके टैक्स चारों ओर बढ़ रहे हैं। जनता को उससे कोई फायदा भी नहीं मालूम होता। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप ऐसे टैक्सों को कम करें। इसके बारे में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि आपके पंचायत राज कानून के अनुसार कोई भी टैक्स गांव सभा के जरिये से लगना चाहिये और उस गांव सभा में एक कोरम होना चाहिये। लेकिन आम तौर पर गांव सभा का वह कोरम कभी भी पूरा नहीं होता है। अगर पूरा भी होता है तो गांव सभा के प्रधान जी उस पंचायत को मुल्तवी कर देते हैं और दूसरी मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें चाहे दस व्यक्ति हों या पांच हों, वही लोग मिल कर उस टैक्स को लगा देते हैं। मैं अपने जिले फतहपुर का उदाहरण आपको देता हूं कि वहां यह हो रहा है कि अगर किसी गांव सभा ने टैक्स कम लगाया या एक पैसा या दो पैसे रुपया टैक्स लगाया तो पंचायत राज अफ़सर साहब का यह कंटेंशन

(दावा) है कि उनको खुद इस तरह के प्रस्तावों को तरमीम करने का अधिकार है और उसके अनुसार वह उस टैक्स को बढ़ा कर एक आना रुपय कर देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस विषय में कानून को खासतौर से देख कर के पंचायत राज आफिसर्स को इस बात की हिदायत कर दें कि उन्होंने ऐसे प्रस्तावों को तरमीम करके ज्यादा टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

पंचायत राज की स्कीम एक ऐसी स्कीम है, जिसकी चर्चा सारे देश ही में नहीं बल्कि आपके कथानुसार यह एक ऐसी योजना है जिसने हिन्दुस्तान में ही में नहीं, दुनिया में एक मिसाल क़ायम कर दी है। लेकिन उसके दो टुकड़े हैं— एक तो लेजिस्लटिव डिपार्टमेंट है और दूसरा एग्जिक्यूटिव डिपार्टमेंट। जहां तक लेजिस्लटिव डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आपके योजना सिद्धान्ततः (उसूलन) ठीक नहीं मालूम होती। इस चीज़ के फैलाने का अख्तियार उन लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिये जो एलेक्शन से और वोट से चुने जाते हैं। और इसका कारण यह है कि जो कोई शख्स किसी का वोट लेकर किसी पद पर जाता है तो खामखाह उसको उस आदमी का खयाल करना पड़ता है, उसके लिये उसके दिल में हमदर्दी होती है। जब कि पंचायत के पंच और सरपंच जनता के वोट से चुने हुये होते हैं तो जब वह फैसला करने बैठते हैं तो उनको उनका खयाल करना पड़ता है और वह ठीक तरीके से फैसला नहीं कर सकते हैं। इसी बुनियाद पर जब कि इस भवन में मसला पेश हुआ था तो आपकी ही तरफ से बहुत से लोगों ने यह बात कही थी कि बेंच मैजिस्ट्रेटों और आनरेरी मजिस्ट्रेटों की योजना को हटा देना चाहिये क्योंकि वे लोग वोट ले कर आते हैं अभी असेम्बली के चुनाव के संबंध में भी आपने एक नियम बनाया था कि बेंच मजिस्ट्रेट साहबान को इस एलेक्शन में किसी तरह का भाग नहीं लेना चाहिये और किसी किसी ज़िले में पंचायत राज अफसरों की तरफ से यह आज्ञा निकली थी कि वहां के पंचों और सरपंचों को भी चुनाव में भाग न लेना चाहिये। इसका क्या कारण था। इसके पीछे भी वही सिद्धांत था कि पंचायत के सरपंच और पंच चुनाव में इस लिये भाग न लें क्योंकि अगर वह किसी का वोट लेंगे तो उन को उसका एहसान मानना पड़ेगा। इस लिये मेरा खयाल है कि अदालती पंचायत की जो आपकी प्रथा है वह कामयाब नहीं हो रही है।

इसके बाद मैं आपका ध्यान पी० आर० डी० की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जब आपने प्रान्तीय रक्षक दल की योजना बनायी थी तो इस भवन में उस कानून की चारों ओर से प्रशंसा हुई थी। लेकिन थोड़े ही दिनों में पुलिस और प्रान्तीय रक्षक दल में खटक गयी और प्रान्तीय रक्षक दल को खत्म करके आपने उसे दूसरा रूप देकर प्रादेशिक कार्य के नाम से उन्हें नियत कर दिया। इसके मानी यह हैं कि आपने ऐसी योजना जिस से सूबे का काफी फायदा हो रहा था उसको खत्म कर दिया। मैं चाहता हूं कि उसे फिर से तैयार करें और फिर से प्रान्तीय रक्षक दल की संस्था को यहां पर संचालित करें।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन उनको कार्यान्वित बहुत कम करते हैं। दरख्त लगाने की योजना आपकी असफल हो गयी, तालाब खोदने की योजना आपकी असफल हो गयी, ज्यादा गल्ला पैदा करने की योजना आपकी असफल हो गयी। गरजे कि आप देखेंगे कि आपने जितनी योजनाएं बनायीं थोड़े अरसे के बाद खत्म हो गयीं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आइन्दा जब आप कोई योजना बनायें तो आप पहले से विचार कर लें। आप अधिक योजनायें न बनाएं। अगर आप मौजूदा योजनाओं पर भी गौर करें और उनको अच्छी तरह से चलाएं तो ज्यादा उचित होगा।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान के संबंध में उसूली मसलों पर कहने का न समय है और न मुनासिब है लेकिन कुछ चन्द बात हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं।

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

अनुदान संख्या १२ में जिला प्रशासन के व्यय के संबंध में एक मांग की गयी है जो अदालतों के काम बढ़ जाने के कारण कुछ अमले नियुक्त किये जायंगे उनके संबंध में है। केवल इस संबंध में इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अदालतें भी बढ़ गयी हैं, अमला भी बढ़ गया है, लेकिन जो तजुर्बा है वह यह है कि अदालतों में जिनका काम है, जो अदालत में न्याय की याचना के लिये आते हैं उनके लिये कठिनाइयां ज्यों की त्यों हैं। तारीखें इतनी ज्यादा पड़ती हैं कि लोग परेशान होते हैं, गवाहों को लेकर आते हैं, तारीखें बढ़ जाती हैं, सबेरे से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, उसके बाद पेशकार अपना जो उनका तरीका है तारीख की वह रकम लेता है और तारीख दे देता है। अदालतों के बढ़ने से जो सुविधा होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है, यानी जो यह तारीखें पड़ती हैं उनको कम किया जाय। यद्यपि बार-बार कहा गया है और सरकार भी चाहती है कि इतनी तारीखें न लगायी जायं और लोगों को परेशान न होना पड़े। लेकिन अभी भी यह रोग ज्यों का त्यों बना हुआ है सरकार को कोई और तरीका या व्यवस्था करना आवश्यक है ताकि यह शिकायत दूर हो सके।

जमींदारी अबालीशन फंड का जिक्र किया गया है। इसमें कुछ खर्चे की मांग की गयी है। एक बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि फंड का रुपया जमा करने के लिये पहले सरकार ने आदेश जारी किये थे कि रुपया जमा करने वालों को सुविधायें दी जायं। वे आदेश अब अमल में नहीं आते हैं और उनको दिक्कतें होती हैं। जैसा कि हर मुवक्किल को मुकद्दमा लड़ने में दिक्कतें होती हैं। इसी तरह से पैसा जमा करने वालों को परेशानियां होती हैं और नाजायज-तौर पर उनका पैसा खर्च होता है। पटवारी उनका सार्टीफिकेट लेकर रख लेता है और जब उसको पैसा मिलता है तब सार्टीफिकेट देता है। इस तरह की उनके सामने दिक्कतें हैं। हर जगह अदालतों के ढंग के अनुसार ही इसमें भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अगर यह दिक्कतें दूर हो जायं तो लोगों को ज्यादा सुविधायें हों।

ग्राम-पंचायतों के संबंध में भी काफी कहा गया है। हमारे माननीय मित्र वैद्य जी ने भी कहा है कि ग्राम-पंचायतें सेक्रेटरी को चौथाई तनख्वाह दें और बकिया गवर्नमेंट दे। मैंने पिछले बजट अधिवेशन के अवसर पर इस बात को काफी जोर के साथ कहा था कि पंचायतें इनकी तनख्वाह नहीं दे सकतीं। इसकी बजट में व्यवस्था होनी चाहिये। उस समय नहीं किया गया लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरक अनुदान द्वारा उनकी तनख्वाहों का प्रबंध किया जा रहा है। मैं केवल एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी गांव-सभाएं ऐसी हैं जिनके पास केवल जमीन के टैक्स वसूल करने के अलावा और कोई जरिया नहीं है पैसा आने का। न कोई बाजार है और न कोई रोजगार ही है, न घोड़े हैं, न टट्टू हैं और न ऊंट है। यानी कोई भी जरिया उनके पास नहीं है। इनके ऊपर सेक्रेटरी की तनख्वाह का बोझ लादना इनके साथ अन्याय होगा। जो जरूरी चीजें हैं जैसे झाड़ू देने के लिये नौकर रखा जाय या लालटेन लगायी जाय, ऐसे कामों के लिये पैसा बचे और यह काम हों तब तो लोगों को कुछ उत्साह हो सकता है, कुछ उनमें जान आ सकती है। लेकिन अगर सारा पैसा सेक्रेटरी की तनख्वाह पर खर्च कर दिया जायगा तो उनको कोई दिलचस्पी नहीं रह जायगी, उनको कोई जोश पैदा नहीं होगा। इसलिये जैसा कि इन्स्पेक्टर्स हैं और उनको सरकार तनख्वाह देती है इसी तरह से इन सेक्रेटरियों की तनख्वाह भी सरकार दे। अगर यह चीज नहीं होगी तो जो गांव-सभाओं की आमदनी होगी उससे बमुश्किल सेक्रेटरी की तनख्वाह पूरी हो पायेगी और बड़ी दिक्कत होगी।

शिक्षा के संबंध में मैं एक बात की तरफ माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यद्यपि शिक्षा में जो योजना या ढंग अख्तियार किया गया है वह काफी उत्साह-वर्द्धक है। लेकिन जो विद्यार्थियों की मेंटेलिटी (मनोवृत्ति) है यानी जो लड़के कालेज या स्कूलों से निकलते हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। उनकी किसी भी ऐसे काम की तरफ रुझान नहीं होता है जो स्वतंत्र रूप से वह कोई कार्य कर सकें। केवल नौकरियों के पीछे, सरकारी दफ्तरों के पीछे दौड़ना यही काम, यही मनोवृत्ति उनकी अब तक बनी हुई है। किसी उद्योग-धंधे या कोई टेक्निकल काम अपने हाथ में लेने की जो विद्यार्थियों में मनोवृत्ति होनी

चाहिये वह अब तक नहीं हुई है और उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। शिक्षा संस्थाओं में पार्टीबन्दी शिक्षा के कार्य में रुकावट पैदा करती है। मैं इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर वाइसचांसलर का चुनाव जो हुआ है उसका प्रभाव उसकी पार्टीबन्दी का प्रभाव वहां के विद्यार्थियों पर अच्छा नहीं पड़ा है।

खेती की जो योजना है उसके संबंध में काफी इस पूरक अनुदान के द्वारा रुपये की मांग की गयी है। जो योजनाएं रखी गयी हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। वह उत्तम योजनाएं हैं लेकिन एक बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिये पुरस्कार वितरण वगैरह करती है उसको एक चीज और करनी चाहिये जैसा कि किसानों के लिये पहले एक ऐसा नियम था कि अधिक गल्ला पैदा करने वालों को जो पुरस्कार में प्रथम आते हैं उनके लड़कों को सरकारी नौकरी में विशेष ध्यान दिया जाता था। नकदी पुरस्कार के अतिरिक्त उनके लिये और भी विशेष सुविधायें होनी चाहिये, क्योंकि जो अधिक गल्ला पैदा करने वाला किसान है वही सच्चा किसान कहा जा सकता है तो सच्चे किसान को जितनी भी सुविधायें दी जा सकें उनका देना हमारे ख्याल से अधिक उत्तम होगा और किसान के साथ न्याय भी होगा।

ग्रामोद्योग के संबंध में भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ग्रामोद्योग को जिस ढंग से प्रोत्साहन मिलना चाहिये उस ढंग का प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। पूर्वी जिलों में खासतौर पर ज्यादा लेबर क्लास (श्रम श्रेणी) के आदमी हैं। जहां भी देखिये पूर्वी जिलों के लोग लेबर में हैं, कानपुर में, बम्बई में या कलकत्ते में। यहां सब जगह हमारे पूर्वी जिलों के लोग ज्यादा जाते हैं मजदूरी के लिये। पूर्वी जिलों में जहां मजदूरों की आबादी अधिक है वहां उन्हें सुख नहीं है। इसमें सन्देह नहीं है कि किसानों को सुख है, लेकिन मजदूरवर्ग दुखी है। अभी जो चुनाव हुये उसमें किसी-किसी पूर्वी जिले में एक मुख्य कारण कांग्रेस वालों के असफल होने का कुछ यह भी है कि वहां मजदूर दुखी हैं और मजदूरों में असंतोष है। इसमें संदेह नहीं है कि किसान सुखी है, लेकिन मजदूरों के पास कोई उद्योग-धंधा न होने के कारण वे परेशानियों में पड़ें हुये हैं, इसलिये इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उनकी जीविका का प्रबन्ध हो सके।

साथ ही साथ जमींदारी अबालीशन के सिलसिले में बहुत सी नई बातें होने वाली हैं। जो शिकमी पर खेत देने वाले हैं वे अब नहीं देंगे और ऐसी अवस्था में जो भूमि रहित किसान होंगे उनके लिये उद्योग ही सहारा होगा। ऐसी अवस्था में हमें जल्द ही उन लेबर क्लास वालों के लिये ग्रामोद्योग की व्यवस्था करनी चाहिये।

हैंडलूम इंडस्ट्री का जहां तक संबंध है मैंने स्वयं देखा है कि पहले देहातों के बुनकर मोटा कपड़ा बुना करते थे, लेकिन वह इंडस्ट्री अब खत्म होती जा रही है। उसकी तरफ ध्यान देने कीआवश्यकता है। उन कपड़ों की खपत होना चाहिये, बुनकरों को सूत मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये। सूत न मिलने की वजह से ही बहुत से बुनकर बेकार हो चुके हैं। दूसरे शहरों में मिलों में काम करने के लिये भाग जाते हैं जब कि देहात में रह कर ही हैंडलूम के व्यवसाय से ही वह अपनी गुजर कर सकते थे।

मैं एक और बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि खेती के संबंध में कुछ योजनायें हैं उनमें मैंने देखा कि कुछ कर्मचारी बढ़ाये जायेंगे। उसमें छोटे कर्मचारी और बड़े कर्मचारियों की तंख्वाहों में बड़ा अन्तर है। इस भवन में इस बात पर पहले भी कई बार जिक्र किया जा चुका है और सरकार का ध्यान खींचा गया है कि बड़ी और छोटी तनख्वाहों में इतना ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिये। २० रुपये जो तनख्वाह रखी गयी है उसमें तो आज के जमाने में एक अकेला आदमी भी गुजर नहीं कर सकता, फिर एक परिवार जिसमें ५ आदमी हों, उनका गुजारा कैसे हो सकता है। सरकार को हर विभाग के छोटे और बड़े कर्मचारियों की तनख्वाहों में जो अन्तर है उसकी ओर ध्यान देना चाहिये। मुझे आशा है कि अगले बजट में इस ओर विशेष ध्यान दिया जायगा।

एक बात और कह कर मैं खत्म करता हूं। पिछड़ी जातियों के सुधार के संबंध में कुछ व्यवस्था की गयी है। हरिजन सहायक डिपार्टमेंट की तरफ से एक अलग मद कायम करके

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को वजीफा देने का प्रबंध किया गया है, वह उत्तम है। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछड़ी हुई जातियों की जो सूची है उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। एक जाति मुसहर है। मैंने देखा है कि वह न अनुसूचित जातियों में है, न पिछड़ी जातियों में। उनके लड़के पढ़ते हैं। यह दिक्कत होती है कि उनको वजीफा हरिजन सहायक फंड से दिया जाय या कहां से दिया जाय। इसलिए उसमें संशोधन होने की जरूरत है।

अन्त में मैं जो-जो स्कीमें चलाई गई हैं उनके लिये धन्यवाद देता हूं और मैंने अभी अखबार में पढ़ा कि कपड़े पर से कंट्रोल की तकसीम हटा ली गई, इसके लिये भी सरकार को धन्यवाद देता हूं। इससे जनता को संतोष होगा। हम लोगों ने अपने एलेक्शन के दौरे में वायदा भी किया था कि अब की जायंगे तो कपड़े पर से कंट्रोल हटा लेंगे वह पूरा होगा।

माननीय अध्यक्ष---अब मैं माननीय मुख्य मंत्री को उत्तर का अवसर दे सकूंगा। सवा बजे यह बहस समाप्त हो जानी चाहिये।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---अध्यक्ष महोदय, मुझे इस वाद-विवाद में बहुत लम्बा समय नहीं लेना है, वैसे समय है भी नहीं। १५ मिनट ही है। अगर होता भी तो मैं ज्यादा समय लेना आवश्यक नहीं समझता। वास्तव में मेरा ख्याल तो यह होता है कि अनुपूरक अनुदानों के सिलसिले में आम बहस कोई बहुत ज्यादा दूर तक नहीं की जा सकती क्यों कि बजट में प्लान के मुताबिक सारी चीज होती है, लेकिन अनुपूरक अनुदानों में तो एक मांग का दूसरे से कोई ताल्लुक होता नहीं। जहां भी कोई कमी या जरूरत होती है उसके लिये, उस कमी को पूरा करने के लिये, उसमें रुपया रखा जाता है और एक का दूसरे से कोई ताल्लुक न होने से कोई ऐसी बात उसूली नहीं निकलती जिससे आलोचना करने का अच्छा ढंग अख्तियार किया जा सके। हर अनुदान की बात अलग होती है। परन्तु अभी तक हमारा यही सिलसिला रहा है और वह आज भी जारी है। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष के अनुपूरक अनुदानों के सिलसिले में आम बहस की जरूरत नहीं समझी जायगी और हमारे नियमों में ऐसा संशोधन हो जायगा।

जो भी बातें इस सिलसिले में कही गयी हैं मैं उनकी कद्र करता हूं और जिस तरीके पर उनकी समालोचना की गयी है वह जिम्मेदार और ऊंचे दर्जे की समालोचना कही जा सकती है। हमारे जो अनुपूरक अनुदान हैं वे मामूली तौर से बजट के मुकाबले में किसी तरह से भी बहुत ज्यादा नहीं हैं। अगर आप रेवेन्यू अकाउंट, कैपीटल और पूंजी की आमदनी को और खर्च को देखें तो उसके मुकाबले में जो हमने अनुपूरक अनुदान रखे हैं वह मामूली तौर से ज्यादा नहीं हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ी रकम ५ करोड़ रुपये की है वह इस बारे में है कि जो गल्ला हमें खरीदना है उसके खर्च के लिये ट्रान्सफर अकाउंट में जमा करना है, जोकि सिर्फ काग़जी खानापूरी है। इससे एक बड़ी भारी रक़म निकल जाती है। इसमें कोई उसूली चीज नहीं है। इस तरह से एक करोड़ रुपया और जमा किया गया है। शहरों में गल्ला बेचने में हमें जो नुक्सानात होते हैं उनके लिए १ करोड़ रुपया रेवेन्यू से निकाल कर रिज़र्व में रखा जा रहा है। यह भी कोई असली खर्चा नहीं है वह तो सिर्फ उसको खर्च करने के लिये गुंजाइश निकालने की बात है, इनके अतिरिक्त जो और खर्चे उसमें दिखाये गये हैं वे ऐसी स्कीमों के लिये हैं जो कि सूबे और मुल्क के लिये बहुत जरूरी थीं मसलन अफजलगढ़ स्कीम और ट्यूबवेल की स्कीम्स। इन स्कीम्स के लिये एक दिन भी देर लगाना अच्छा नहीं हो सकता। इनसे हमारे गल्ले, जिन्स की पैदावार बढ़ी है। इस तरह की रक़म अनुपूरक अनुदानों के जरिये से इस सदन के सामने लाना हर तरह से उचित है। इन मदों के निकाल देने के बाद जो अनुपूरक अनुदान रह जाते हैं वह बरायनाम हैं। अगर हम इस निगाह से देखें तो मैं समझता हूं कि हमारा बजट बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था उसमें बहुत थोड़ी तरमीम की जरूरत हुई और जो पहिले रक़म रखी गयी थी वह काफी ही नहीं बल्कि सही साबित हुई। जिन्होंने बजट बनाया उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ उसको बनाया।

हमारे विरोधी दल के नेता जी ने भी कुछ बातें कहीं। उन बातों में मैं समझता हूं खासतौर से एक बात बेलन प्रोजेक्ट के बारे में थी और दूसरी बात रोड ट्रान्सपोर्ट में जो रुपया रखा गया है उसके बारे में। उसके बारे में उन्होंने पूछा कि क्या उसकी वजह से सड़क के बनने में कोई रुकावट नहीं हुई। २१ मार्च के करीब उसमें १ करोड़ रुपया था जो अब भी चला आता है। उस रुपये की वजह से कोई रुकावट काम में नहीं हुई। यह भी एक तरह से पेपर एंट्री है। चूंकि उस वक्त रुपया ट्रान्सफर न हो सका इसलिये इस वक्त वह किया जा रहा है। इससे सड़क के बनने में कोई अड़चन नहीं हुई। बेलन की स्कीम में जो तब्दीली हुई वह इस तरीके से हुई कि इसमें जितना खर्चा हुआ और उसकी वजह से जो आमदनी हुई वह दुगनी और ढाई गुनी हो गई। इसलिये इस संशोधन का करना सब के लिये फायदेमन्द बात थी। एक तो पैदावार बढ़ेगी, दूसरे उससे ज्यादा आमदनी होगी और तीसरे सरकार को भी मुनाफा, होगा कम से कम जो घाटा था वह नहीं उठाना पड़ेगा। यह स्कीम सब सोच समझकर बनायी जाती है मगर तजुर्बे से मालूम होता है, जो बड़ी-बड़ी स्कीम होती हैं उसमें कुछ और संशोधन करने से कुछ और ज्यादा फायदेमन्द हो सकता है। इसलिये इस तरीके पर यह कार्यवाही की गयी।

श्री त्रिलोकी सिंह जी ने शारदा केनाल के लिये भी कहा कि बीस साल से उसकी चर्चा चल रही थी। मगर आज कल का जमाना तो हवाई जहाज का जमाना है। पहले तो आदमी बैलगाड़ी वगैरह पर ही सफर करते थे। मैं खुद यह समझता हूं कि हमारी रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी कि होनी चाहिये। आज ऐसा जमाना आ गया है कि जरूरत है कि हम बहुत तेजी से काम करें और हमारे सामने जो कमियां हैं उनको दूर करने में जितनी बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं उनको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अमल में लाना चाहिये वरना तकलीफों को बहुत दिनों तक देखना एक कठिन बात हो जाती है। इसके लिये यह मुमकिन हो सकता है कि हम अपनी स्कीम को बढ़ावें और ऐसा करने में हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। मैं यह खुद पसन्द करूंगा कि स्कीम चालू हो तो उसे अच्छी तरह देख लिया जाय। लेकिन जितनी जल्दी हो सके वह किया जाय ताकि लोगों की तकलीफें दूर हों।

श्री राजाराम शास्त्री ने अभी कानपुर की मजदूर बस्ती के बारे में कहा। बिलकुल सही है कि बहुत सी इस किस्म की बस्तियां हैं, इस किस्म की और चीजें हैं जिनको आदमी देखता है तो उसे परेशानी होती है मगर हम तो उनको बहुत दिनों से देखते आये हैं, कोशिश भी की। मगर फिर भी जब आदमी चीजों को देखता है तो उसे धक्का भी लगता है और इन कामों को करने की कोशिश करता है लेकिन एक दम से उनको दूर करने की कोई गुंजायश नहीं है। उसको दूर करने के लिये जितने भी जरिये और तरीके हैं उनको अमल में लाना चाहिये।

कुछ यहां पर अनाज के बारे में भी कहा गया। हम यह नहीं चाहते हैं कि अनाज की क़ीमत कुछ बढ़ावें। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गल्ला शहरों के करीब कम कीमत पर मिलता है। हम ढाई सेर का ग़ल्ला देते हैं और लोगों को कम कीमत पर गेहूं मिलता है, तो उसकी वजह यह भी है कि इस वक्त शहरों में राशनिंग जारी है और इस वजह से लोगों को ग़ल्ला सरकार उन जगहों पर पहुंचाती है, तो ऐसी जगहों पर जहां लोगों के पास अधिक ग़ल्ला है वे सस्ती कीमत पर बेच सकते हैं। मगर इसके साथ ही हमें तो यह भी देखना है कि हमें यकीन हो जाय कि भाव यही रहेगा और ज्यादा मंहगा नहीं होगा बल्कि मंदा होगा तो फिर कोई वजह नहीं है कि हम इस घाटे के भाव पर इतना खर्च करें। मुमकिन है कि और कंट्रोल की जरूरत बाकी न रहे तो फिर गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है कि वह ३,४,५ करोड़ रुपया और अब तक का यही सिलसिला रहा, जो था तो ९ करोड़ का घाटा बर्दाश्त करे। न तो यह मुमकिन है और न हो सकता है। तो हम तो चाहते हैं कि मुनासिब कीमत पर मिले और जो कीमत लोग दे सकें, फिर उसमें कोई इजाफा या महंगाई ज्यादा न बढ़े जिससे लोगों की तकलीफ दूर हो सके।

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

पैदावार ज्यादा बढ़ गयी और इसी तरह से काम चल सकता है तो फिर सरकार को हालत को दोबारा देखने की जरूरत होगी। मैंने अपने बजट भाषण में कुछ इस सिलसिले में कहा था और वह बात हमारे सामने है। जहां तक इस मामले में खर्चे की बात है, खर्चा काफी हो रहा है मगर वह इस संबंध में नहीं खर्च होता है बल्कि वह इस पर खर्च होता है कि हम महंगा खरीद कर सस्ता बेचते हैं। तो जाहिर है कि उसमें नुकसान होगा। हमें २० रुपये फी मन गेहूं के लिये क़ीमत देनी पड़ती है और खर्चे तो अलग है। और उसको हम १६ रुपया मन देते हैं तो इससे जाहिर है कि ६,७ रुपया मन सरकार को अपने पास से देना पड़ता है। मगर उस सब का कोई न कोई उपाय निकालना है और उसके लिये यह देखना होगा कि इसका क्या उपाय हो सकता है।

यहां पर कुछ बहराइच की दिक्कतों का भी जिक्र किया गया जो कि वहां पर अनाज की पैदावार में कमी होने से वहां के लोगों को हुई। उनकी दिक्कतों के बारे में जो इलाज किये गये हैं उनका भी कुछ जिक्र किया गया। वैद्य जी ने जो हिन्दसे दिये शायद उनको पूरी इत्तिला नहीं है। जो खर्चा हुआ उसकी पूरी इत्तिला के बारे में मेरे सामने कुछ कागज रखे हुये हैं। बहराइच जिले में जो खर्चा हुआ उसकी रिपोर्ट तो यह है कि वहां पर उन लोगों की मदद के लिये करीब ५ लाख रुपया अब तक खर्च हो चुका है और अभी इसके लिये और रक़म रखी गयी है। मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सूबे में जहां पर भी कोई तकलीफ हो और उसके लिये जो जरूरी उपाय हों उनको करना हम अपना फर्ज समझते हैं। लोगों को अगर अनाज नहीं मिलता है या उनको कोई और तकलीफ है तो उसका इलाज करना हमारा फर्ज है और गवर्नमेंट को इस काम को पूरी तरह से अदा करना चाहिये। मैंने जिले के अहलकारों को इस बात की पूरी ताकीद की है और फूड डिपार्टमेंट को भी कहा है कि जहां कहीं भी लोगों को दिक्कतें हों उनको दूर करना चाहिये और इसमें कोई किसी तरह से देर नहीं करनी चाहिये।

जहां तक टेस्ट वर्क का ताल्लुक है इसके लिये काफी हिदायत दी गई है और मैं यह उम्मीद करता हूं कि इससे लोगों को ज्यादा फायदा हो सकेगा। जिससे ज्यादा फायदा लोगों का हो सके ऐसा काम हमको करना चाहिये। इस सिलसिले में जो कुछ भी अभी तक किया गया है अगर उसमें कुछ कमी रहती है तो उसके लिये और रुपया हम खर्च करने को तैयार हैं ताकि लोगों की दिक्कत दूर हो सके।

अभी यह फसल खराब होने की वजह से, सूखा पड़ जाने की वजह से और हाल ही में ओलों के पड़ जाने की वजह से रबी की फसल को नुकसान पहुंचा है और वह खराब हो चुकी है, मगर फिर भी हम यह भरोसा रखते हैं कि लोगों की जो दिक्कतें हों उनको हम हल कर सकेंगे।

जहां तक पंचायत के सेक्रेटरी की बात है उनके लिये कुछ कहा गया। आज भी फिर इसमें सप्लीमेंटरी डिमाण्ड के जरिये से करीब १४,१५ लाख रुपया पंचायत के सेक्रेटरीज की तनख्वाह देने के लिये रखा गया है। माननीय नेता विरोधी दल ने दो बातें कहीं, जो एक दूसरे से संगत नहीं हैं। उनकी तनख्वाह गवर्नमेंट को देनी चाहिये और दूसरे उन लोगों को इजाजत होनी चाहिये कि पोलिटिकल बातों में जिस पार्टी के साथ मिल कर काम करना चाहें करें और उनकी देखभाल करने का हक नहीं होना चाहिये। यह तो उन्होंने ऐसी बात कही जिस तरह से कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के मुलाजिमान के लिये यह लागू हो सकती है कि उनको भी इस तरह से इजाजत मिलनी चाहिये कि जहां चाहें काम करें।

श्री त्रिलोकी सिंह---मैंने तो श्रीमान् यह बात कही कि अगर सरकार इस तरह से उनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहती है, तो फिर यह भी जरूरी है कि उनकी तनख्वाह सरकार को अपने पास से देनी चाहिये।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—नियन्त्रण अगर सरकार रखती है तो इस वजह से उनको तनख्वाह दे और अगर तनख्वाह उनको दी जाय तो उनके ऊपर नियन्त्रण रखना ज़रूरी है। अगर इसका आल्टरनेटिव (वैकल्पिक) देखा जाय तो यही निकलता है कि अगर तनख्वाह न दी जाय तो फिर नियन्त्रण रखने की भी जरूरत नहीं है। मगर नियन्त्रण अगर रखा जाय तो वह सब के लिये हितकारी हो सकता है और अगर पंचायत इस बात को समझे कि कोई नियन्त्रण की जरूरत नहीं है तो हम इस पर विचार करने के लिये हर वक्त तैयार हैं। मगर मैं नहीं समझता कि उनके ऊपर नियन्त्रण रखने या न रखने से उनकी माली हालत में किसी तरह से कोई खास फर्क पड़ जायगा। अगर नियन्त्रण न रखा जाय तो और भी कुछ मुश्किल पैदा हो सकती है। बहरहाल, जरूरत इस बात की है कि गांव की हालत अच्छी हो।

कुछ साहबान ने यह भी कहा कि पंचायतें बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हैं। मैं इस राय को बिलकुल सही नहीं समझता हूं इसलिये कि हमको भी सारे सूबे में घूमने का मौक़ा मिलता है और मिला है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आमतौर पर पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी पंचायतों की तादाद इस वक्त क़रीब ३५ हजार के है और इस देश के लिये यह एक नई चीज है। हमारे गांवों में अभी बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं। इस बात से फायदा भी है और नुक़सान भी है कि वे लोग जो कुछ काम करते हैं सीधे ढंग से करते हैं और मैंने कई गांवों में देखा कि उन्होंने अपनी सड़कों में लालटेनें लगवाई है, रास्ते बनाये हैं और इसी तरह के और काम किये हैं जिन को देख कर मुझे बड़ा भरोसा हुआ और आशा हुई कि हमारे यहां लोगों पर अगर जिम्मेदारी लगाई जाती है तो वह अच्छा काम कर सकते है। वैसे कमियां तो आज इतने दिन बाद हमारे म्युनिसिपल बोर्ड में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी है और गवर्नमेंट में भी है। यह तो नहीं कहा जा सकता है उनमें कमी नहीं है मगर आमतौर पर अगर बेलाग ढंग से देखा जाय तो जो कुछ काम उन्होने किया है उस से आगे के लिये हमें आशा प्रतीत होती है कि वह हमारी डेमोक्रेसी के लिये बुनियाद होंगी। जैसे जैसे उनको तजुर्बा होगा वैसे वैसे काम जिम्मेदारी से वह करेंगी। वह भी टैक्स लगाती हैं और उस से अपने यहां काम करती हैं। इस से उनको भी मालूम होगा कि जो लोग काम करने वाले हैं उनके सामने क्या-क्या दिक्क़तें होती है और किस तरह से वह हल हो सकती है। इनसे एक लाभ यह भी हुआ है कि लोगों में जिम्मेदारी से काम करने की आदत पैदा होती है और एक बहुत अच्छा असर सारे देहात में पड़ता है। लोगों में एक टीम वर्क की जिम्मेदारी आती है और एक नई स्पिरिट इससे हमारे यहां पैदा हुई है और काम भी काफी अच्छे ढंग से हुआ है।

मुझे अफ़सोस है कि पूर्वी जिलों में कुछ दिक्क़तें हैं और इसलिये भी उधर ग़ल्ले की कुछ कमी हो रही है। इसको दूर करने के लिये काफ़ी ध्यान हमारी तरफ से पूर्वी जिलों की तरफ दिया जा रहा है। हम २०० से ज्यादा ट्यूब वेल उधर लगाना चाहते हैं। बहराइच में भी लगाना चाहते हैं। ७०० ट्यूबवेल के क़रीब लगने को है। वैद्य जी ने जानना चाहा कि बहराइच में भी लगेंगे। जरूर लगेंगे। माल मंत्री जी बहराइच में लगवाने की कोशिश करेंगे, यों भी उन्हें आशा करना चाहिये और हमारी भी कोशिश रहेगी कि पूर्वी जिलों में जल्द से जल्द इस तरह का इंतजाम किया जाय। रेहन्द डैम की स्कीम को भी हम जल्द से जल्द कामयाब बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी स्कीम है, इसलिये इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इस बड़े मुल्क के लिये बड़ी स्कीमों को भी हमें लेना ही है। जरूरत इस बात की भी है कि हमारी काटेज इंडस्ट्रीज की तरक्की हों। किसानों की तरक्की की बात भी सही है। अफ़ज़लगढ़ की और दूसरी स्कीम में भी हमने शुरू की हैं और हमने इन स्कीमों से काफी तरक्की हासिल की है और उम्मेद है कि इनके जरिये से अभी और तरक्की होगी। काश्तकारों की बात भी सही है उनके लिये हमदर्दी होना चाहिये और इन सब स्कीमों में उनका खयाल रखा गया है और उस जगह के रहने वाले जो काश्तकार हैं उनकी दिक्क़तों को हल करने की कोशिश की

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

गई है लेकिन जो जमीनें आबाद की गई हैं वह सब ग़ैर आबाद, जंगल ऊबड़-खाबड़ कटी-पिटी ख़राब जमीनें ही ली गई हैं। जो पहले से खेती में थीं और कालोनाइजेशन (उपनिवेशीकरण) में ली गयी हैं वह कहीं दसियों एकड़ के बीच में कोई टुकड़ा आ गया है। बाक़ी आमतौर पर उफतादा जमीनें ली गयी हैं।

भद्रुक डेरी से हटाने के बारे में कहा गया। वह जमीन हमारी नहीं थी वह शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जमीन थी। उन्होंने उसमें हमें अपनी डेरी का काम करने की इजाजत दी थी, हमें उसमें कोई ख़ास खर्च नहीं करना पड़ा था। अब वहां वह अपना शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, इसलिये उसे दूसरी जगह ले जाने की सूरत है। मगर इसमें कि जो अब तजवीज हो रही है उससे भी बहुत फायदा होगा बमुक़ाबिले उस जगह के। जब तक मिक्स्ड (मिश्रित) न हो कि वहीं पर फ़ाडर (भूसा) भी हो, और वहीं पर कोई डेरी भी हो और वहीं पर कोई पोल्ट्री फ़ार्म भी हो तब तक वह काम बहुत खूबी से नहीं चलता। और जहां हम ले जा रहे हैं वहां ये सब जरूरतें पूरी होंगी।

मुझे यह उम्मीद है कि जो भी बातें यहां कही गयी हैं उनसे जो कुछ भी फ़ायदा हो सकता है उसे उठाने की कोशिश की जायगी और आयन्दा जब इस क़िस्म के मसले सामने आयेंगे तो हमको जो सलाह दी गयी है उनको ध्यान में रखा जायगा।

(इस समय १ बज कर २२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---मालगुजारी

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)---श्रीमान् जी, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---मालगुजारी के अन्तर्गत ३,९१,००० रु० की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

इसके संबंध में मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान वाल्यूम (खण्ड) १ की ग्रांट नं० २ की तरफ दिलाता हूं जिसको देखने से यह साफ हो जायगा कि यह मांग क्यों रखी गयी है। फ़ैजाबाद और रायबरेली के कलेक्टरियों के स्टाफ़ को जो रिवाइज्ड स्केल आफ पे (संशोधित वेतन-क्रम) के हिसाबसे तनख्वाह देनी पड़ी है उसमें ६,००० रु० की कमी होने से ६,००० रु० उस के लिये चाहिये। दूसरी मद है मैनेजमेंट आफ़ गवर्नमेंट इस्टेट्स। इसमें बजट में २१,३१,१०० रुपया था, लेकिन वाक़ई खर्चा २१,७८,६०० होता है। इस तरह से ४७,५०० रु० फ़ाजिल खर्चा होता है, जिसमें से २९,७०० और मदों की सेविंग से पूरा किया जायगा। बाक़ी १७,८०० रु० की कमी पड़ती है। तीसरी मद है लैंड रेकार्ड्स की। १९५०-५१ में बजट में ३० लाख रुपया रखा गया था पटवारियों की बक़ाया तनख्वाह और लैंडरैकार्ड के स्टाफ़ की तनख्वाह के वास्ते। लेकिन १९५०-५१ में एरियर बिल ठीक वक्त से तैयार नहीं हो सका। लिहाजा कुल रक़म सर्फ़ नहीं हुई। वह पेमेंट अब इस मौजूदा साल में होने से ३,६७,२०० रुपये की और जरूरत पड़ेगी। इस तरीक़े से कुल ३,९१,००० रुपया होता है। उसी के लिये यह अनुपूरक मांग पेश की गयी है। आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स----श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, यह मांग बहुत ही बजा है और इसमें कोई शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। मेरे ख़याल से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एक बात की तरफ तवज्जह दिलाने की जरूरत है और वह यह है एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेज। इससे ताल्लुक़ रखते हुये यह कहा जा सकता है कि जो आपकी स्टेट का निजाम है वह अच्छे तरीक़े से कंट्रोल नहीं है। यह भी रेवेन्यू साइड यानी एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है।

मेरा मतलब कहने का यह है कि माल व फौजदारी का काम पड़ा हुआ है ।

श्री बेचन राम गुप्त--मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ग्रांट जो पेश है वह लैंड रेवेन्यू की है और इसमें जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन कैसे आ सकता है ?

श्री ई० एम० फिलिप्स--मैं अर्ज करूंगा कि लैंड रेवेन्यू में जो अफसर काम करते हैं वे सब एक ही हैं। डिप्टी कलेक्टर वगैरह इनका भी काम करते हैं। इस वजह से उन आफिसर्स की तरफ मैं जरूर इशारा कर सकता हूं। अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं वापस लेने के लिये तैयार हूं। मुझे बता दिया जाय कि ऐसा नहीं है। यह मेरा तजुर्बा भी है और मेरी वाकफियत भी है कि दोनों कम्बाईन्ड (सम्मिलित) हैं। मैं इतनी बात की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। मुझे और कुछ नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी के अन्तर्गत ३,९१,००० रुपयों की अनुपूरक मांगे सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३-लेखा शीर्षक ८-राज्य आबकारी

माननीय श्री गिरधारी लाल--श्रीमान् जी, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३-लेखा शीर्षक ८-राज्य आबकारी के अन्तर्गत ५०,६०० रु० की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं कहना है। जो साहित्य माननीय सदस्यों के सामने है उससे बहुत साफ तरीके से मालूम हो जायगा कि यह, जो मांग है वह इसलिये है कि एक तो थोड़ा सा स्टाफ स्मगलिंग को रोकने के ख्याल से रखा गया है। दूसरे पावर अलकोहल की जो सेण्ट्रल लेबोरेट्री है उसमें कुछ सामान वगैरह खरीदा गया है। इन सब चीजों के लिये मांग रखी गई है । मैं समझता हूं कि यह स्वीकार की जायगी।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी के अन्तर्गत ५०,६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४-लेखा शीर्षक ९-स्टाम्प

माननीय श्री गिरधारी लाल--श्रीमान् जी गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४-लेखा शीर्षक ९-स्टाम्प के अन्तर्गत १,२८,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इसके विषय में भी मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि इसके लिये जो साहित्य है उसमें इसका जो एक्सप्लेनेशन (व्याख्या) है वह पूरे तौर पर दे दिया गया है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४--लेखा शीर्षक ९-स्टाम्प के अन्तर्गत १,२८,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५-लेखा शीर्षक १०-वन

माननीय श्री हुकुम सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५-लेखा शीर्षक १०- वन के अन्तर्गत ४,१५,१०० रु० की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

जहां तक इस मांग का सम्बन्ध है इसके बारे में मुझे केवल यह अर्ज करना है कि जिस वक्त बजट तैयार हुआ था उस वक्त इस बात का ख्याल नहीं किया जा सकता था कि इतना सूखा पड़ेगा और जंगलों से रेजिन निकालने का काफी मौका मिलेगा। चूंकि ऐसा हो गया और रेजिन निकालने के लिये कंडीशंस (परिस्थिति) ज्यादा फेवरेबिल (उपयुक्त) हो गई तो काफी तादाद में रेजिन जंगलों से निकाली गई, टैप की गई जिसकी ८,२०,३००रु० की आमदनी हुई लेकिन इस आमदनी को पैदा करने के लिये ४,६८,००० रुपये के खर्च की भी जरूरत पड़ी। यह ४,६८,००० रु० की मांग है उसमें से ५२,९०० रुपया दूसरे मद से जो बचत होगी उससे पूरा हो गया, बकिया ४,१५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग है। इसमें सौदा बहुत अच्छा है। मुनाफा ज्यादा है और खर्च कम है। मैं समझता हूं कि सदन इसे जरूर स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५-लेखा शीर्षक १०-वन के अन्तर्गत ४,१५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान सं० ७---लेखा शीर्षक १२---मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय

माननीय श्री हुकुम सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७---लेख शीर्षक १२-मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय के अन्तर्गत ३५,६४,२०० रुपये की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

इस सम्बन्ध में वाल्यूम १ के सफा ५ पर इसका पूरा हवाला दिया गया है जिससे जिससे साफ हो जाता है कि क्यों इस अनुपूरक मांग की जरूरत हुई। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७-लेखा शीर्षक १२---मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय के अन्तर्गत ३५,६४,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या संख्या १०------लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८---सिंचाई और जल विद्युत् स्थापना पर व्यय

श्री लताफत हुसैन (माननीय निर्माण मंत्री के सभा सचिव)---जनाब वाला, गवर्नर महोदय की इजाजत से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०-लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८-सिंचाई और जल-विद्युत् स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इस सिलसिले में बैलन प्रोजेक्ट इलाहाबाद का इस हिस्से की आबपाशी करने के लिये बनाया जा रहा है क्योंकि इसके लिये कोई और जरिया आबपाशी का नहीं था। यह १९४९ और ५० ई० में गवर्नमेंट ने इस स्कीम को सैंक्शन किया था। उसके बाद यह महसूस हुआ कि थोड़ा सा रुपया सर्फ करने के बाद उसको और ज्यादा कारआमद किया जा सकता है और मामूली रकम खर्च करके ज्यादा आबपाशी की जा सकती है तो इसलिये इस स्कीम को एक्पैंड (बढ़ावा) कर दिया गया है और इसी सिलसिले में यह मांग रखी गई है। तो इस प्रोजेक्ट से क्योंकि जायदा फायदा होने वाला है, मुझे उम्मीद है कि हाउस इसको स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०-लेखा-शीर्षक १७,१८,१९ और ६८-सिंचाई और जल-विद्युत् स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५१—५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

जैसा कि इसका ब्योरा दिया गया है इस किताब में इसमें दो मुख्य मदें हैं। एक तो यह कि माननीय स्पीकर महोदय के लिये मोटर गाड़ी खरीदना बहुत जरूरी हो गया और दूसरी मद यह है कि एनीमल हस्बेंण्डरी डिपार्टमेंट के लिये कमिश्नर का नया पद बनाया गया और उस पर एक आफिसर नियुक्त किया गया, जो आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी का भी काम करेगा। मैं आशा करता हूँ कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न है कि अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१- ५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन (कमिश्नर और जिला प्रशासन काव्यय)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन (कमिश्नर और जिला प्रशासन के व्यय) के अन्तर्गत १५,८४,००० रु० की अनुपूरक मांग सन् १९५१—५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इसका ब्योरा जो कागजात पेश किये गये हैं उनमें दिया हुआ है।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स--श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने पेश्तर अर्ज किया यह बहुत सही है कि इस रुपये की जरूरत है, बल्कि मैं समझता हूं कि शायद कम पड़े अगर यह खर्चा आइन्दा साल इफेक्टिव तरीके से किया गया। मगर मैं आपके जरिये से गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ जरूर दिलाना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के मुताल्लिक मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स में मुकदमात बहुत पड़े हुये हैं। मुझे मालूम है कि मुख्य मंत्री जी की तरफ से अहकाम जारी हुये हैं। लेकिन खुदा करे कि वह लोग उनकी परवाह करें। इस बात के वास्ते मैं गवर्नमेंट की तवज्जह आपके जरिये से दिलाना चाहता हूं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जो बात फिलिप्स साहब ने कही उस बात के में मैं उनसे इत्तिफाक करता हूं कि मुकदमे वक्त पर होने चाहिए। मैजिस्ट्रेटों को जो वक्त मुकर्रर है उस में अदालतों में आना चाहिए और मुकदमों की तारीख इस तरह से मुकर्रर होनी चाहिए कि जो गवाह उस रोज आएं उन की जरूर सुनवाई हो जाय और किसी को जहां तक हो सके जितना कि जरूरी वक्त अदालत में लगाना पड़ता है, उससे ज्यादा न लगाना पड़े। बाज वक्त यह शिकायत होती है कि मैजिस्ट्रेट लोग अपने पेशकार को या औरों को यह काम छोड़ देते हैं कि वह तारीखों को लगायें और इस वजह से काम ठीक तरह से नहीं होता और उसमें कुछ गोलमाल भी हुआ करता है। गवर्नमेंट की तरफ से हिदायतें भेजी गई हैं कि मुकदमों की ठीक पेशी करने में, उनकी तारीख मुकर्रर करने में, गवाहों के सुनने में सब बातों की तरफ मैजिस्ट्रेटों को खुद ध्यान देना चाहिये और वक्त मुकर्रर पर पंकच्युअली (समय पर) आना चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब की पाबन्दी पूरे तौर से मैजिस्ट्रेटों की तरफ से की जायगी। अगर न की जाय तो मैं चाहूंगा कि इस हाउस के मेम्बर या जो लोग भी इसम दिलचस्पी लें वह इसकी इत्तिला दें ताकि मैजिस्ट्रेटों के लिये जो अहकाम जारी होते हैं उसके खिलाफ अगर काम करें तो उनको यह मालूम हो जाय कि इस तरह की गफलत उनके लिये नुकसानदेह हो सकती है।

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

मैं समझता हूं कि यह बिलकुल सही है कि मुकदमों का काम अच्छी तरह से होना चाहिये ताकि कम से कम दिक्कत मुकदमे वालों को उठानी पड़े। ये शिकायतें बार-बार होती हैं और अब इन शिकायतों की गुंजाइश नहीं। हमने मैजिस्ट्रेटों की तादाद बढ़ाई है। अगर ऐसी शिकायतें कायम रहेंगी तो गवर्नमेंट को फिर सख्ती से काम लेना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन (कमिश्नर और जिला प्रशासन के व्यय) के अन्तर्गत १५,८४,००० रु० की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन (गांव सभाएं और पंचायतें)

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)--श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३-लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन (गांव सभाएं और पंचायतें) के अन्तर्गत १४,२५,००० रु० की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

जो अनुदान का स्मृतिपत्र है उसमें इसकी वजह बतला दी गई है कि यह मांग क्यों रखी गई है। पंचायतों के मंत्रियों की संख्या ८,४१४ है और ५६ लाख रुपया खर्च होता है उसमें से १४ लाख रुपया पंचायतें नहीं दे सकी तो उनको मदद के तौर पर देने के लिये वे ग्रांट रखी गई है क्योंकि सेक्रेटरियों की तनख्वाह पिछड़ गई थी। बहुत सी जगह पानी न बरसने की वजह से टैक्स वसूल करने में दिक्कतें हुईं। पहाड़ी इलाके में हर साल कमी होती है वह पूरी की गई। इस तरह से यह १४ लाख के करीब रुपया होता है। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री मुहम्मद रजा खां--जनाबवाला, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो तवक्कुआत पंचायतों की तकर्रुरी से अवाम को थीं वह पूरी नहीं हुई। जो लोग देहातों में रहते हैं वे जानते हैं कि पंचायतों का काम इस वक्त नामाकूल तरीके पर चल रहा है। अवाम उससे हरगिज मुतमइन नहीं है। रिश्वत का बाजार गरम हो गया है। दो एक शख्स इस किस्म के भी उनमें होते हैं जो चाहते हैं कि रिश्वत न ली जाय लेकिन वह भी मजबूर हो जाते हैं। जहां तक बुरे आदमियों का ताल्लुक था वे लोग भी इस इंतखाब में मुंतखिब होकर आ गये हैं। उनकी वजह से दिक्कतें पैदा हो रही हैं। मैं यह उम्मीद नहीं करता कि इस टर्म में पंचायतों की हालत दुरुस्त हो सकेगी। गवर्नमेंट को जितनी भी कोशिश करनी थी वह उसने की मगर उनमें कोई सुधार इस वक्त तक नहीं हुआ है।

मैं ख्याल करता हूं कि पंचायतों के काम की तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये। जहां तक एस० डी० ओज० वगैरह का ताल्लुक है। मैंने देखा है कि बहुत से मुकद्दमात में उन्होंने जुर्माने माफ कर दिये हैं जो गलत किये गये थे। मुझे ऐसे फैसले मालूम हैं जिनमें बेवाओं और कमजोर औरतों के ऊपर भी जुरमाने सख्ती के साथ किये गये हैं। एक औरत के ऊपर, महज इस वजह से कि उसने चंदा नहीं दिया था, ७० रुपये जुर्माने किये गये। आखिर एस०डी० ओ० ने छोड़ दिया। लेकिन यह काफी नहीं है।

मैं ख्याल करता हूं कि पंचायतों का जो सिस्टम है वह इतना बेहतर है और अगर सही तौर पर काम लिया जाय तो मैं समझता हूं कि लोगों को अदालत में जाने की जरूरत ही न पड़े लेकिन गलत तरीके पर काम किया जा रहा है। शायद ५ फीसदी पंचायतें भी ऐसी नहीं हैं जो सही तरीके पर काम करती हों। गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा तवज्जह करने की जरूरत है और जो पंचायत राज्य आफिसर बनाये गये हैं वह दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं उनको आप हिदायत जारी कीजिये। मुझे कुछ और अर्ज नहीं करना है।

अनुदान संख्या १३-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन
(गांव सभाएं और पंचायतें)

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मुहम्मद रजा साहब ने जिस तरफ इशारा किया है वह मैं समझता हूं कि अदालती-पंचायतों की तरफ किया है। जहां तक जुर्माने क बारे में वह जिक्र करते हैं उनका कहना यह है कि पंचायतों की तरफ से लोग मुतमईन नहीं हैं और जो वह फैसला करती हैं उनमें अन्याय करती हैं। इसके लिये उन्होंने यह भी कहा कि अपील में, रिवीजन में वह उलट दिये गये। उन्हें इस बात का अन्दाजा लगाना चाहिये कि ३५ हजार पंचायतें हैं और इनमें ८००० अदालती पंचायतें हैं और लाखों की तादाद में यह छोटे छोट मुकदमें करती हैं। इनमें वह जुर्माने की ही सजा दे सकती है। ऐसी हालत में जब लाखों मुकदमें होते हैं तो कुछ ऐसे मुकदमें हो सकते हैं जिनमें अन्याय हो जाय। अपील में अगर कोई चीज उलट जाय तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि वहां अन्याय होता है। बहुत से हाईकोर्ट के फैसले होते हैं जिनकी अपीलें मंजूर होती हैं। इस लिये यह नहीं कहा जा सकता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जितने फैसले होते हैं वह ठीक नहीं होते हैं। इसी तरह से पंचायतों के बारे में भी यह आम तौर पर कह देना कि वह नाकामयाब हो गई हैं यह वाजिब नहीं है। मैं समझता हूं कि दो-चार वाकये ऐसे हो जाते हैं तो उसके ऊपर सरकार सतर्क रहती है और उनमें जब सरकार को यह मालूम होता है कि पंचायतें नाजायज तौर पर फैसला करती हैं तो पंचायतों के पंचों और सरपंचों को सजा देने का अधिकार भी सरकार के पास है और कई पंचायतों के बारे में ऐसा किया भी गया कि वहां पंच या सरपंच हटाये गये। इसलिये यह आमतौर पर कह देना कि उनके फैसल ठीक नहीं होते हैं गलत है। मैं कह सकता हूं कि ९९ फीसदी फैसले सही करते हैं और एक फीसदी कहीं गलत होते हैं और इन्हीं एक फीसदी फैसलों के ऊपर शोर ज्यादा होता है। ऐसी हालत में मेरे ख्याल में उनका यह कहना ठीक नहीं है। इसके साथ ही यह भी ख्याल रखना है कि पंचायतों के फैसला करने का तरीका नया है इसलिये हम सबको उसे हमदर्दी से देखना चाहिये। मैं अगर उनको हिसाब लगाकर बताऊं तो उनके फैसले ज्यादातर सही पाये गये हैं और थोड़े से फैसले ऐसे मिलेंगे जो कि गलत पाये जाते हैं। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि वे अपने एतराज को वापस लेंगे और इस अनुदान को यह भवन स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन (गांव सभायें और पंचायतें) के अन्तर्गत १४,२५,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५-लेखा शीर्षक २८-जेल और बन्दी बस्तियां

माननीय श्री गिरधारी लाल---श्रीमान् जी, गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से मैं प्रस्ताव करताहूं कि अनुदानसंख्या १५---लेखा शीर्षक २८---जल और बन्दी-बस्तियों क अन्तर्गत ९,९८,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमान् जी, इस विषय में भी मुझे ज्यादा नहीं कहना है। जो साहित्य माननीय सदस्यों के सामने हैं उसमें इसका एक्स्प्लेनेशन पूरे तौर पर दिया गया है। इसलिये मुझे उम्मीद है कि उसको देखते हुये इसको स्वीकार किया जायगा।

श्री मुहम्मद रजा खां---जनाबवाला, मेरा यह अर्ज करना है कि यह कहना कि जब से यह गवर्नमेंट आई जेलों में कोई सुधार नहीं हुआ बिल्कुल गलत होगा जेलों में बहुत कुछ सुधार हो चुके हैं लेकिन सब से ज्यादा शर्म की बात यह है कि अब भी जलों में रिश्वत जारी है। मैं यह महसूस करता हूं कि जेल ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें रिश्वतों के मुताल्लिक, शिकायतें बहुत ही कम होती हैं इसलिये कि जिन कैदियों से उनका वास्ता होता है वह अगर शिकायतें करें तो उनको ज्यादा तकलीफ पहुंचने का एहतिमाल होता है। मैं गवर्नमेंट कि तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि वह जेलों की तकलीफों को दूर करने के लिये और दिक्कतों को बन्द करने के लिये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझको अपने दोस्त मुहम्मद रजा खां साहब से इत्तिफाक है और मैं एक तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं जिसके मुताल्लिक मुझे दो-तीन दफा जेल के दफ्तर में देखने का इत्तिफाक हुआ। वहां पर गल्ला वगैरह सप्लाई के जो ठेकेदार हैं वे सिर्फ इस अन्दाज से लाये जाते हैं कि जो जेल-वालों के चहेते हों। आप यह खूब समझ सकते हैं और आप के जरिये से मैं गवर्नमेंट के कानों तक यह सदा पहुंचा सकता हूं कि अगर यही सिलसिला कहीं रहा तो पेचीदगी बढ़ जाने का अन्देशा है। मैं जो कुछ समझा हूं वह यह है कि उन ठेकेदारों को रकमें देनी पड़ती हैं। हम लोगों ने जब उन्हें दफ्तर में बुलाया तो हमको यह दिक्कत महसूस हुई कि उन लोगों से जिनसे हमने पूछना चाहा उन्होंने यह कहा कि जो और लोग हैं वह ज्यादा चहेते हैं और इसी वजह से ज्यादा फेवरिट बन गये हैं। मगर साफ खुलकर उन्होंने नहीं कहा लेकिन उनसे जब कान्फीडेन्शली (गुप्त रूप से) पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इतना नहीं दे सकते इस लिये इस तरफ जरूर ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय श्री गिरधारी लाल—माननीय सदस्य ने इस विभाग के सिलसिले में खास तौर से यह बतलाया कि रिश्वत वगैरह रुकनी चाहिये। वास्तव में सिर्फ इस विभाग के लिये नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से सब विभागों में यह कोशिश रही है कि रिश्वत दूर हो। जिस तरह से भी हो सकता है बराबर इस बात की कोशिश की जाती है और रिश्वतों को दूर भी किया जाता है। मुझे खुशी होगी अगर कोई खास मिसाल मुझे दी जाय उसकी तहकीकात की जायगी और उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जायगी और इससे पूरे मुहकमे पर अच्छा असर भी पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे माननीय सदस्य गवर्नमेंट के साथ पूरा-पूरा सहयोग देंगे और इन चीजों को दूर करने में हमारी मदद करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इस अनुदान को स्वीकार किया जायगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी-बस्तियों के अन्तर्गत ९,९८,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २९—पुलिस

माननीयडाक्टर सम्पूर्णानन्द—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २९—पुलिस के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इसका ब्योरा तो दिया हुआ है। इस सदन के माननीय सदस्यों की हमेशा यह इच्छा रही है कि पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी की सिफारिशों पर अमल किया जाय और वह देखेंगे कि इसमें जो खर्चा हुआ है वह ज्यादातर उस कमेटी के सिफारिशों के अमल में लाने की वजह से हुआ है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि यह अनुदान स्वीकार किया जायगा।

श्री मुहम्मद रजा खां—जनाब वाला, पुलिस के मुताल्लिक अवाम की जो शिकायत हैं वे इतनी ज्यादा हैं कि उनका बयान करना बहुत ही मुश्किल है। रिश्वत, जिसकी निस्बत गवर्नमेंट ने एंटी करप्शन कमेटीज बनाई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी रिश्वत बन्द होना तो दरकिनार, आज रिश्वत अपने काफी उरूज पर है। जहां तक कि काम का ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं पुलिस अब काफी काम करती है। लेकिन वह भी अफसोस की बात है कि जरायम की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारी पुलिस अर्से तक डाकुओं की परवरिश करती रही है। परवरिश का लफ्ज मैंने इसलिये इस्तेमाल किया कि मैं देखता हूं कि हमारे सूबे के अन्दर बहुत से डाकू बरसों से जरायम कर रहे हैं और उनके लिये पुलिस तैनात रही है, लेकिन उनकी गरफ्तारियां अमल में नहीं आईं। ऐसे डाकू जो देहातों में छिपे रहते हैं और गिरोह बना कर

हमला कर देते हैं उनकी बात तो जाने दीजिये लेकिन जो बड़े बड़े नामी डाकू हैं और जिनके पीछे पुलिस ६-६ महीने और एक-एक साल से लगी हुई है लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती और वे बराबर डकैती करते रहे हैं, इसकी खासतौर से तवज्जह की जरूरत है । मैं जानता हूँकि इंस्पेक्टर जनरल बड़े नेकनाम और ईमानदार आदमी हैं और वह इस बात की कोशिश भी करते हैं कि रिश्वत बन्द हो, लेकिन सूरत यह है कि हजारों आदमी अजला में काम करते हैं और एक इंस्पेक्टर जनरल साहब मेरे खयाल में उनको नहीं रोक सकते हैं। एक बात मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक पुलिस का ताल्लुक है अब इस किस्म की तब्दीलियां हो गई हैं कि अफसरान का रोब कुछ कम हो गया है। मसलन मैं यह देखता हूं कि डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस सब इन्स्पेक्टर के यहां खाना खाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं। मेरे खयाल में यह बात बहुत तक़लीफदेह है । ब्रिटिश दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर कोई डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, सुपरिण्टेन्डेण्ट या असिस्टेण्ट सुपरिण्टेन्डेण्ट किसी सब इन्स्पेक्टर के यहां खाना खा लेता था या चाय पी लेता था तो बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन आज यह बात जायज समझी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इसकी तरफ ज्यादा तवज्जह करेगी । मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने कोई तवज्जह नहीं की है। उन्होंने तवज्जह की है और ऐंटीकरप्शन कमेटी (भ्रष्टाचार विरोधी समिति) बनाई है, लेकिन उनमें से कुल लोगों ने पूरे तरीके से काम नहीं किया जिसकी वजह से इस वक्त पुलिस में बहुत ज्यादा रिश्वत जारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जह रखेगी ।

श्री ई० एम० फिलिप्स—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं एक तरफ और तवज्जह दिलाना चाहता हूं अलावा उन बातों के जिनकी ओर मेरे दोस्त ने अभी तवज्जह दिलाई। मैंने चन्द मर्तबा इस बात के मुताल्लिक कहा और आज फिर उसको दोहरा रहा हूं कि हमारे सूबे में ही नहीं बल्कि तमाम हिन्दुस्तान में हमारे पुलिस वालों की तनख्वाहें बहुत कम हैं और यही वजह मालूम पड़ती है कि वह रिश्वत लेने पर मजबूर होते हैं। मान लिया कि एक सब-इंस्पेक्टर है उसका एक भाई कलेक्टर है दूसरा एम० एल० ए० है और ऐसे वाक़यात बहुत से हैं, गोकि मैंने यह मिसाल के तौर पर कहा और मेरी समझ में यह नहीं आता कि किस तरीके पर हो सकता है कि सब-इंस्पेक्टर यह सोचे कि मेरे बच्चे सिनेमा न जायं, रेडियो न सुनें, मेरे बच्चे ऐसे कपड़े न पहनें जैसे कि और भाइयों के पहन सकते हैं। अब उनको ऐसा रहन-सहन करने के लिये ज्यादा रुपये की जरूरत पड़ती है और उसको पूरा करने के लिये वह रिश्वत लेकर दुरुस्त करता है। मेरे कहने का मुद्दआ यह है कि विलायत के मुकाबिले में हम वैसा ही काम चाहते हैं पर तनख्वाह नहीं देते । मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे हैड कांस्टेबिल और कान्स्टेबिल्स को जो तनख्वाहें मिलती हैं वह डेली वेजेज वाले मजदूर से कम मिलता है। जब कि कांस्टबिल आपका २४ घंटे का नौकर है और मजदूर शाम को आठ घंटा फरुवा का काम करने के बाद आपसे कहता है कि कल नहीं आऊंगा। उस मजदूर को आप डेढ़ रुपया देते हैं जो ४५ रुपया महीना होता है । एक बेलदार या वह शख्श जिसको गारा ईंट ढोना पड़ता है उसको आप तीन, साढ़े तीन रुपया रोज देते हैं । आप जरा गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि पुलिस में रिश्वत लेने की खास वजह क्या है। मैं जानता हूं कि पुलिस के सामने बड़ी मुश्किलात आती हैं। यह भी मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट ने उस तरफ तवज्जह थोड़ी बहुत की है । और यह भी मुझे मालूम है, और मैंने हस्तुल वसा इस बात की कोशिश की कि गवर्नमेंट की तवज्ह इस तरफ जाय। और-और साहबान ने भी गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ दिलायी। लेकिन इस बात को सामने रख कर अगर कोई ऐसी मियार नहीं कायम की जायगी जिसको कि लेकर पुलिस के रिश्वत के कम से कम जगह के ऊपर पहुंच सकें तो पुलिस की शिकायतें जो हैं उनकी दुरुस्तगी नहीं हो सकेगी। पुलिस की तनख्वाह और उनके ऐसे जायज खर्चे जो हैं उनको भी गवर्नमेंट इस निगाह से देखे जिससे कि अब तक नहीं देखा जाता है। मसलन् ११० का मुकदमा अगर सब-इंस्पेक्टर चालान करता है, आप जाकर पूछ लीजिये, जितने साहबान यहां पर हैं वे खुद अपने तजुर्बे से समझ सकते हैं कि एक सब-इंस्पेक्टर का कितना रुपया खर्च हो जाता है । क्योंकि गवर्नमेंट के किसी क़ायदे से उसे वह रुपया नहीं

[श्री ई० एम० फ़िलिप्स]

मिलता है। तो वह क्या करे ? अगर वह ऐसी शिकायतें अपने मुताल्लिक न पैदा कर ले जैसा कि श्री रजा खां ने बतलाया, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे ? और अगर वह ११० का मुकदमा नहीं चालान करता है तो वह निहायत नालायक, निहायत नाकाबिल और ऐसा आदमी समझा जाता है कि वह स्टेशन आफिसर,या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के काबिल नहीं है। तो इन दिक्कतों को सामने रख कर मैं यह अर्ज करूंगा कि इस तरफ खास तवज्जह की जरूरत होगी, कि क्या किया जाय। मैं तो सोचता हूं कि पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी की जो शहादतें हुई हैं मैं भी उनका एक गवाह था और मुझे खुशी है कि मेरी शहादत के मातहत बहुत सी बातें दुरुस्त की गई हैं। मगर मैं इस बात का इसरार करता हूं कि गवर्नमेंट को तवज्जह इस तरफ जाना जरूरी है और इस डिपार्टमेंट की इन दिक्कतों को सामने रखते हुये इसमें सुधार इस तरीके से किया जाय जिससे वे अपनी इन दिक्कतों को सामने ला सकें। एक बात मुझे और अर्ज करनी है। गवर्नमेंट ने यह वादा किया था कि हम ऐसे तरीके अख्तियार करेंगे कि हमारी पुलिस यह समझे कि मुल्क हमारा है और काम हमें करना है और हमें वाकई में मुल्क के अन्दर ऐसी खिदमत करना है जिससे हमारे मुल्क की आयन्दा सही तरीके से तरक्की हो सके। ऐसा अभी तक इन्तजाम नहीं किया गया। इस तरह की कोई ट्रेनिंग सब-इंस्पेक्टरों को नहीं है या उनके दीगर मातहतों को नहीं है। और जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं उनमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाय कि वे वाकई महसूस करें कि मुल्क हमारा है और हमें इसे दुरुस्त करना और हमें सही तरीके से खिदमत करनी है।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्रीमन्, मैं नहीं कह सकता कि अनुपूरक बजट पर जिस तक्व बहस हो रही हो, जिसमें दो चार खास-खास मदें ही होती हैं, ऐसे मौके पर जेनरल पालिसी की बातों का जिक्र करना कहां तक उचित है। बहरहाल, अभी जो पुलिस की तनख्वाह का जिक्र किया गया, हमारे दोस्त फिलिप्स साहब ने उन लोगों का मुकाबिला, जो कि पुलिस में हैं और और दूसरे पेशों में हैं, एम० एल० एज० से किया। जहां तक मैं समझता हूं एम० एल० एज० तो कोई पेशे वाले नहीं हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ और पेशे वालों से पुलिस की तनख्वाह का मुकाबिला किया। मुझे उनसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि फिलिप्स साहब इस बात को भी याद करेंगे कि उन लोगों की तनख्वाह, जो किसी लड़के को पढ़ा लिखा कर सब-इंस्पेक्टर होने के लायक बनाते हैं यानी टीचर्स, उनकी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा कम है। बहरहाल, सरकार उनकी तनख्वाह के मुताल्लिक गौर करेगी और वह हमेशा इस बात का खयाल रखेगी कि वह उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिये जो कुछ कर सके करे। मुहम्मद रजा खां साहब ने कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाया। जो बात उन्होंने कही वह सही है लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह बात तो सही नहीं है कि सूबे में जुर्म बढ़ रहे हैं। कम से कम ऐसा तो नहीं है कि जुर्म बढ़ रहे हैं। उन्होंने तो एक अजीब बात यह कही कि डाकुओं की परवरिश होती है। यह मेरे देखने में तो नहीं आया। जो वर्षों से यहां पर उत्पात कर रहे थे उनको बहरहाल जेलखाने के अन्दर बन्द कर दिया गया है और अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो और लोग भी उत्पात करने वाले जो गलत आदमी बाहर रह गये हैं वह भी बहुत जल्द बन्द कर दिये जायंगे। अगर कोई बात ऐसी हो गई है कि जिसकी वजह से बदरोबी है तो उसको रोकना चाहिये और जिससे डिसिप्लिन (अनुशासन) ठीक हो। पुराने जमाने की चर्चा करना तो बेकार है। जिस वक्त यहां पर ब्रिटिश हुकूमत थी तो उस वक्त यह फर्क जरूर हो सकता था लेकिन आज वह बात नहीं है और उसके रहने की जरूरत भी नहीं है कि अफसर और उसके मातहत में कोई फर्क रखा जाय और वह एक-दूसरे मिल न पायें। और उनको अलग-अलग रखा जाय। मेरा यह ख़याल है कि जिस चीज की उन्होंने जिकर किया कि पुलिस वाले इस देश को अपना समझ कर सेवा नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं है। पुलिस वालों का ऐसा ख्याल है और वह यह समझते हैं कि यह मुल्क हमारा है और इसकी हमको सेवा करनी चाहिये मैं यह नहीं कहता कि यह चीज सब लोगों के अन्दर है लेकिन यह बात जरूर है कि बहुत लोगों के अन्दर यह बात है। ट्रेनिंग कालेज में कोर्स ऐसा है कि जिसका असर पड़ता हो यह बात नहीं है। चारों तरफ मुल्क के अन्दर जो फिजा है उसका असर जरूर लोगों पर पड़ता है और

जरूर वह चीज है और उन लोगों के अन्दर भी देशभक्ति का माद्दा है। इसलिये मैं यह आशा करता हूं कि सदन इस अनुदान को स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २९—पुलिस के अन्तर्गत सन् १९५१-५२ ई० के लिये २०० रुपयों की अनुपूरक मांग मंजूर की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७-लेखा शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत सन् १९५१-५२ ई० के लिये १०० रुपयों की अनुपूरक मांग मंजूर की जाय।

जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है जिसके अन्तर्गत तस्वीर या स्टेच्यू वगैरह जो चीजे हैं उनको खरीदा जायगा ताकि वह उधर-इधर मारीमारी न पड़ी रहें। उस फंड में हमको भी रुपया देना है। हमको एक हजार देना है। एक हजार पिछले साल का देना है। वह रुपया बजट में मौजूद है तो महज उसके लिये यह १०० रुपये की मांग पेश की गयी है। और मैं आशा करता हूं कि सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७-लेखा शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत सन् १९५१-५२ ई० के लिये १०० रुपये की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८-लेखा शीर्षक ३७-शिक्षा

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८-लेखा शीर्षक ३७-शिक्षा के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

जैसा कि इससे मालूम होगा इसमें कई मदें हैं और वह रुपया बजट से निकालना है। इसलिय मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८-लेखा शीर्षक ३७-शिक्षा के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९-लेखा शीर्षक ३८-चिकित्सा

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९-लेखा शीर्षक ३८-चिकित्सा के अन्तर्गत ७,७०,३०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

जिन कारणों से यह मांग भवन के सामने उपस्थित की जा रही है उस का विवरण तो ग्रांट नंबर १९ में चिकित्सा के अन्तर्गत दिया हुआ है। इसलिये अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत ७,७०,३०० रु० की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३९-जन-स्वास्थ्य

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३९-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत ५०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

[माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इसका भी विवरण ग्रांट नं० २० में दिया हुआ है। जिन चीजों के लिये यह मांग की जा रही है उसका विस्तारपूर्वक विवरण उस में दिया हुआ है। इसलिये इसके ऊपर भी अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। आशा है भवन इसे भी स्वीकार करेगा।

श्री ई० एम० फिलिप्स--श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं इस मद में केवल एक सवाल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं और वह यह है कि मेरे नोटिस में यह बात लाई गई कि टी० बी० रिसर्च के मुताल्लिक कुछ सील्स या छपे हुये टिकट जो कि चर्च सरकिल से आते हैं बेचने की मुमानियत कर दी गई है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों किया गया है। मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों किया गया है। क्या मेहरबानी करके गवर्नमेंट इस पर रोशनी डालेगी ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह सकता कि यह सूचना माननीय सदस्यों को कहां से मिली। टी० बी० सील्स तो अब भी बेची जा रही है यद्यपि सरकार की तरफ से नहीं बल्कि वह टी० बी० असोसियेशन के अन्तर्गत बेची जाती है और उसका जो रुपया इकट्ठा होता है वह यू० पी० टी० बी० असोसियेशन में जमा होता है। उसका खर्च भी उसी की आज्ञा से होता है। मैं नहीं जानता कि जिस बात का जिक्र किया गया है उसकी सूचना उनको कहां से मिली। सरकार ने ऐसे आदेश जारी नहीं किये हैं।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स--मैं आपके पास भेज दूंगा यह वादा करता हूं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३९--जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत ५०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि

माननीय श्री चरण सिंह (कृषि मंत्री)--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि के अन्तर्गत ७,५४,६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इस मांग के अन्तर्गत कई छोटी छोटी मदें हैं जिनका पूरा ब्यौरा इस मेमोरेण्डम में जो माननीय सदस्यों के पास है दे दिया गया है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--मैं प्रस्ताव करता हूं कि.....

उपाध्यक्ष--आप का कोई कटौती का प्रस्ताव समय के अन्दर नहीं आया।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--तो मैं वैसे ही कहे देता हूं। श्रीमान् जी मैं इस अनुदान के संबंध में केवल एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यों तो सरकार के समक्ष बड़ी बड़ी और बहुत सुन्दर योजनायें कृषि विकास की हैं लेकिन वह सब इस प्रकार की हैं कि उनसे बड़े काश्तकारों को ही विशेष लाभ पहुंच सकता है और बड़े बड़े फार्मों को ही ज्यादा सुविधायें मिल सकती हैं। वह ऐसी योजनायें हैं जो पश्चिमी जिलों में ही लागू की जा सकती हैं। पूर्वी जिलों के लिये ट्यूबवेल की योजना है। पूर्वी जिलों के लिये ट्यूबवेल मौजूद हैं या नहीं इसका अनुसंधान कराया गया। पता नहीं कि ट्यूबवेल जौनपुर और बनारस वगैरह जिलों में कामयाबी के साथ चलाये जा सकेंगे या नहीं। हमारे इन जिलों में बहुत छोटे छोटे किसान हैं। वे बड़ी बड़ी रकमें नहीं लगा सकते और न उनकी उन्हें आवश्यकता ही है। ऐसी सूरत में कोआपरेटिव से या किसी और तरीक़े से सहायता लेकर उनको काम चलाने में लाभ होगा या नहीं, यह भी एक प्रश्न है। फिर छोटा किसान छोटी ही रक़म खर्च कर सकता है। उनके लिये छोटे पैमाने पर कोई छोटी मशीन की योजना बनाई जाय तो अधिक अच्छा हो। मैंने इसमें देखा कि उद्योग के अन्तर्गत ग्रांट नं० २८ में जिक्र है कि बनारस के किसी आदमी ने, जिसका नाम इसमें फ़क़ीरचन्द लिखा है, उसने कोई पानी खींचने की चरस जैसी चीज बनाई है। इससे बिना बैलों के पानी खींचा जा सकेगा। पता नहीं यह चीज उद्योग

में क्यों रखी गयी है। यदि यह कृषि में होता तो अधिक अच्छा मालूम होता। इसका संबंध तो कृषि से ही है। यदि यह कृषि में होती तो माननीय कृषि मंत्री इसमें अधिक दिलचस्पी ले सकते थे। ऐसी छोटी छोटी मशीनें ईजाद करानी चाहियें। ये हमारे पूर्वी जिलों में किसानों के लिये बहुत लाभकर सिद्ध होंगी। और यदि छोटे किसानों की तरफ अधिक ध्यान दिया जायगा तो वह अधिक अन्न पैदा कर सकेंगे और इससे उनका भी लाभ होगा। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्वी छोटे किसानों की दशा सुधारने की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय।

माननीय श्री चरण सिंह--श्रीमन्, माननीय सदस्य का भाषण मैंने सुना परन्तु मैं यह नहीं समझ सकता कि इसका इस ग्रांट विशेष से क्या संबंध है जो मैंने पेश की है। उन्होंने एक आम बात उठाई और वह यह कि हमारे पूर्वी जिलों में छोटे छोटे किसानों को अधिक से अधिक सहूलियतें हासिल करायी जावें तो अच्छा हो। इस संबंध में दो राय नहीं हो सकतीं। मैं माननीय सदस्य का ध्यान इसी ग्रांट की जो दूसरी मद है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। फ़ूड ऐंड एग्रीकल्चरल आर्गेनीजेशन यूनाइटेड नेशन्स की तरफ से हमने ८ विशेषज्ञ मंगाये हैं इनमें विशेषकर जिनका कि जिक्र दूसरे नम्बर पर है

"A Farm machinery specialist for the purpose of advising and instructing personnel operating in village communities and on individual farms in the operating and maint enance of farm equipments."

(एक क्षेत्र-यान्त्रिक विशेषज्ञ, जो उस कर्मचारीवृन्द को जो ग्रामवासियों में तथा व्यक्तिगत क्षेत्रों में खेती के सामान के प्रयोग एवं संरक्षण में लगा है परामर्श और अनुदेश दे।) तो एक विशेषज्ञ हमने इस काम के लिये बुलाया भी है ताकि वह इस चीज को देख सकें कि छोटे पैमाने पर जो हमारे यहां खेती होती है उसके औजारों में हल वगैरह में कहां तक सुधार और तरक्क़ी हो सकती है। वह यहां आये हुये हैं और विचार कर रहे हैं। जो राय वह हमें देंगे यदि वह हमें फ़ायदे की मालूम हुई तो उस पर अमल करने की कोशिश की जायगी। अब जो पूर्व और पश्चिम के जिलों की बात कही गयी, मुझे इस बात से इन्कार नहीं है कि हमारे पूर्व के किसान अपेक्षातः अधिक ग़रीब हैं। लेकिन बार बार इस बात का जिक्र करना और एक इस तरह का इम्प्रेशन (भावना) पैदा करना कि यह गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन (भेद) कर रही है और पूर्व की तरफ ध्यान कम देती है, मुझे यह बात तसलीम नहीं है। ऐसी हर्गिज बात नहीं है। यह बात ठीक है कि अंग्रेजों के जमाने में कई कारणों से पश्चिम की तरफ नहरें ज्यादा बनीं और पश्चिम के किसान सिंचाई की सुविधा के कारण पूर्व के किसानों की अपेक्षाकृत ज्यादा मालदार हैं। लेकिन यह कहना कि यह गवर्नमेंट पूर्व की तरफ उतना ध्यान नहीं देती जितना ध्यान देना चाहिये, यह बात सही नहीं है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने सामान्य बहस के जवाब में फ़र्माया था, कई योजनायें इस तरह की हैं, जिनसे हमारे पूर्व के किसानों को फायदा होगा, इस गवर्नमेंट के विचारधीन भी हैं और जेरे अमल भी हैं। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि यह सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०-कृषि के अन्तर्गत ७,५४,६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२-लेखा शीर्षक ४०-कृषि (कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन)

माननीय श्री चरण सिंह--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२-लेखा शीर्षक ४०--कृषि (कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन) के अन्तर्गत ८,४१,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

[माननीय श्री चरण सिंह]

किन मदों के लिये कितने रुपये की जरूरत है इसका ब्यौरा इस स्मृति-पत्र में दिया हुआ है। इसलिये मैं जरूरी नहीं समझता कि उनका यहां बखान करके भवन का समय नष्ट करूं।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--लेखा शीर्षक ४०--कृषि (कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन) के अन्तर्गत ८,४१,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--पशु-चिकित्सा

माननीय श्री चरण सिंह---गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--पशु-चिकित्सा के अन्तर्गत ६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री मुहम्मद रज़ा खां---जनाबवाला, मैं आनरेबिल मिनिस्टर की तवज्जह अपने मग़रबी अजला के मवेशियों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं और खसूसन गाय की तरफ़ कि जिनकी नस्लें इस क़दर कमजोर हो गयी हैं कि वे डेढ़ पाव और आधा सेर दूध देती हैं। मैंने यह भी देखा कि पूर्व के अजला की गायें बहुत अच्छी हैं, जो लखनऊ में नुमायश हुई थी उसमें मैंने देखा था। तो खासतौर से इसकी तरफ तवज्जह करनी चाहिये कि खासतौर से बरेली की गायों की नस्ल अच्छी हो जाय।

माननीय श्री चरण सिंह---जहां तक माननीय सदस्य ने यह बात कही कि हमारे पशुओं की नस्ल बहुत खराब है और उसमें सुधार होना चाहिये, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और यह बात कि पूर्व की गायें अच्छी होती हैं बनिस्बत पश्चिम की गायों के, इस सिलसिले में मैं कुछ अर्ज़ करना नहीं चाहता। केवल जो पूर्व जिलों के दोस्त यहां बैठे हुये हैं उनका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। बाक़ी स्मृति-पत्र में तो साफ़ दिया हुआ है कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की एक 'की विलेज स्कीम थी, उसको हम यहां कार्यान्वित कर रहे हैं और उसके लिये रुपये की जरूरत है। वह स्कीम यह है कि जिन गांवों में दो हजार के क़रीब गायें मौजूद हों उनमें एक की विलेज सेंटर खोला जाय और ५०० गायों को पिचकारी के जरिये गाभिन किया जाय। इसका नतीजा यह होगा कि गाय की जो नस्ल है वह धीरे-धीरे बेहतर हो जायगी। तो इस तरह से ७६ ब्लाक्स हमको अपने सूबे में कायम करने हैं। उसमें से हमने थोड़े से कायम कर दिये हैं उसी के लिये रुपये की जरूरत है।

यों तो इसमें बहुत खर्च होगा लेकिन जो मुहकम का बजट मंजूर हो चुका है उसमें जो बचत होगी उसमें से वह खर्च होगा। केवल टोकेन ग्राण्ट के रूप में ६०० रुपयों की अनुपूरक मांग रखी है।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४---लेखा शीर्षक ४१---पशु-चिकित्सा के अन्तर्गत ६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग

माननीय श्री हरगोविंद सिंह (उद्योग मंत्री)---श्रीमान्, गवर्नर महोदय की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग के अन्तर्गत ८,७०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इस मांग के अन्दर तीन मदें हैं। एक तो गाजीपुर में जो स्कूल खोला गया है उसमें लड़कों को कोई स्कालरशिप (छात्रवृत्ति) अभी तक नहीं दी जाती थी उसमें स्कालरशिप दी जायगी। दूसरे एक श्री फ़क़ीरचन्द हैं उन्होंने एक मशीन बनाई है जिससे कि बैलों के बिना कुओं से पानी खींचा जा सकता है तो उसकी चार मशीनों को खरीदा गया है और

उसमें कुछ अनुसंधान करके उसको और सहल बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तीसरी मद यह है कि रुड़की में जबलपुर से कुछ टीक उड (लकड़ी) खरीदी गयी थी। उसकी निस्बत उसमें कुछ कमी थी। इस वजह से पूरा रुपया नहीं दिया जा सकता था। इस पर फर्म ने जबलपुर में दावा किया, लेकिन वह आपस में गवर्नमेंट ने सुलह कर लिया। उसमें रुपया देने की जरूरत पड़ी। तो इस प्रकार से यह ८,७०० रुपये की मांग आपके संमुख है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात की तरफ़ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो सहायक अनुदान रखी गयी है "उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये" उसमें जो पानी खींचने की मशीन का जिक्र किया गया है तो मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि उद्योग के और काम जैसे धीमी धीमी रफ्तार से चलते हैं और उद्योग की तरफ़ जो कामों में निर्जीवपन सा है वैसा ही इस यंत्र के संबंध में भी उद्योग विभाग में दिखाई देता है। जरूरत इस बात की है कि उसकी जरा जल्दी से जांच कराके और अगर मशीन ठीक काम की हो तो कृषि के काम के लिये इस पर ध्यान दिया जाय और किसानों में प्रचलित किया जाय और इसकी रफ्तार ज्यादा तेज होनी चाहिये। कवल इतना ही निवेदन करना है।

श्री मुहम्मद रज़ा खां—जनाबवाला, यह बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी मशीन ईजाद हुई कि जिससे कूवें से पानी काश्तकार बिला बैलों के ले सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट ने जो ४ मशीनें खरीदी हैं उस सिलसिले में पच्छिम के अञ्चला का भी कुछ खयाल रखा जायगा। जनता को इस वक्त ऐसी मशीनों की जरूरत है।

मैं समझता हूं कि इसके अलावा और तरफ भी तवज्जह करने की जरूरत है। मेरे जिले में ईख बहुत ज्यादा होती है और बैलों के जरिये से पेरी जाती है। तो पहले मैंने देखा कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंण्ट ने एक छोटी सी मशीन काश्तकारों के लिये शक्कर निकालने के लिये बनाई थी। पहले उसकी क़ीमत शायद ७० रुपये थी, उसके बाद वह ढाई सौ हो गयी, अब शायद और बढ़ गई हो। मैं उन काश्तकारों के लिये जहां बैलें होती हैं गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। काश्तकारों को ऐसी मशीनें मुहइया करनी चाहियें कि जिनसे वह अपनी राब बना कर शकर हासिल कर सकें। मेरे जिले के अन्दर खासतौर से ईख बहुत ज्यादा है और इस वक्त काश्तकारों को बड़ी तक़लीफ़ हो रही है, क्योंकि फ़ैक्टरीज गन्ना ले नहीं रही हैं और बैलों पर दाम कम लग रहे हैं। काश्तकार मुसीबत में मुब्तला हैं। तो गवर्नमेंट काबिले शुक्रिया काम करेगी अगर वह ऐसी मशीनें ईजाद करेगी मैं इस मतालबे की ताईद करता हूं, मुखालिफत नहीं।

माननीय श्री हरगोविन्द सिंह—जिस मशीन का जिक्र किया गया है, जैसा मैंने पहले बताया कि एक फ़कीरचन्द साहब जो बनारस के रहने वाले हैं उन्होंने उसे ईजाद किया है। ऐसा समझा जाता है कि अगर और कुछ अनुसंधान इस मशीन में किया जायगा तो यह मशीन और सहल तरीके से चल सकती है। इस मशीन का जो प्रदर्शन किया गया उसमें देखा गया कि एक १२ बर्ष का लड़का या काफ़ी बुड्ढा आदमी इस मशीन को बिला मेहनत के चला सकता है और इतना पानी निकाल सकता है जितना कि करीब चार चरसों से निकलता है। तो इसमें यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जल्द से जल्द यह मशीन परफ़ेक्ट (पूर्ण) करके बाजार में भेजी जाय और ऐसा इन्तजाम किया जाय कि वह काश्तकारों को मिलने लग जाय। तो मैं अपने मित्र मौर्य जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि जितनी जल्दी भी हो सकेगा ऐसा प्रयत्न किया जायगा। जहां तक रज़ा साहब ने कहा है वह भी एक अनुसंधान की बात है। ऐसे लोग अपने कार्यों में लगे हुए हैं और अगर किसी ने ऐसी मशीन का आविष्कार किया तो सरकार की तरफ से इतना ही कहा जा सकता है कि इस बात का अधिक से अधिक प्रयत्न किया जायगा कि ऐसी मशीनों को बना कर जल्द से जल्द बाजार में रखकर काश्तकारों को दस्तयाब बनाने की कोशिश की जाय।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२-लेखा शीर्षक ४३-उद्योग के अन्तर्गत ८,७०० रूपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९-लेखा शीर्षक ४७-विविध विभाग (श्रम और संख्या)

माननीय श्री सैयद अली जहीर (न्याय मंत्री)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९-लेखा शीर्षक ४७-विविध विभाग (श्रम और संख्या) के अन्तर्गत १,२१,४०० रूपयों की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

यह जो पहला वाल्यूम (खंड) है इसके सफा ४५ के ऊपर तफसीलात दर्ज हैं। उससे यह मालूम होगा कि जहां तक कि दो मदों का ताल्लुक है वे सिर्फ एक टोकन ग्रांट हैं। इनमें सौ सौ रूपयों की मांग की गई है। उस पर मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है।

एक रकम है १,२०,९०० रुपयों की, जो कि नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजेंस (नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर) के सिलसिले में सप्लीमेंटरी ग्रांट के जरिये से मांगी जा रही है। इसके मुताल्लिक मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ५ लाख इस कार्य के लिये मंजूर हो चुका है। लेकिन वह सब रूपया खर्च नहीं हो सका और लैप्स (समाप्त) हो गया। इसलिये इसकी जरूरत हुई कि रूपये की मांग फिर पेश की जाय। कुल रकम जिसकी मांग की गई है वह १ लाख ५८ हजार १ सौ की है, लेकिन इस में कुछ रकम यानी ३७ हाजार २ सौ रुपये की मौजूद है इसलिये एक लाख बीस हजार नौ सौ रूपये की रकम मांगी जा रही है।

मुझे उम्मीद है कि यह ग्रांट स्वीकार की जायगी।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९---लेखा शीर्षक ४७---विविध विभाग (श्रम और संख्या) के अन्तर्गत १,२१,४०० रूपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०-लेखा शीर्षक ४७-विविध विभाग (वाहन विभाग)

माननीय श्री हुकुम सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०---लेखा शीर्षक ४७---विविध विभाग (वाहन विभाग) के अन्तर्गत ४,६२,००० रूपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इसमें केवल दो मदें हैं। दो लाख स्टाफ के एनुअल इन्क्रीमेंट्स (वार्षिक वृद्धि) के लिये है और कन्टीजेंसी में ६ लाख ६२ हजार की कमी है। लेकिन डेप्रीसियेशन फंड से चार लाख की बचत है। वह उससे पूरी हो जायेगी। इस तरह से ४ लाख ६२ हजार रूपये की जरूरत है।

आशा है कि सदन इस को स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०---लेखा शीर्षक ४७---विविध विभाग (वाहन विभाग) के अन्तर्गत ४,६२,००० रूपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य (निर्माण कार्यों पर लागत)

श्री लतीफ़त हुसैन---जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक निर्माण कार्य (निर्माण कार्यों पर लागत) के अन्तर्गत ५,९९,६०० रूपयों की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१ लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य (निर्माण कार्यों पर लागत) के अन्तर्गत ५,९९,६०० रूपयों की अनुपूरक मांग १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—श्रीमान जी, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,०७,००० रूपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इस रकम का ब्योरा स्मरणपत्र में दिया हुआ है। उसमें से एक लाख रूपये तो बनारस के आनन्दमयी घाट के लिये हैं और ७ हजार रूपये म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिये तहबाजारी और प्रोजेक्शन फीस के लिये हैं। इसमें जो कमी रह गई थी वह पूरी की गई है। एक लाख रूपये आनन्दमयी घाट के लिये हैं। तखमीना ४ लाख रूपये का है, जिनमें से दो लाख रूपये सरकार देगी और दो लाख रूपये जनता में से एकत्रित होगा। एक लाख रूपये के वायदे हो चुके हैं और ५० हजार रूपये जमा हो चुके हैं। इस साल सरकार को एक लाख खर्च करने की आवश्यकता है। घाट की मरम्मत बनारस को सुरक्षित रखने के लिये भी आवश्यक है और मरम्मत बरसात से पहले होनी आवश्यक है। इसलिये यह मांग रखी गई है। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,०७,००० रूपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष सहायता

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ६,५०,००० रूपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इस बारे में जब मैंने पहले यहां भाषण दिया था उस समय मैं काफी बातें कह चुका हूं। लिहाजा अब अधिक समय लेना गैर जरूरी है।

श्री रामजी सहाय—उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान आवश्यक तो बहुत ही है, लेकिन इसका जो प्रयोग हुआ है वह बहुत ही सीमित क्षेत्र में हुआ है। केवल चार जगहों के लिये यह रखा गया है। मैं आपका ध्यान उसी अकाल क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां कि सूखा पड़ा है वह जगह है देवरिया। यहां पर १३ मिलें हैं। वैसे वह हमेशा डिफीसिट (कमी वाले) एरिया रहा है। लेकिन आजकल तो वहां की अवस्था बड़ी भयंकर हो गई है। वहां के लिये यह चीज नहीं की गई है। बल्कि इसके अलावा सूखा क्षेत्रों में जो लगान और मालगुजारी वगैरह में छूट हुई है उससे भी यह जिला वंचित रहा है। आज वहां की प्रजा त्राहि–त्राहि कर रही है और वहां की जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया है और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और मुझे पूर्ण आशा है कि वह सरकार के पास पहुंचा होगा। मेरा केवल अनुरोध यह है कि इसको भी दुर्भिक्ष क्षेत्र करार दिया जाय। वहां जो असमय वर्षा हुई है उससे रबी की फसल को भारी क्षति हुई है और अकाल जैसी अवस्था पैदा हो गई है। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ने इसको अकाल क्षेत्र घोषित करने की सरकार से प्रार्थना की है और मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में बड़ी उदारता के साथ कृपा कर के विचार करेंगे और इसकी सहायता करेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भिक्ष सहायता का प्रश्न जब इस सदन के समक्ष आता है तो सहसा मुझे भी अपने जिले की जो करुणाजनक स्थिति है वह याद आ जाती है। इन दो-तीन महीनों में प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे सदस्य-गण अपने चुनाव कार्य में लगे हुये थे और भरसक उन्होंने अपनी अपनी सफलता के लिये प्रयत्न भी किया होगा। लेकिन इस सूबे में एकाध ही ऐसे क्षेत्र होंगे जहां ज्यादातर वक्त इस दुर्भिक्ष के सिलसिले में चुनाव के समय में भी लोगों को लगाना पड़ा है। वस्ती जिले का जिक्र इस अनुदान में आया है और ४५ हजार रुपये टेस्ट वर्क्स में रखे गये हैं। बांसी और डुमरियागंज दो तहसीलें उस जिले में हैं और वहां की आबादी दोनों तहसीलों को मिलाकर करीब १० लाख की है। उक्त दोनों तहसीलों का जो उत्तरी भाग है वहां एक फसल होती है। वह अगहनी की फसल है जो कि करीब तीन सालों से रद्द होती आ रही है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसी परिस्थिति जनप्रिय सरकार की है उसके हिसाब से वह अन्न द्वारा लोगों की मदद करती रही है। किन्तु जिस अनुपात में वहां के दुखित लोगों की मांग थी दुर्भाग्य से उसकी पूर्ति नहीं हुई है। एस्चुरिटि प्राविजन शाप्स (दूकानें) जो खोली गईं उनमें बजरी भेजी जाती रही है। इस बात का उलाहना देना कि हमको बजरी व इसी ढंग का मोटा अन्न मिले हमारे लिये उचित न होगा। जो कुछ भी सरकार के अन्न स्टोरों में अन्न उपलब्ध रहा उससे हमको सहायता मिलती रही। उसके लिये हम अनुगृहीत हैं। पिछले वर्षों में उक्त क्षेत्रों से काफी चावल बाहर जाता रहा है। लेकिन अब वहां के लोग जो लाखों मन चावल दूसरे स्थानों को भेजते रहे हैं वह उन्हें खुद नहीं मिलता है। ऐसे भी मौके आये हैं बांसी तहसील में खास तौर से जब लोगों ने आलू के पौध के डंठल खा कर कमल के नीचे की जड़ खा-खाकर वक्त गुजारा है और अब तो उन तालाबों में पानी भी नहीं है, मिट्टी के ढेर दिखलाई पड़ते हैं। शकरकंद खा खा कर उन्होंने अपने वक्त को काटा है। ऐसे भी बहुत से मजदूर पेशा लोग हैं जिन्होंने ईख चूस चूस कर अपने वक्त को व्यतीत किया। इस सदन के समक्ष मैं इस वास्ते उन बातों को लाना नहीं चाहता कि कोई प्रचार हो, बल्कि वहां की जो वास्तविक स्थिति है उसका दिग्दर्शन कराना चाहता हूं। इसका जिक्र मैं समय समय पर मुख्य मंत्री जी की सेवा में करता भी रहा हूं और सौभाग्य है कि हमें उनसे आश्वासन भी मिलता रहा है कि सरकार ऐसा मौका कतई नहीं आने देगी कि बस्ती के लोग भूखे रहें। अगर सरकार और जनता के बीच में कोई कड़ी रही है तो हम साधारण सदस्यगण ही हैं। यदि वहां के शासन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है और उसको हम माननीय सदस्यों और माननीय मुख्य मन्त्री के समक्ष नहीं ले आते हैं तो हम अपने फर्ज की अदायगी पूरी तरह से नहीं करते हैं। चुनाव के सिलसिले में भी जब हम वहां गये तो हमारा सबसे बड़ा जिला तबाही में मिला। यह हमारे लिये कहना उचित न होगा कि बस्ती के अफसरान का वक्त आराम से गुजरता रहा। उनका वक्त मानना पड़ेगा मुनासिब कामों में लगता रहा। लेकिन कितने ही आवश्यक से आवश्यक काम के सामने भूख तो भूख ही रहती है। वह अपनी आर्तनाद को ऐसे स्थान तक अवश्य पहुंचाती है जहां से उसको कोई आशा भूख प्यास बुझाने को मिलती है। बांसी तहसील में एस्चुरिटि प्राविजन की दूकानें खुलीं, डुमरियागंज में भी खोली गईं लेकिन बांसी में बहुत कम दूकानें खोली गईं थीं, एस्चुरिटि प्राविजन की दूकानों के लिये कुछ कायदे-कानून हैं। उसके लिये कम से कम ३ हजार रुपये जमा करने चाहिये। विचार करने की बात है कि जहां के रहने वाले शकरकंद, भसींड़, शरकी और तमाम अन्य जंगली चीजें खा खा कर वक्त गुजारते हों वह कैसे इस बात की पाबन्दी पूरी कर पायेंगे कि ३-४ हजार रुपया जमा कर सकें।

मैंने मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि वहां टेस्ट वर्क के कायदे कानूनों में अगर थोड़ी ढिलाई कर दी जाय तो सुविधा होगी। आजकल आर्थिक संकट तो है ही। टेस्ट वर्क में केवल १० आने मजदूरों को प्रतिदिन मिलते हैं। उससे अकेले उनका पेट भी नहीं भर सकता।

खाद्य मंत्री जी ने राज्यपाल के संबोधन के सिलसिले में कहा था कि ४५ हजार रुपया टेस्ट वर्क के लिये बस्ती के हिस्से में रखा गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि

उनको पता भी है कि ४५ हजार में से कै हजार खर्च हुआ है। मुश्किल से २० हजार रुपया खर्च हुआ होगा। ४५ हजार रुपया जो खर्च होने को है नहीं के बराबर है। पड़ोस ही में, जिला बहराइच के लिये मैं देखता हूं कि १ लाख रुपया खर्च करने को दिया गया। किस हिसाब-किताब से एक जगह १ लाख ५५ हजार रुपया रखा जाता है और एक जगह ४५ हजार। यदि कोई व्योरा दिया होता तो मैं समझता कि बहराइच की सब तहसीलों में अकाल है और बस्ती में कुछ तहसीलों में है। जाहिर है कि फुटकर ढंग से १,५५,००० और ४५ हजार रुपया रख दिये गये हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह दोनों तहसीलें डुमरियागंज और बांसी में अन्न की स्थिति बहुत ही खराब है और जो दूकानें खोली गई हैं वे बहुत ही कम तादाद में है।

सरकारी अहलकार जो हैं उनकी मैं शिकायत तो नहीं करता शायद उनके सामने कोई रुकावट हो। लेकिन जिस तरह एस्चुरिटि प्राविजन शाप्स (दूकानों) का काम चलना चाहिये वह नहीं चल पा रहा है। ४५-४६ रुपये दे कर ट्रक पर सामान खानगी ढंग से आ सकता है। लेकिन वहां कुछ कांट्रेक्टर्स हैं उनको डबल चार्जेज देने पड़ते हैं। जब इस तरह चार्जेज पड़ जाते हैं तो दूकानदारों को कुछ मुनाफा ही नहीं होता। कुछ लोग अपवाद में ऐसे भी आते हैं जिनको वास्तव में तो सेवा करना चाहिये लेकिन ऐसा करने के बजाय वे बहक जाते हैं। इसके साथ साथ दूकानदारों को खजाने में जब रुपया जमा करना होता है तो गलत तरीके से पैसा देना पड़ता है। सप्लाई विभाग में क्लर्कों की भी सेवा करनी पड़ती है। एहतियात बरते जाने पर भी अन्न वहां समय से नहीं पहुंच पाता। एक तरफ तो मुनाफा खत्म, फिर भी हेडक्वार्टर पर कभी कभी उन दूकानदारों को चार-चार, और पांच-पांच रोज ठहरे रहना पड़ता है। इससे खर्च बढ़ जाता है। बांसी का उत्तरी भाग चावल पैदा होने वाला क्षेत्र है। हालांकि गवर्नमेंट की पालिसी (नीति) है कि ऐसी जगहों पर चावल भेजा जायगा लेकिन जब सरकार ने यही मुनासिब समझा कि जहां की खास ग़िज़ा चावल है वहां बजड़ी भेजी जाती है जिसको जानवर भी खाने से हिचकते हैं तो विवशता ही समझना चाहिये। मगर अन्न के अभाव में लोग खुशी से खाते हैं। ऐसा करने के लिये मजबूर हैं। ऐसी दशा में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अगर हो सके तो चना-गेहूं भी भेज दिया जाया करे, चाहे थोड़ी ही मात्रा में क्यों न हो। उक्त दोनों तहसीलों में जो लोग मजदूर पेशा हैं उनको बहुत ही परेशानी है। जब खेत में कुछ पैदा हुआ ही नहीं तब जो मध्यम वर्ग के छोटे छोटे जमींदार हैं वे दिल मसोस कर रह जाते हैं कि किस तरह से अपनी जिन्दगी बितावें। कोई कारोबार भी नहीं है न कोई उद्योग धंधा ही है, जिसमें मजदूर काम कर सकें। उसके ऊपर मालगुज़ारी और लगान की अदायगी का सवाल आता है। जब वह क्षेत्र दुर्भिक्षग्रस्त है, वहां खाने-पीने और रोटी के लाले हैं तो लगान और मालगुज़ारी कैसे अदा हो सकती है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार के खज़ाने में मालगुज़ारी न आये। अगर सुचारु रूप से शासन चलाना है तो मालगुजारी की अदायगी पहले होनी चाहिये, लेकिन जब हम बजट में एक शीर्षक देते हैं कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट दुर्भिक्षग्रस्त है, वह अकाल पीड़ित एरिया है तो बड़े बड़े जमींदार, ताल्लुकदार, राजा महाराजा, हो सकता है कि वह अपनी पुरानी स्थिति की वजह से किसी ढंग से मालगुज़ारी को अदा कर सकें। परन्तु छोटे जमींदार बड़े संकट में पड़े हुये हैं।

छोटे छोटे जमींदार वर्ग की सूरत यह हो रही है कि उनके बैल मवेशीखाने में डाल दिये जाते हैं ७-७,८-८ रोज वहां रहते हैं। उसका भार भी उनके ऊपर पड़ जाता है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि मालगुज़ारी की वसूली न की जाय बल्कि जो लोग अपनी मजबूरी की वजह से अपनी मालगुज़ारी नहीं दे पाते हैं उनको इस प्रकार परेशान न किया जाय। जैसा जिक्र है कि सरकार और जनता के बीच में हम लोग ही एक अङ्ग हैं। इस लिये सरकार को हमारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और वास्तविक परिस्थिति को सरकार के सामने रख देना हमारा फर्ज भी है। इसलिये मैं सरकार से नम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूं कि टेस्ट वर्क के जो काम चलाये जा रहे हैं वे तेजी के साथ चलाये जायं। सड़कों पर मिट्टी डाली जा रही है जो बरसात में फिर बह जायेगी और रुपया भी बर्बाद हो जायेगा।

[श्री राम कुमार शास्त्री]

इस लिये सरकार को ऐसा काम कराना चाहिये जिससे लोगों का भला हो, और वह काम भी कुछ दिनों तक के लिये कायम रहे।

अस्तु इन थोड़े से शब्दों के कहने से मेरी तो यही मन्शा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी बस्ती की तरफ ध्यान दें। अनुदान में लिखा हुआ है कि बस्ती डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब भी सम्भवतः सिफारिश करें कि रुपया बढ़ाया जावे। जब वहां की हालत इतनी दयनीय है तो सिफारिश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं समझता हूं कि इतनी दौड़-धूप में जो अफसरों पर रुपया बर्बाद किया जाता है उससे लोगों की मदद की जाय तो दो-एक परिवार का भला हो सकता है, उनका पालन-पोषण हो सकता है। स्पष्ट रूप से बस्ती की स्थिति आपके सामने है। इस लिये आप से बार बार मेरी यही प्रार्थना है कि वहां की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये सरकार जहां तक हो सके प्रयत्न करे जिससे गरीब जनता दुर्भिक्ष के प्रकोप से बच सके।

श्री नवाजिश अली खां--उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के ऊपर मैं चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी की तवज्जुह मुनकिद करूं। जिला बहराइच के माननीय सदस्य भगवान-दीन मिश्र जी ने हालांकि वहां की बहुत सी बातों को मुख्यमंत्री जी के सामने रख दिया है और उसका जवाब भी माननीय मुख्य मंत्री ने बहुत तसल्लीबख्श दिया है फिर भी मैं सिर्फ एक-दो बातें और उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। आपने वहां १०-१० आना और ४-४ आना दो रेट रखे हैं अगर उसके बजाय आप एक ही फ्लेट रेट रख दें तो बेहतर होगा।

दूसरी बात यह कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं उनसे कोई फायदा नहीं है। नैपाली इलाका वहां पास ही में लगा हुआ है। रोजमर्रा वहां पर चोरियां होती हैं। फिर मुसलसल तीन साल हो गये पत्थर से फसल खराब हो रही है। ५ लाख रुपये से ज्यादा इन कामों पर खर्च होना चाहिये। अब १ लाख ५५ हजार का जो अनुदान है वह इसके लिये बिलकुल नाकाफी है। मेरा ख्याल है कि जितना रुपया पहिले खर्च हुआ है उसका तीन गुना रुपया और खर्च किया जाना चाहिये और उन मदों में खर्च किया जाना चाहिये जो उनके लिये मुफीद साबित हों। मस्लन वहां तालाब हैं जो १५-१५, २०-२० फीट नीचे थे जिनकी गहराई अगर आज नापी जाय तो १-१, २-२फुट ही रह गई है। उनको ठीक करा दिया जाय तो बेहतर होगा। मैंने इस चीज के बारे में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी कहा था कि इन सड़कों के बजाय तालाबों को बना दिया जाय, जिससे उनमें बरसात के जमाने में पानी भर जाय और उसके बाद में उन्हें फायदा हो सके और वे लोग उनका इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने कहा कि हमें फेमिन कोड इसकी इजाजत नहीं देता।

जिस जगह का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका आप मुलाहिजा करें कि पहले दिन एलान किया गया कि फेमिन की मदद के लिये सड़क बनेगी तो साढ़े सात हजार आदमी आये, दूसरे दिन ६ हजार आदमी आये और तीसरे दिन १२ हजार आदमी आये। अब इंजीनियर ने, जो फेमिन के इन्चार्ज थे, कहा कि १० हजार से ज्यादा हम फेमिन कोड के मुताबिक नहीं रख सकते हैं लिहाजा आप लोग रुके रहिये। तो जो मजदूर थे उनको सात-सात, आठ-आठ दिन और नौ-नौ दिन बाद मजदूरी मिली और जो लोग दस-दस कोस चल कर आये थे वे फाका करने लगे और जो कुछ अपने साथ लाये थे उसको लेकर भाग गये। ऐसी सूरत में मैं गवर्नमेंट की खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि बेहतर यह है कि आप उन सड़कों को बनाने के बजाय फेमिन कोड में तरमीम कर दें और इस तरह से उन तालाबों को बनवाया जाय तो उससे ज्यादा फायदा होगा। तालाबों से मिट्टी निकलवा कर उन सड़कों पर अगर उसे डलवाया जाय तो यह चीज ज्यादा बेहतर होगी। वहां के लोग वाकई में फाका कर रहे हैं। पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं। वहां के लोग जंगल के अन्दर जाकर घास खा रहे हैं। यह ऐक्चुअल (वास्तविक) चीज है जो मैं कह रहा हूं। दूसरी चीज इस सिलसिले में मुझे यह अर्ज करनी है कि तीन वर्ष से यह हालत हो रही है। जब तक गवर्नमेंट खुद पक्के इरादे से इसको टैकल नहीं करेगी (हाथों में नहीं लेगी) तब तक यह हालत नहीं सुधर सकती है। उसके लिये बेहतर तरीका यह है कि फेमिन

तो रोजमर्रा आता रहेगा, पत्थर आता रहेगा, अभी परसों-नरसों ही पत्थर आया था, सूख. आता रहेगा, वहां ट्यूबवेल का सिस्टम जारी कर दिया जाय। हमारे यहां जितनी सड़कें हैं कोई भी ऐसी नहीं है जो अच्छी हालत में हों।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

बदकिस्मती से हमारे जिले में कोई पक्की सड़क नहीं है सिवाय गोंडा बहराइच सड़क के। वहां पर आबपाशी के लिये पानी का किसी किस्म का इन्तजाम नहीं है। न नल का इन्तजाम है, न ट्यूबवेल का इन्तजाम है। इसलिये मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि वह आइन्दा के प्रोग्राम में इस चीज को रख ले कि गांजर का इलाका जहां की हालत बहुत ही खराब है और जो बहुत हाट (गरम) है वहां पर ट्यूबवेल सिस्टम जारी हो जाय। मैं समझता हूं कि यह डिस्ट्रिक्ट ऐसा एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है कि वह अवध के पूरे पापुलेशन के लिये काफी हो सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं गवर्नमेंट से इल्तमास करूंगा कि इन सड़कों के साथ ही तालाबों की रकम को भी बढ़ाया जाय और वहां पर ट्यूबवेल व नहरों का भी ख्याल रखा जाय।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैंने इस कहतसाली और फसल नुकसान होने की वजह से जो पूर्वी जिलों के कुछ हिस्सों में रहने वालों को तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं उसके बारे मैंने अपनी पहली तकरीर में कुछ कहा था। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तिफाक करता हूं कि जहां इस किस्म की कोई तकलीफें हों उन्हें हर तरह से दूर करने का काम होना चाहिये और इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिये। इस तरह की हिदायतें हमारी तरफ से जिलों में दी भी गई हैं। इस तरह की हिदायतें फूड डिपार्टमेंट की तरफ से गई हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी गई हैं। लाखों रुपये तकावी भी दी गई है। टेस्ट वर्क भी खोले गये हैं, आस्टरिटी प्राविजनिंग स्कीम (मितताहार अन्न योजना) के मातहत लाखों मन गल्ला दिया गया है। कुछ थोड़ी रकम के लिये ग्रैट्यूटस रिलीफ (मुफ्त सहायता) के मातहत जो कि बिल्कुल काम नहीं कर सकते उनको भी कुछ मदद दी जा रही है।

मैं यह चाहता हूं कि हर तरह से जो उनकी तकलीफें हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाय। देवरिया, बस्ती और बहराइच के बारे में इस वक्त खासतौर पर कहा गया है। बहराइच के बारे में मैंने सवेरे भी कुछ कहा था कि जो रकम इसके अन्दर उसके लिये रखी गई है उससे अगर काम नहीं चले तो ज्यादा रुपया वहां पर खर्च किया जाय। सिर्फ इसी रकम के अन्दर हम अपने को महदूद नहीं कर सकते। अगर कोई कायदे कानून भी इसके लिये हमको बदलना पड़े तो उनको बदलना चाहिये। महज किसी कायदे कानून की वजह से हम किसी की तकलीफ़ को दूर न कर सकें और हम आगे न बढ़ें यह नहीं होना चाहिये। हमारे रास्ते में जो भी इस तरह की चीजें आवें उनको हमको बदलना चाहिये और दूसरे कायदे बनाने चाहियें। उनकी वजह से लोगों की तकलीफ़ बढ़ें यह गुंजाइश किसी तरह से नहीं छोड़ना चाहिये। सिर्फ देखने की बात यह है कि आया जो जरिये हैं उनको अमल करने का जो तरीक़ा है उससे वह कारामद होते हैं या नहीं और उनसे फायदा होगा या नहीं। बहुत से वाटर लौग्ड एरिया हैं वहां से पानी को निकाल कर कोई नाला या नहर बनाई जा सके तो उस पानी का भी इस्तेमाल हो सकता है और जमीन में खेती भी हो सकती है और उनमें टेस्ट वर्क करने की बात भी अच्छी है। इससे फसल भी हो सकती है और हमारी पैदावार भी बढ़ सकती है और वह पानी जो बेकार पड़ा हुआ है वह फसलों को सुधारने के काम में आ सकता है। इस तरीके से और भी बातें की जा सकती हैं। अगर हम नहर निकालें या गूल बनावें या कोई टेस्ट वर्क खोलें तो उनके लिये हमको सोचना चाहिये। यह हो सकता है कि महज सड़कों पर मिट्टी फेंकना ज्यादा फायदामन्द न हो। बहुत जगहों पर जो दूसरे बेहतर काम हों उनको करना चाहिये।

जहां तक बस्ती का ताल्लुक है रामकुमार जी ने बराबर मुझे लिखा है और जो उनकी तजवीज है उसके मुताबिक काम करने की कोशिश की गई है फिर भी मुझे जरूरत मालूम

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

हुई और देखभाल करने की जरूरत समझी गई तो फूड डिपार्टमेंट के एक अफसर को वहां पर भेजा जायगा। अब वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बुलाया है ताकि अगर कोई किसी तरहकी कोताही हो तो उसको दूर किया जा सके। देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात हुई उनसे भी पूछा कि क्या करना चाहिये ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो उसको दूर किया जा सके। जहां पर इन्सान की जिन्दगी का सवाल आता हो वहां पर पैसे को खर्च करने का सवाल कोई चीज नहीं है। यह बात जरूर है कि हमारे पास पैसा महदूद है लेकिन जहां पर जिन्दगी बचाने का सवाल है वहां पर चाहे हम किसी ढंग से पैसे लाय उस काम में किसी तरह से कोताही करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से भी ठीक हो सके उस तरह से उस काम को करना चाहते हैं। इन तीन जिलों के बारे में और बातें भी दरियाफ्त करने की कोशिश की जायेगी। जो साहबान वहां के रहने वाले हैं अगर वे बतलायेंगे तो मैं उनका मशकूर हूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी तकलीफ जिसको हम दूर कर सकते हैं उसकी वजह से कोई इन्सान परेशान होता है और उसको तकलीफ बरदाश्त करनी पड़ती है तो उसको दूर करना हमारा फ़र्ज है। अगर जो हम कर सकते हैं उसमें किसी तरह से कोताही हो तो यह बात नहीं होनी चाहिये। इस लिये जो खर्चा इसमें दिया गया है उसमें तकावी का जिकर नहीं है मगर वह खर्चा उसमें किया जायगा। अगर यह खर्चा नाकाफी है तो हम और रुपया खर्च करेंगे और जो भी हम कर सकते हैं उसको करेंगे। उन जिलों के जो सदस्य हैं उनकी हम मदद चाहते हैं ताकि अगर कहीं पर कमी हो तो वह हमको बतलायें।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ६,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेन्शनें

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनों के अन्तर्गत २,०५,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इसका भी ब्योरा दिया हुआ है और इसके बारे में भी और कुछ कहना नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनों के अन्तर्गत २,०५,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना

माननीय श्री हरगोविन्द सिंह—महामान्य गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं की अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापेखाने के अन्तर्गत ४७,५०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण जो एक प्रेस या छापाखाना वहां था उसमें काम की बहुतायत हो गई है इस लिये आवश्यक हो गया है कि कुछ नई मशीनें खरीदी जायं

और नैनीताल के छापेखाने की मशीन वहां से रुड़की लाई जाय। यही खर्च इस मांग के अन्तर्गत है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापेखाने के अन्तर्गत ४७,५०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित कया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय के अन्तर्गत ६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय के अन्तर्गत ६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय (अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान)

माननीय श्री गिरधारी लाल—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय (अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के सुधार और उत्थान) के अन्तर्गत ३,९३,१०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसके अन्तर्गत भी मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है। इसका पूरा विवरण जो बजट साहित्य सामने है उसमें दिया गया है। पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान के सम्बन्ध में ही यह खर्च है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन करना है। जहां तक मुझे मालूम है हमारी सरकार ने पिछड़ी जातियों की शिक्षा के कार्य के लिये एक सूची स्वीकार की है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी पिछड़ी जातियों की एक इसी तरह की सूची बनाई है। मेरे ख्याल में इन दोनों सूचियों में अन्तर है, लेकिन यदि अन्तर न भी हो तो भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार इन सूचियों को फिर से देखने का कष्ट करे और अगर संशोधन अपनी तरफ से हो तो वह किया जाय और अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया से सिफारिश करने की जरूरत हो तो वह की जाय ताकि जिनको सहायता की जरूरत है जो दबे हैं वह भी उस में शामिल हो जायं।

माननीय श्री गिरधारी लाल—माननीय सदस्य ने ऐसा सवाल उठाया है कि उस पर विचार करके ही मुनासिब जवाब दिया जा सकता है। यहां सिर्फ इतना मैं कह देना चाहता हूं कि हमारी पिछड़ी हुई जातियों की सूची केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत है और उसी के अनुसार हम अमल करते हैं। अगर कोई खास पिछड़ी हुई जाति सूची से रह गई है तो उसपर विचार किया जा सकता है और उसकी केन्द्रीय सरकार से मंजूरी लेकर उसके अनुसार अमल कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७–विविध व्यय (अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के सुधार और उत्थान) के अन्तर्गत ३,९३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय

माननीय श्री चन्द्र भानु गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१-लेखा शीर्षक ६३-असाधारण व्यय के अन्तर्गत ९२,९३,७०० रु० की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१-लेखा शीर्षक ६३-असाधारण व्यय के अन्तर्गत ९२,९३,७०० रु० की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बाँध तथा पानी के निकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों का सम्पादन

श्री लताफ़त हुसैन--जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध तथा पानी के निकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों के सम्पादन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध तथा पानी के निकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों के सम्पादन के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६--लेखा शीर्षक ८१-राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी-लेखा

श्री लताफ़त हुसैन--जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों के पूंजी लेखे के अन्तर्गत १,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों के पूंजी लेखे के अन्तर्गत १,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८-लेखा शीर्षक ८२-राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी-लेखा

माननीय श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८--लेखा शीर्षक ८२--राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों के पूंजी लेखे के अन्तर्गत ३०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

यह केवल टोकन ग्रांट है ३०० रुपये की, बाक़ी रुपये तो लाखों खर्च होंगे लेकिन वह हमारे बजट की बचत से पूरा हो जायगा।

अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ८२—राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ८२—राजस्व लखे को बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों के पूंजी लेखे के अन्तर्गत ३०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८३—पेन्शनों की संराशि का भुगतान

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि के भुगतान के अन्तर्गत १,८६,४०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि के भुगतान के अन्तर्गत १,८६,४०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०—लेखाशीर्षक ८५ क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी-लागत

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक ८५क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी-लागत के अन्तर्गत ४,९५,४३,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक ८५—क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी-लागत के अन्तर्गत ४,९५,४३,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक द—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक द—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत २१,००,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक द—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत २१,००,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल)

माननीय अध्यक्ष—मैं जानना चाहूंगा कि इन मांगों से सम्बन्धित विनियोग विधेयक, यानी ऐप्रोप्रियेशन बिल अब ले लिया जाय, अभी कुछ समय है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां।

मैं इजाजत चाहता हूं कि १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पेश करूं।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पेश करता हूं।

(कुछ रुक कर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पर विचार किया जाय।

यह बिल जिसकी मदें अभी हमने अनुपूरक अनुदानों के रूप में पास की हैं उन्हीं के बारे में है और वही तफसील इसमें दी गई है। लिहाजा इसके बारे में कुछ और अधिक कहने की जरूरत नहीं। इस पर विचार किया जाय।

श्रीमती इनाम हबीबुल्ला—जनाबवाला, एप्रोप्रियेशन बिल जो इस वक्त पेश है इस पर कई तक़रीरें हो चुकी हैं इस ज़िम्न में मैं चन्द अल्फाज़ कहना चाहती हूं। हमारे मुख्य मंत्री ने जो तक़रीरें कीं वे निहायत ही उम्मीद अफज़ा थीं और उससे मुझे और भी ज्यादा हिम्मत हुई कि मैं अपने उन खयालात को चन्द अल्फाज़ में उन बातों की बाबत जाहिर करूं जिनसे कि इस वक्त लोगों को बहुत ज्यादा तक़लीफ है। आपने फरमाया कि हमारा रुपया ज्यादा सर्फ हो जाय तो कोई हर्ज नहीं लेकिन हमको दूसरों के सुख का ख्याल करना जरूरी है और हम लोग इसमें दरेग नहीं करेंगे। ये बातें उम्मीद अफज़ा हैं।

मैं समझती हूं कि गल्ले और खाने-कपड़े वग़ैरह की जो दुश्वारी हो रही है उसके अलावा सब से ज्यादा आजकल जो तकलीफदेह चीज है वह यह है कि देहात के आने-जाने के रास्ते और सड़कें इस क़दर बर्बाद और ख़राब हो रही हैं कि गाड़ी की बात तो अलग रही कोई पैदल भी चलना चाहे तो भी उसको दुश्वारी होती है। मैंने देखा कि सन् ४७ से पेश्तर जब दूसरी गवर्नमेंट कायम थी तब वह देहातों के लोगों से फंड के जरिये से और टैक्सों के जरिये से रुपया वसूल करती थी, मैं भी उस कमेटी में थी, तो लोग जब पूछते थे कि इससे ग़रीबों को फायदा क्या होगा तो उन्होंने कहा था कि हम सब से पहला काम यह करेंगे कि उनके लिये सड़कें बनवायेंगे ताकि उनको आसानी हो। वह गवर्नमेंट तो नहीं रही मगर अपनी गवर्नमेंट के आने पर हमको बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि ऐसी चीजों में आसानियां हो जायंगी। लेकिन अब तो यह हालत है कि उन सड़कों पर गाड़ियां ही चलना दुश्वार हो गया है, जिसका मुझे ज़ाती तजुर्बा भी है। एक मर्तबा जब मैं गाड़ी ले गयी तो वहां पर यह हालत थी कि गाड़ी तो दरकिनार पैदल चलना भी दुश्वार था। मैंने पैदल चलने की कोशिश की मगर चल न पाई। मैं समझती हूं कि गवर्नमेंट के लिये यह जरूरी है कि सड़कें अच्छी बनवाये। आपके ट्रांसपोर्ट की भी तरक्की होगी और वहां से चीजें लाने और ले जाने में दुश्वारी न होगी।

दूसरे आज कल जरूरत इस बात की है कि हमारा मुल्क तिजारत में तरक्की कर सके हालांकि वह अभी तक इस काबिल नहीं हो सका कि दूसरों का मुकाबला कर सके। इस मुल्क में इतनी सनअतें हैं, इतनी चीजें हैं कि अगर हम उनको तरक्की दें तो कोई वजह नहीं है कि हम मुकाबला न कर पायें। मैं खुद जानती हूं बाराबंकी का हाल कि वहां के जुलाहे इस कदर उम्दा कपड़ा बुनते हैं कि अगर आप उनको ले जाकर दूसरी जगह दिखाइये तो कोई यकीन नहीं कर सकता कि वह हाथ के बुने हुए हैं। मैंने उसके नमूने सब जगह भेजे थे। वहां पर सैदनपुर, जैटपुर और रामपुर के जुलाहों का कपड़ा जो बुना हुआ होता है वह बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको वैसा सूत नहीं मिलता है जैसा कि मिलना चाहिये। बारीक के बजाय मोटा सूत दिया जाता है। कई मर्तबा मैंने इस पर तवज्जह दिलाई कि उनको सही तरीक़े का तागा मिलना चाहिये, ताकि वे इस

पर काम कर सकें लेकिन इस वक्त तक उनको कोई चीज ऐसी मुहइया नहीं हो सकी कि वह अपना काम बाकायदा चला सकें। मैं उम्मीद करती हूं कि आइंदा मैं तो यहां नहीं हूंगी लेकिन आप लोग इसका जरूर ख़याल रखेंगे और इन चीजों के बढ़ाने में कोशिश करेंगे।

तीसरी एक चीज यह है कि जो मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहती हूं कि तालीम का चर्चा तो बहुत है और वाक़या यह है कि तालीम ने इस जमाने में तरक्क़ी की है, लेकिन औरतों की तालीम पर खासतौर से आपको तवज्जह देने की जरूरत है और यह आपका फर्ज है इसलिए कि आपका मुल्क बहुत अर्से तक पीछे रह चुका है और अब हरगिज इसको पीछे नहीं रहना चाहिए और खास तौर से इसकी बाबत कोशिश करनी चाहिये कि औरतों में तालीम आम हो। इसके अलावा जो एडेड स्कूल हैं उन पर भी खास तौर से तवज्जह कीजिये। उनसे आपके काम में भी आसानी होती है। जो लोग इन स्कूलों को अपनी कोशिशों से चलाते हैं अगर आप उनकी हिम्मत अफ़जाई करेंगे तो इसकी बहुत तरक्की कर सकते हैं। इन तीन चीजों का आप जरूर ख्याल कीजिये। अब मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूं और मुआफी मांगती हूं कि मैंने आपको तक़लीफ़ दी, लेकिन इसके बाद नहीं दूंगी।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—बेगम साहिबा ने तीन बातें कहीं, मुझे इस बात का अफसोस है कि वह आइन्दा हमारे बीच में नहीं होंगी। मगर उनकी मदद हमको मिलती रहेगी, यह मैं उम्मीद करता हूं। जो कुछ भी सलाह-मशविरा हो और जो काम उनसे हो सके, उनमें वे हमें सहयोग देती रहेंगी यह भी मुझे आशा है।

उन्होंने गांव की सड़कों के बारे में कहा। गरीबों को भी सड़कों की जरूरत होती है और अमीरों को भी। दोनों के लिए ही सड़कें जरूरी हैं। लेकिन देखना यह है कि गांव की सड़कें क्या गांव वाले नहीं बना सकते। हम लोगों के यहां पहले अंग्रेजी हुकूमत थी। उसने इस किस्म की एक आबहवा पैदा कर दी थी कि हमारे यहां के लोग खुद अपना काम करने के बारे में कोई फिक्र न करें। मां बाप गवर्नमेंट के पास जायं। वह भी कुछ न करें और वह हाथ-पैर बांधे हुए बेकार रहें, जिससे मुल्क की तरक्की न हो। आज तो लोगों की सरकार है, यहां की जनता की सरकार है। यहां के आम लोगों को यह समझना है कि अब इस मुल्क के बनाने का पूरा अख्तियार, पूरा मजाज उनको है और जो कुछ भी यहां काम करने वाली सरकार है, वह उनके मातहत है उनकी तरफ से काम करती है। आज उनको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिये। अपने पैरों पर खड़े होकर अपना काम करने की उनमें हिम्मत होनी चाहिए। मुझे अफसोस है जब मैं बाज़ वक्त सुनता हूं कि गांव में सड़क नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे यहां आदमियों की तादाद बहुत काफी है, मेहनत भी कर सकते हैं, करने के आदी भी हैं। फिर गांवों में सड़कें क्यों नहीं होती हैं। इसके लिए उनको यह बात नहीं बतलायी जाती है कि उनको यह काम खुद करना चाहिए। उनका वक्त खाली रहता है। जब उनकी मेहनत बेकार जाती है तो मेहनत को करके उन्हें अपने गांव की हालत को सुधारना चाहिए।

हर गांव में हर मर्द जो कि १८, २० या २१ साल का है वह कम से कम दो दिन महीने में अपने गांव के काम के लिये और आम लोगों की भलाई के लिए दे। अगर सिर्फ इस तरीक़े पर काम किया जाय तो जिस गांव में हजार-दो हजार की भी आबादी है उसमें १५-२० आदमी गांव के काम के लिए मिल सकते हैं, जिसका नतीजा यह हो सकता है कि वहां की सड़कें बन सकती हैं। इससे गांव का बहुत सुधार हो सकता है। हमारी जो पंचायतें हैं उनको भी इस काम को करना है। इसलिए जो आम सड़कें हैं उनको और बड़ी-बड़ी सड़कों को भी गांव वालों और हम सब लोगों को मिल कर बनाना है। आइन्दा जो वक्त आ रहा है उसमें हमें समझना है कि अपने मुल्क को बनाने का

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

मजाज और जिम्मेदारी उनकी है और जो जिस चीज को दे सकता है, जिन साधनों को इसमें लगा सकता है, मुल्क के जितने भी रिसोर्सेज (साधन) हैं उन सबको पूल (एकत्र) करके उन्हें काम में लाकर हमें अपने मुल्क को थोड़े से अरसे के अन्दर बदल देना है। हमारे पास एक साधन है। हमारे पास इतनी बड़ी मैन पावर (मानव शक्ति) है जो खाली रहती है उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। दुःख की बात है कि लोग गांवों में हों और उनके रास्ते बरसात में न रहें, जैसा कि कहा गया है उनकी गाड़ी भी न चल सके और बाज वक्त आदमियों का जाना भी मुश्किल हो जाय क्योंकि वह लोग अपना वक्त नहीं लगाते हैं। इस तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिये और जो कुछ भी काम हो सके वह करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हर काम के लिए है, इससे मैं इन्कार नहीं करता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट तो लोगों की तरफ से ही मुक़र्रर हुई है। वह तो उन्हीं की एक ऐजेन्सी है जिससे उन्हें काम लेना है। इसलिये जितनी भी ताकतें हैं उन सबसे काम लेना है। मैं समझता हूं कि गांवों में अच्छी सड़कें बननी चाहियें। अगर गांव के लोग अपनी ताक़त काम में लायें तो फिर सड़कों की कमी नहीं रह सकती। बस अपनी शक्ति को संचित कर के काम में लायें। हमारी प्लानिंग कमेटी को करना चाहिये, गांव पंचायतों को करना चाहिये, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को करना चाहिये और हमको भी करना चाहिये। मगर मुल्क की हालत को बदलना है और ऐसे ही बहुत दिनों तक चलने नहीं देना है और जो गफलत करें उनको हमें मिल कर समझाना है, सुझाना है। आज तक तो यह रहा कि गांव की सड़कें तक सरकार बनाती थी और यह समझा जाता था कि यह गैरों का काम है और वहां गांव वाले जो मजदूरी करते थे वह चाहते थे कि उनको मजदूरी ज्यादा मिले और उनको यह ख्याल कतई न था कि यह हमारा काम है। अब यह तबियत बदलना है और एक ढंग से काम करना है और अपने काम को काम समझ कर बनाना है, जिससे उन्हें गर्व रहे और वे हिम्मत के साथ काम करें। इसके अलावा उन्हें इस बात का फ़ख्र है कि हमने अपनी सड़कें बनाई हैं, अपनी नहर बनाई हैं, मदरसा बनाया है और अपना पंचायतघर बनाया है। ये सब चीजें बनेंगी उनकी कुव्वत से और हमारे उनके सहयोग से। फिर किसी बात की कमी नहीं रहेगी।

दूसरी बात आपने सूत की कही है। सभी जानते हैं कि सूत दो ही तरह से बन सकता है एक तो यह कि लोग खुद कातें और काम में लायें। लेकिन महात्मा गांधी के कहने के बावजूद भी लोग इसके लिये तैयार नहीं हुये और बहुत थोड़े से आदमी इस काम को करते हैं। दूसरा सूत वही हो सकता है जो मिलों से आता है, मुकर्ररा मिकदार ही में मिलता है। इससे जितने हिस्सों को जितना मिल सकता है दिया जाता है और जाहिरा बात है कि वह काफी नहीं है। इसलिये इसकी पैदावार को बढ़ाया जाय और तक़सीम के तरीक़े में भी सुधार की जरूरत है। जहां तक हो सकता है वह हमने किया है। उन दिक्क़तों को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन वे दूर नहीं हो सकी हैं। इसलिये जब तक पैदावार न बढ़े तब तक यह दिक्क़त दूर नहीं हो सकती। एक दिक्क़त तो यह है। दूसरी दिक्क़त यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को ही हम देते हैं जो वीवर्स (बुनने वालों) की ही बनाई जाती हैं, लेकिन उनके बीच में भी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। सीतापुर में एक नेक आदमी इस काम को चलाते थे। इसलिये कि वे ईमानदारी से काम करते थे उनके खिलाफ शिकायतें हुईं, क्योंकि वे किसी की तरफदारी नहीं करते थे। काफी लोग उनसे नाराज रहे।

जहां तक औरतों में तालीम बढ़ाने की बात है। उसका तो हमारे सम्पूर्णानन्द जी को काफी ख्याल रहता ही है। इसके साथ साथ हम यह भी समझते हैं कि अगर औरतें तालीम-याफ्ता न भी हों तब भी वे तालीमयाफ्ता मर्दों से बेहतर होती हैं। लिहाजा उनमें तालीम न होने की वजह से कोई ऐसी खास बात नहीं है लेकिन यह बात सही है कि उनकी तालीम आगे बढ़ाई जाय और उनके लिये एडेड स्कूल्स को मदद दी जाय,

क्योंकि उसी काम को अगर गवर्नमेंट करती है तो उसका ज्यादा खर्च पड़ता है। और एडेड स्कूल्स के जरिये वही काम कम खर्च मे हो जाता है। मगर औरतें पढ़ी हुई न भी हों तब भी मर्द उनसे काफी डरते हैं।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना, खण्ड १ से ३ तथा अनुसूची

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय, अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम।

१--यह अधिनियम १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५१-५२ के लिए ७,४६,७८,८०० रु० का दिया जाना।

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं के सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल जोड़ ७,४६,७८,८०० रु० (सात करोड़, छियालीस लाख, अठहत्तर हजार, आठ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग।

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

१	२	३		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
		रु०	रु०	रु०
	क--राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) वाले व्यय			
२	मालगुजारी .	३,९१,०००	–	३,९१,०००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	५०,६००	–	५०,६००
४	स्टाम्प	१,२८,०००	–	१,२८,०००
५	बन (फारेस्ट)	४,१५,१००	–	४,१५,१००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय ..	३५,६४,२००	–	३५,६४,२००

१	२	३		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
		रु०	रु०	रु०
१०	सिंचाई (इरिगेशन) और जल-विद्युत स्थापना (हाइड्रो एलक्ट्रिक इस्टैब्लिशमेंट) पर व्यय	१००	–	१००
११	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	२००	–	२००
१२	कमिश्नरों और जिला प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय	१५,८४,०००	–	१५,८४,०००
१३	गांव सभाएं और पंचायतें	१४,२५,०००	–	१४,२५,०००
१५	जेल	९,९८,२००	–	९,९८,२००
१६	पुलिस	२००	–	२००
१७	वैज्ञानिक विभाग (साइन्टिफ़िक डिपार्टमेंट्स) ..	१००	–	१००
१८	शिक्षा	४००	–	४००
१९	चिकित्सा (मेडिकल) ..	७,७०,३००	–	७,७०,३००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)	५००	–	५००
२१	कृषि-सम्बन्धी विकास और खोज (ऐग्रिकल्चरल डेवेलप्मेंट एन्ड रिसर्च) ..	७,५४,६००	–	७,५४,६००
२२	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एन्ड कालोनाइजेशन)	८,४१,०००	–	८,४१,०००
२४	पशु-चिकित्सा (वेटेरिनरी)	६००	–	६००
२८	उद्योग	८,७००	–	८,७००
२९	श्रम (लेबर) और संख्या	१,२१,४००	–	१,२१,४००
३०	वाहन (ट्रांस्पोर्ट) विभाग	४,६२,०००	–	४,६२,०००
३१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	५,९९,६००	२०,०००	६,१९,६००
३४	नागरिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान (ग्रान्टस-इन-एड आफ़ सिविल वर्क्स) ..	१,०७,०००	–	१,०७,०००
३५	दुर्भिक्ष सहायता (फ़ेमिन रिलीफ)	६,५०,०००	–	६,५०,०००
३७	बुढ़ौती भत्ते (सुपरऐनुएशन) और पेंशनें ..	२,०५,०००	१५,०००	२,२०,०००
३८	लेखन सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई ..	४७,५००	–	४७,५००
३९	विविध व्यय (मिसलेनियस चार्जेज) ..	६००	–	६००

१	२	३		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
४०	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ..	३,९३,१००	—	३,९३,१००
४१	असाधारण व्यय (एक्स्ट्रा-आर्डिनरी चार्जेज) ..	९२,९३,७००	—	९२,९३,७००
	जोड़ 'क' ..	२,२८,१२,७००	३५,०००	२,२८,४७,७००
	ख—राजस्व लेखों (Revenue Accounts) के बाहर पूंजी व्यय (Capital Expenditure)			
४३	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई और जल-विद्युत् कार्यों (हाइड्रो एलेक्ट्रिक वर्क्स) का निर्माण (कन्स्ट्रकशन)	२००	—	२००
४६	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले) ..	१,०००	—	१,०००
४८	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ ऐंड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..	३००	—	३००
४९	पेंशनों की संराशि (कम्युटेड वैल्यू आफ पेंशन्स) ..	१,८६,४००	—	१,८६,४००
५०	राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की योजनाएं ..	४,९५,४३,०००	—	४,९५,४३,०००
	जोड़ 'ख' ..	४,९७,३०,९००	—	४,९७,३०,९००

१	२	३		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज	निम्नलिखित धनराशिओं से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
ग--ऋणों और अग्र-ऋणों (लोन्स ऐण्ड ऐडवान्सेज) का भुगतावा (डिसबर्समेंट)				
५१	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (ऐडवांसेज)	२१,००,२००	-	२१,००,२००
	जोड़ 'ग' ..	२१,००,२००	-	२१,००,२००
	कुल जोड़ ..	७,४६,४३,८००	३५,०००	७,४६,७८,८००

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, खंड २ और खंड ३, अनुसूची और प्रस्तावना इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) मंजूर किया जाय और पास किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगामी दिवस के लिये कार्यक्रम

माननीय अध्यक्ष--अब दो दिन के लिये जो काम था वह खत्म हो गया। कल के लिए माननीय मुख्य मंत्री बतावें कि कल कुछ काम लिया जायगा या नहीं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--कल वोट आन एकाउन्ट्स (लेखानुदान) पर अगर वाद-विवाद की आवश्यकता हुई तो वह होगा और उसके बाद वह मंजूर होगा। मुझे उम्मीद है कि दो मिनट में यह सब कार्यवाही पूरी हो जायगी। उसके बाद फिर एप्रोप्रियेशन बिल पेश होगा जो कि आज की तरह ही पास होगा। उसके बाद एक रिजोल्यूशन जो मैंने पेश किया था इस्टेट ड्यूटी के बारे में वह पेश होगा। अगर नवाब जमशेद अली खां साहब चाहें कि वह न पेश हो तो मैं उसे छोड़ने को भी तैयार हूं। अगर वह समझते हैं कि पेश हो तो वह पेश होगा। परसों जो प्रिविलेजेज (विशेषाधिकार) की दो रिपोर्टें थीं उन पर विचार होगा। एक तो ब्लिट्ज के बारे में जिसके कि डिप्टी एडीटर साहब आज कल शायद यहीं हैं। वह शायद यहां पेश भी हों और दूसरे एक दूसरी रिपोर्ट भी पेश हुई थी वह भी हाउस के सामने आवेगी।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां—स्टेट ड्यूटी के मुताल्लिक़ मैंने यह अर्ज किया था कि अगर मुनासिब हो तो उसके ऊपर पूरी बहस कर ली जाय कि उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स (गुणावगुण) क्या हैं और अगर मुनासिब न हो तो आइन्दा जो असेम्बली आने वाली है वह उस पर गौर करे। बहरहाल अगर वह आवेगी तो उसके मुताल्लिक़ अपने ख्यालात कि इस्टेट ड्यूटी मुनासिब चीज है या नहीं मैं भी पेश कर दूंगा।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सवाल तो इस वक्त आपके ख्यालात का है सवाल यह है कि उसको रखा जाय या न रखा जाय। अगर हाउस के कोई सदस्य भी न चाहें कि उस पर बहस हो तो उसको पेश नहीं होना है। इसलिये आपकी क्या राय है।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां—मैं समझता हूं कि जब हाउस के सामने आ ही गया है तो इज़हारे ख्याल हो जाना जरूरी है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—फिर कल वह पेश हो जायगा।

माननीय अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सारे सदन को यह बात मंजूर है कि यह वोट आन एकाउंट (लेखानुदान) कल ही के लिये रख लिया जाय। मैंने पहले इसे परसों के लिये रखा था, लेकिन चूंकि काम नहीं है, इसलिये कल ही के लिये रखे देता हूं और अगर ज़रूरत होगी तो २० को बैठक होगी नहीं तो बहुत मुमकिन है कि १९ को ही काम खत्म हो जाय।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१७ मार्च, १९५२ ई०।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ १४७ पर)

३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ऐसे व्यय का तखमीना जिसके लिए लेखानुदान (Vote on account) की आवश्यकता है—

मांग या विनियोग की तालिका	कुल मांग (सहस्र रुपयों में)		लेखे के लिए आवश्यक धनराशि (सहस्र रुपयों में)	
	मतदेय	प्रभृत्त	मतदेय	प्रभृत्त
क—राजस्व लेखा				
१—कृषि आयकर की उगाही पर व्यय	२,३२	—	७७	—
२—मालगुजारी ..	२,२५,८४	—	७५,२८	—
३—राज्य-आबकारी ..	९१,१७	—	३०,३९	—
४—स्टाम्प ..	४,८३	—	१,६१	—
५—वन	१,२२,२४	—	४०,७५	—
६—रजिस्ट्री ..	१३,३३	—	४,४४	—
७—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	५५,१६	—	—	—
८—अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय	२५,९१	—	८,६४	—
९—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य ..	२,८८,४६	—	९६,१५	—
१०—सिंचाई और जल-विद्युत स्थापना (हाइड्रो एलेक्ट्रिक इस्टैब्लिशमेंट) पर व्यय	२,५९,१२	—	८६,३८	—
११—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	३,०२,८७	९,७९	१,००,९६	३,२६
१२—कमिश्नरों और जिला प्रशासन (ऐडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय ..	२,६०,४४	—	८६,८१	—
१३—गांव सभायें और पंचायतें ..	४४,०३	—	१४,६८	—
१४—न्याय प्रशासन ..	१,१७,२४	२४,२८	३९,०८	८,१०
१५—जेल	१,०९,३०	—	३६,४३	—
१६—पुलिस ..	७,२१,८२	—	२,४०,६१	—
१७—वैज्ञानिक विभाग (साइन्टिफिक डिपार्टमेंट) ..	१,०६	—	३५	—
१८—शिक्षा	७,८५,१९	—	२,६१,७३	—
१९—चिकित्सा (मेडिकल) ..	२,१४,७०	—	७१,५७	—

मांग या विनियोग की तालिका	कुल मांग (सहस्र रुपयों में)		लेखे के लिए आवश्यक धनराशि (सहस्र रुपयों में)	
	मतदेय	प्रभृत्त	मतदेय	प्रभृत्त
२०—जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) ..	१,००,२७	—	३३,४२	—
२१—कृषि सम्बन्धी विकास और खोज (ऐग्रीकलचरल डेवेलपमेंट ऐण्ड रिसर्च) ..	१,६७,६२	—	५५,८७	—
२२—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (ऐग्रीकलचरल इंजीनियरिंग ऐण्ड कालोनाइजेशन) ..	१,९८,१७	—	६६,०६	—
२३—ग्राम सुधार (रूरल डेवेलपमेंट)	—	—	—	—
२४—पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी) ..	१,०६,०५	—	३५,३५	—
२५—विद्युत् योजनाओं पर व्यय ..	९६,७४	—	३२,२५	—
२६—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय	१६,०७	—	५,३६	—
२७—सहकारिता के आधार पर ऋण ..	७०,७१	—	२३,५७	—
२८—उद्योग (इन्डस्ट्रीज) ..	८४,३१	—	२८,१०	—
२९—श्रम और संख्या (लेबर और स्टैटिस्टिक्स) ..	२२,५१	—	७,५०	—
३०—वाहन (ट्रांसपोर्ट) विभाग ..	३,३३,५९	—	१,११,२०	—
३१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों (पब्लिक वर्क्स) के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	२,८६,०९	३,४९	९५,३६	१,१६
३२—यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित) ..	११,५०	—	३,८३	—
३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय	३९,७४	—	१३,२५	—
३४—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रांट इन एड आफ सिविल वर्क्स)	२३,५१	—	७,८४	—
३५—दुर्भिक्ष सहायता ..	१२,१६	—	४,०५	—

मांग या विनियोग की तालिका	कुल मांग (सहस्र रुपयों में)		लेखे के लिए आवश्यक धनराशि (सहस्र रुपयों में)	
	मतदेय	प्रभृत्त	मतदेय	प्रभृत्त
३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें	७,८८	—	२,६३	—
३७—बढ़ौती भत्ते (सुपरएनुएशन) और पेंशनें	१,८९,०८	१,४०	६३,०३	४७
३८—लेखन सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई (प्रिंटिंग) ..	७८,१७	—	२६,०६	—
३९—विविध व्यय (मिसेलेनियस चार्जेज)	७,०६,८५	—	१,१८,९५	—
४०—अनुसूचित (शिडूल्ड) और पिछड़ी हुई (बैकवर्ड) जातियों का विकास और उत्थान (इम्प्रूवमेंट ऐंड अपलिफ्ट)	४७,९७	—	१५,९९	—
४१—असाधारण व्यय ..	१,६६,२३	—	५५,४१	—
४२—योजना और एकीकरण ..	१४,४८	—	४,८२	—
ऋण तथा अन्य दायित्वों पर व्याज	—	२,२०,१५	—	७३,३८
ऋण को कम करना या उससे बचना	—	१९,०६,५०	—	६,३५,५०
योग, क ..	६४,२४,७३	२१,६५,६१	२०,०६,५३	७,२१,८७

ख—राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय

(कैपिटल एक्सपेण्डीचर)—

४३—राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई और जलविद्युत् निर्माण कार्यों (हाइड्रो एलेक्ट्रिक वर्क्स) का सम्पादन ..	५,७१,५५	—	१,९०,५२	—
४४—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत	२,२४,००	—	७४,६७	—
४५—औद्योगिक विकास ..	२,१५,९८	—	७१,९९	—
४६—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत	१,४४,९५	—	४८,३२	—
४७—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत	३८,६२	—	१२,८७	—

मांग या विनियोग की तालिका	कुल मांग (सहस्र रुपयों में)		लेखे के लिए आवश्यक धनराशि (सहस्र रुपयों में)	
	मतदेय	प्रभृत्त	मतदेय	प्रभृत्त
४८—कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों इत्यादि पर पूंजी की लागत	१,५०,८३	—	५०,२८	—
४९—पेंशनों की संराशि (कम्युटेड वैल्यू आफ़ पेंशन्स) ..	१९,६०	१७	६,५३	६
५०—राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की योजनाएं	३८,०२,८४	—	१९,००,००	—
योग, ख ..	५१,६८,३७	१७	२३,५५,१८	६
ग—ऋणों तथा अग्रऋणों (लोन्स ऐण्ड एडवान्सेज) का भुगतावा (डिस्बर्समेंट)।				
५१—ब्याजवाले ऋण और अग्रऋण (एडवान्सेज) ..	२,६३,९९	—	८८,००	—
योग, ग ..	२,६३,९९		८८,००	—
कुल योग ..	१,१८,५७,०९	२१,६५,७८	४४,४९,७१	७,२१,९३